खण्ड-205, अंक-10
शुक्रवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1881
(7 अगस्त, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 205 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४१२

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमान सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आ ाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथलहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपं र, आचार्य,
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री

नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महदेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महवीरप्रसाद, श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटी हारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे राजा

रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द स्वामी, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री

शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यव्रतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विष्णुनारायण इण्टर कालेज, लखनऊ से पृथक किये गये अध्यापकों का आवेदन-पत्र

**१--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को विष्णुनारायण इन्टर कालेज लखनऊ से पृथक किये गये सात अध्यापकों का मई, सन् १९५९ में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---जी हां, किन्तु इनमें से ५ अध्यापक थे और २ क्लर्क । अध्यापकों में से सर्व श्री एस० डी० स्वरूप भटनागर तथा मोहम्मद मेंहदी की सेवाएं समाप्त करने पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि श्री एस० डी० स्वरूप भटनागर अप्रशिक्षित होते हुये भी बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति के नियुक्त किये गये थे और श्री मोहम्मद मेंहदी की नियुक्ति केवल ३० जून, १९५९ तक ही स्वीकृत की गई थी। शेष ३ अध्यापकों के विषय में जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक को आदेश दे दिये हैं कि इनकी सेवायें समाप्त न की जायं क्योंकि ये प्रशिक्षित हैं और प्रधानाचार्य द्वारा इनकी सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में जो कारण उपस्थित किये गये हैं वे सेवा समाप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं ।

सर्वश्री बी० एन० पांडे तथा आर० के० राज क्लर्कों के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक को यह आदेश दिया है कि ये स्थायी कर्मचारी हैं अतः इन्हें पुर्नानियुक्त किया जाय ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब १९५८ में नेगी जी और उनके साथियों को निकाल दिया गया था तो सरकार ने इंक्वायरी की और फिर से रखाया तथा आश्वासन दिया कि वहां का मैनेजमेंट खराब है उसको बदला जायगा, इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---प्रश्नकर्त्ता ने जिनका नाम लिया है वह निकाले ही नहीं गये इसलिये यह सवाल नहीं उठता है ।

श्री छत्तरसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि प्रधानाचार्य को सेवायें समाप्त करने का अधिकार है यदि नहीं तो जो उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---प्रधानाचार्य की सहमति से प्रबंध समिति ने ऐसा आदेश दिया था। वह ऐसा कर सकते थे या नहीं, इसके लिये जिला निरीक्षक ने ऐक्शन लिया है और कार्यवाही की है ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेंहदी साहब की सर्विसेज टर्मिनेट करने का अधिकार प्रिंसिपल को है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---उनको सेवा में रखते समय तय हो गया था कि वह ३० जून तक ही रहेंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अभी मंत्री जी ने फरमाया कि प्रधानाचार्य की सम्मति से समिति ने ऐसा किया तो यह बतायेंगे कि प्रधानाचार्य ने सब काम कर डाला और बाद में समिति से पास कराया या समिति ने पास कर दिया तब प्रधानाचार्य ने आर्डर इश्यू किया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---प्रधानाचार्य ने समिति की आज्ञा से आदेश जारी किया ।

श्री प्रतापसिंह---जिन अध्यापकों को निकाला गया उनको पुनः रखने के आदेश को प्रधानाचार्य ने कितने दिन के बाद कार्यान्वित किया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री छत्तरसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि उन लिपिकों को जो पुर्नानियुक्त करने के लिए विद्यालय निरीक्षक ने आदेश दिया था उनकी अब तक पुर्नानियुक्ति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---मैंने कहा इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

तारांकित प्रश्न

टनकपुर के निकट शारदा नदी में नौका दुर्घटना

*१--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ११ अप्रैल को राज्य के अल्मोड़ा जिले में टनकपुर के पास शारदा नदी में जो नौका दुर्घटना हुई थी उसमें कितने व्यक्ति हत या आहत हुये ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--उक्त दुर्घटना में अनुमान है कि २२ व्यक्ति मरे। इनमें १६ की लाशें मिल गईं।

*२--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह उक्त नौका दुर्घटना के कारणों की जांच करायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--उक्त नौका दुर्घटना के कारणों की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है।

श्री मदन पांडेय--क्या सरकार उस रिपोर्ट की कुछ बातें सदन के सामने रखेगी जो इस दुर्घटना के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों ने सरकार के पास भेजी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने अभी निवेदन किया कि उसकी जांच हो रही है। उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जांच कब से प्रारम्भ हुई और कब तक इसकी रिपोर्ट आ जाने की आशा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--११ अप्रैल को यह दुर्घटना हुई। उसके बाद जांच शुरू हुई। यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक आ जायगी।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी सदन को इतनी बात से भी अवगत करायेंगे कि वह नाव सरकारी थी या गैर सरकारी और यदि सरकारी थी तो जो व्यक्ति डूबे हैं उनके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है कि सरकारी नाव थी या गैर सरकारी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि टनकपुर में जो नावें चलती हैं बड़ी खतरनाक हैं उसकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव--माननीय सदस्य द्वारा सूचना मिली है, उसको दिखवाया जायगा कि उसमें कहां तक तथ्य है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी ने मृतक के परिवार के लोगों के सहायतार्थ मदद दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सहायतार्थ धन देने का नियम नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस जांच में इतना अधिक विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। यह बताना इस समय सम्भव नहीं है कि जांच में देरी क्यों हो रही है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञात है कि डोंगा उलटने से ३५ आदमी मर गये और यदि यह पता है तो सरकार किस बात की जांच करवा रही है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने २२ आदमी कहा है ।

श्री प्रतापसिंह—२२ ही सही । तो जांच किस चीज की कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने उत्तर में ही कहा है कि दुर्घटना के कारणों की जांच और किस की जिम्मेदारी है, इन सब बातों की जांच हो रही है ।

सोहरौना ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

*३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले में खड्डा थाने के अन्तर्गत सोहरौना ग्राम में गत २४ अप्रैल को आग लगी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त अग्निकांड में कितनी धन-जन की क्षति हुई तथा पीड़ितों के सहायतार्थ क्या सहायता दी गई ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—जी हां । इस अग्निकांड में लगभग १,२८,५७१ रूपये की सम्पत्ति की क्षति हुई । ६ व्यक्तियों तथा २० जानवरों की मृत्यु हुई । पीड़ितों को ९४४ रुपये की मुफ्त सहायता (Gratuitous Relief) तथा १८४५ रुपये की तकावी दी गई ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस छोटे से गांव में १ लाख २८ हजार रुपये के लगभग नुकसान हुआ है वहां पर ९४४ रुपये की अहेतुक सहायता किन कारणों से प्रभावित होकर निश्चित की गयी ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—खयाल ऐसा होता है कि मांग के मुताबिक दी गयी ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस आग में वहां के सभी लोगों का अन्न आदि जल गया तो उनके खाने-पीने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वे तकावी वगैरह लेकर बेचारे बसर कर रहे हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत कई वर्षों से उस गांव में अग्निकांड हो रहा है और वहां की कुल चीजें क्षतिग्रस्त हो रही है ? इस चीज को देखते हुए सरकार वहां टीन वगैरह देकर ऐसे आवास बनाने की व्यवस्था करेगी जिससे फिर से आग लगने की सम्भावना न हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले सालों के अग्निकांड की मुझे इत्तला नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अग्निकांड के फलस्वरूप जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें इस ९०० रुपये में से कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आग लगने से कितने परिवार के लोग प्रभावित हुए थे ? क्या यह भी सत्य है कि जो सरकारी सहायता दी गई उसके बाद उन्होंने सरकार को अप्रोच किया था कि यह पर्याप्त नहीं है, उनको और सहायता की आवश्यकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई १२० आदमियों को नुकसान हुआ है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, मेरे प्रश्न के दूसरे हिस्से का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था कि सरकार ने एक हजार रुपये की सहायता जो दी उसके बाद उन लोगों ने क्या सरकार को अप्रोच किया कि यह अ र्याप्त है और उन्हें सरकार और सहायता न दे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

पिछड़ी जातियों के लिये नौकरियों में स्थान सुरक्षित करने के लिए प्रार्थना

*४—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर के मुताबिक बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट पर जो पत्र-व्यवहार केन्द्रीय सरकार से हो रहा था उसके संबंध में क्या निर्णय हुआ है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—भारत सरकार ने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

*५—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछड़ी हुई जातियों के लिये सरकारी नौकरियों में लेने के संबंध में सन् १९५८ में सरकार ने क्या कोई आदेश जारी किया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं कर पायी है तो यहां की सरकार को उस रिपोर्ट के मान लेने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—हम तो भारत सरकार के मातहत हैं। उन्हीं के फैसले पर हम कार्यवाही करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें एक सिफारिश यह की गई है कि इन जातियों के लिए सर्विसेज में स्थान सुरक्षित किये जायं और संविधान की धारा १६ (४) के अन्दर राज्य सरकार को स्वयं इसका अधिकार है कि वह इन जातियों के लिए स्थान सुरक्षित कर सकती है, तो सरकार उसके मुताबिक क्यों नहीं उनके लिए स्थान सुरक्षित करती ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—हमारी सरकार ने १८ फीसदी स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित किये हैं और पिछड़ी जतियों के लिये स्थान सुरक्षित करने का प्रश्न तब तक हम नहीं तय करना चाहते जब तक कि भारत सरकार से इस संबंध में हमें कोई आदेश नहीं मिल जाता है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछड़ी हुई जातियों को नौकरियों में लेने के लिए उसने क्या आदेश जारी किये हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने तो अभी पिछले सवाल के जबाब में बतलाया था कि अभी कोई सुरक्षित स्थान इनके लिए नहीं रखे गये हैं। अभी तक हमारे यहां दो सूचियां थी पिछड़ी जातियों के लिए। एक सूची में १५ जातियां थीं जिनको कि हम सर्विसेज में रखने के लिए सब सुविधायें देते थे। दूसरी सूची में वह जातियां थीं जिनको कि छात्रवृत्ति वगैरह के लिए रखते थे। अब हमने सितम्बर, १९५८ से केवल एक सूची बना दी है जिसमें ५८ जातियां हैं। उनको जहां तक संभव होता है हम यह कोशिश करते हैं कि वह सारी सुविधायें दें लेकिन प्रतियोगितात्मक परीक्षा में यह सुविधा हम नहीं देते।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जातियों में पहले जो १५ जातियों को सुविधायें दी जाती थां और अब ५८ के लिए दी गई हैं, तो वह कौन सी सुविधायें हैं जो इन ५८ जातियों को सरकार ने देने का निश्चय किया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने तो बतलाया कि छात्रवृत्ति वगैरह में सुविधा दी जाती है और दूसरी कोशिश यह की जाती है कि अगर योग्य व्यक्ति मिले तो उनको सर्विसेज में भी लिया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी उस विज्ञप्ति की एक कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—कई बार रखी जा चुकी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उनको नौकरियां दिलाने के लिए जो कोशिश की जाती है उस कोशिश का रूप क्या है और क्या कोशिश की जाती है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—प्रयत्न किया जाता है कि अगर ऐसे उम्मीदवार मिलें तो अधिक से अधिक स्थान उनको दिया जाय ।

श्री प्रतापसिंह—शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उनको शैक्षिक सहायता और नौकरी की सहायता दी जाती है तो क्या उनका ध्यान श्रीकान्त बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट की तरफ गया है जिसमें यह सिफारिश की गई है, यदि हां, तो फिर केन्द्रीय सरकार से किस चीज की सहायता यह सरकार मांगती है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—केन्द्रीय सरकार ने अभी इस पर यह फैसला नहीं दिया है कि किस कसौटी पर पिछड़ी जातियों का समावेश होना चाहिए, कौन-कौन पिछड़ी जातियां हैं और उसके लिये क्या क्राइटेरिया होना चाहिए । जब तक इसका निश्चय न हो जाय तब तक कुछ कहने में सरकार असमर्थ है ।

होम्योपैथिक चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन

*६—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन करना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कब से ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—केवल अप्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सकों का जो कि अब तक केवल ५ वर्ष की प्रैक्टिस के आधार पर रजिस्टर्ड होते रहे, दिसम्बर ३१, १९५८ से रजिस्ट्रेशन बन्द हो गया है । अब केवल होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक कालेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५ वर्ष की प्रैक्टिस के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन अभी तक होता रहा है उसे बन्द करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह एजीटेशन बन्द करने के लिये ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन नियमों को लागू करने के पहले सरकार ने होम्योपैथिक प्रणाली के विशेषज्ञों से इस बारे में राय ली थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत बड़ा लड़कों का एजीटेशन था और उनकी यह मांग थी। उनको पूरा किया गया ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय के पास इस प्रकार की कोई खबर है कि बहुत से ऐसे होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करने वाले गांवों में रहते हैं जिनको यह पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख कब खत्म होने वाली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि कुछ होम्योपैथिक के विशेषज्ञों ने दिसम्बर, सन् १९५८ में सरकार से अनुरोध किया था कि ६ वर्ष के भीतर लगभग ९ हजार होम्योपैथ रजिस्टर्ड हो चुके है और अभी १२ हजार और बाकी हैं तो उनके लिये एक वर्ष रजिस्ट्रेशन का समय और बढ़ा दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कई साल तक यह जारी रहा । १३ हजार आदमी रजिस्टर्ड हो चुके हैं । ९० फीसदी ५ साल के होल टाइम प्रेक्टिशनर हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिये एक शर्त यह लगाई कि जिलाधीशों का सर्टिफिकेट हो इस बात का कि कम से कम ५ साल के अनुभव का व्यक्ति रजिस्टर्ड होना चाहिये होम्योपैथी में, मगर जिलाधीश के लिये जो यह योग्यता रखी गई कि वह सर्टिफिकेट दे वह किस आधार पर रखी गई, क्या वह भी इसका एक्सपर्ट माना गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमने इसके नियम देख लिये थे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या यह सही है कि ३१ दिसम्बर, १९५८ तक बन्द करने का यह भी कारण था कि पिछले साल ७ हजार लोगों के रजिस्ट्रेशन पाने के लिये प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लड़कों की यह मांग थी लिहाजा उनकी मांग को पूरा किया गया ।

मोठ व गरौठा तहसीलों की भूमि, वन विभाग को देने के संबंध में जानकारी

*७---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप झांसी जिले की मोठ व गरौठा तहसीलों में किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी जमीन वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जमीन में किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी जमीन कृषि तथा चह योग्य है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्रामों में कितनी-कितनी गोचर भूमि है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के बाद इतना लम्बा अरसा बीतने के बावजूद भी उक्त रिपोर्ट तैयार न होने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब सवाल उठाया गया तो इसकी जरूरत समझी गई कि रिपोर्ट आनी चाहिये ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तारीख निश्चित करना मुश्किल है, लेकिन हम जल्दी करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रश्न की सूचना किस तारीख को हासिल हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस समय मेरे सामने तारीख लिखी नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि कार्य-सूची में यह रहता है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यहां पर एक वैधानिक प्रश्न भी पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष---कार्य-सूची में से पता लगता है कि ये प्रश्न २५ मई को दिये गये थे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बतलायेगी कि तीन महीने बीतने के बाद भी सूचना हासिल नहीं हुई इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्योंकि सारे सूबे का हिसाब मंगाना है। बहुत विस्तृत मामला है।

श्री अध्यक्ष---यह केवल झांसी जिले का ही प्रश्न है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---लेकिन तमाम जमींदारों और इंटरमीडियेरीज का है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप झांसी जिले की मोठ व गरौठा तहसीलों में किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी जमीन वन विभाग को हस्तांतरित की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इत्तला आ जाने पर जरूर बतलाऊंगा।

कटुवानाला ग्राम में गृह निर्माणार्थ सहायता के लिए प्रार्थना

*१०---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा तहसील गोंडा के ग्राम कटुवानाला, पोस्ट दुबहा बाजार में सन् १९५८ की वर्षा से कितने लोगों के मकान गिर गये हैं और कितने लोगों ने मकान बनाने को सरकार से सहायता चाही है और कितने लोगों को सहायता दी गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---ग्राम कटुवानाला पोस्ट दुबहा बाजार जिला व तहसील गोंडा में सन् १९५८ की वर्षा से कोई भी मकान नहीं गिरा और न किसी ने मकान के लिये सरकार से सहायता चाही। अतः सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार मेरी इस सूचना को सही मान कर कि मकान गिरे हैं और अब भी गिरे पड़े हैं, सहायता के लिये भी दरख्वास्तें लोगों ने दी है, जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो इत्तला मेरे पास है उसके बाद जांच करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती।

सम्पादकों को योजना के कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रण

*११--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९-२-५९ को जिन अखबरों के संपादकों को सरकारी खर्च पर योजना के कार्यक्रमों को देखने के लिये आमंत्रित किया गया उनमें से कौन-कौन पत्र ए० बी० सी० संस्था के सदस्य हैं? आगरा, कुमायूं, रुहेलखंड व मेरठ के कौन-कौन से अखबार हैं जो ए० बी० सी० संस्था के सदस्य तो हैं पर उपरोक्त दौरे के लिये उन्हें नहीं ले जाया जा सका तथा क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव--१९-२-५९ को समाचार-पत्रों के सम्पादकों को किसी दौरे पर नहीं ले जाया गया था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको २८ जनवरी को ले जाया गया?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--२८ जनवरी वाले कौन-कौन से पत्रों के संपादक थे और उन में से ए० बी० सी० के कितने मेम्बर थे?

श्री रामस्वरूप यादव--२४ ऐसे पत्रों के संपादक थे जिनको आमंत्रित किया गया था और उसमें से १४ सज्जन आये थे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि आगरा के कुछ ऐसे पत्रकार बुलाये गये जो ए०बी०सी० के मेम्बर नहीं थे, 'नवप्रभात' और 'अमर' 'उजाला' लेकिन जो पत्र ए० बी० सी० के मेम्बर थे और जिनका सर्कुलेशन ज्यादा था वह नहीं बुलाये गये?

श्री रामस्वरूप यादव--'अमर', 'उजाला' और 'सैनिक' दोनों ए०बी०सी० के मेम्बर हैं और बुलाये गये थे। ऐसे पत्रकार भी बुलाये गये थे जो ए०बी०सी० के मेम्बर नहीं हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन २४ पत्रों के संपादकों को बुलाया गया था उनको बुलाने का आधार क्या था?

श्री रामस्वरूप यादव--उनका प्रकाशन दैनिक होना चाहिये, ग्राहक संख्या अपने क्षेत्र में सर्वाधिक हो, पृष्ठ संख्या पर्याप्त हो, ऐसे ही पत्रों को बुलाया गया था।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या यह सही है कि 'नवप्रभात' अखबार मध्य प्रदेश में छपता है?

श्री रामस्वरूप यादव--वही बुलाये गये थे जो आगरा, कुमायूं, रोहेलखंड, मेरठ कमिश्नरियों में छपते थे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या इन अखबारों में से एक अखबार 'शक्ति' भी था जिसके संरक्षक माननीय गोबिन्द वल्लभ पंत गृह मंत्री हैं?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, इस विषय में परसों ही शायद प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन वैसे 'शक्ति' भी एक अखबार है?

रायल व बर्लिंगटन होटलों में विधायकों का आवास

*१२--श्री गरीबदास (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय बर्लिंगटन होटल में कितने कमरे विधान मंडल के विधायकों के लिये, कितने-कितने किराये के हिसाब से कब तक के लिये, उसने ले रखे हैं?

गृहमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---७ बड़े कमरे, २१० रुपये प्रतिमास प्रति कमरा, ५ छोटे कमरे १३० रुपये प्रतिमास प्रति कमरा। ये कमरे उस समय तक सरकार के पास रहेंगे जब तक इनमें रहने वाले सदस्यों की व्यवस्था विधायक निवासों में नहीं हो जाती।

*१३--**श्री गरीबदास** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह रायल होटल में बनने वाले नये कमरे बलिंगटन होटल में रहने वाले विधायकों के लिये पहले से रिजर्व करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नये कमरों के बन जाने पर आवश्यकतानुसार होटलों में रहने वाले विधायकों की व्यवस्था उनमें कर दी जायेगी। इसके अलावा उन सदस्यों के, जिनको अभी तक कमरा नहीं मिला है, मामलों पर भी विचार किया जायेगा।

राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव के क्रीड़ास्थल पर खिलाड़ियों में झगड़ा

*१४--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चिरगांव जिला झांसी में मार्च, १९५९ के दूसरे सप्ताह में राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव तथा ग्रामीण खिलाड़ियों के बीच में वालीबाल मैच खेला गया था और खेल के बाद दोनों ओर से खिलाड़ियों में झगड़ा हुआ जिस में अनेकों व्यक्ति घायल हुए और टाउन हाल की इमारत को भी क्षति पहुंची?

श्री रामस्वरूप यादव---१० मार्च, १९५९ को राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव व सेमरी क्षेत्र की टीमों के बीच बालीबाल और कबड्डी का खेल समाप्त होने पर दोनों ओर के खिलाड़ियों में झगड़ा हुआ जिसमें प्रत्येक टीम के २ व्यक्तियों को चोट आई और टाउन हाल के कुछ दरवाजों के शीशे टूटे।

*१५--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी तथा फरवरी, ५९ में क्रिकेट मैच खेलने के अवसर पर भी इस प्रकार का झगड़ा उक्त पार्टियों में हुआ था?

श्री रामस्वरूप यादव---१ जनवरी, १९५९ को चिरगांव कृषि विद्यालय के मैदान में खेले गये क्रिकेट मैच के अवसर पर कस्बा चिरगांव तथा कृषि विद्यालय के खिलाड़ियों में झगड़ा हुआ था।

*१६--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त झगड़ों में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई और भविष्य में चिरगांव में इस प्रकार का झगड़ा रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव---१० मार्च को हुए झगड़े की जांच हो रही है और क्रिकेट मैच के दिन वाले झगड़े में समझौता हो गया।

इस प्रकार के झगड़ों की रोकथाम के लिये भविष्य में बगैर अधिकारियों की इजाज़त के कोई मैच नहीं खेला जायगा। इजाज़त मिलने पर पुलिस का उचित प्रबन्ध किया जायेगा और देख रेख के लिये प्रिन्सिपल, बोर्ड सुपरिन्टेन्डेन्ट या अन्य अधिकारी को तैनात किया जायेगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि झगड़ा होने के बाद जब विद्यार्थी कालिज आये तो प्रिंसिपल के उभारने पर लगभग १०० विद्यार्थियों ने हाकियां लेकर दूसरे विद्यार्थियों पर हमला किया था और जब वे अपनी रक्षा के लिए टाउनहाल पहुंचे तो शीशे तोड़ करके उसको भी हानि पहुंचाई गई?

श्री रामस्वरूप यादव---झगड़ा तो हुआ ही था, लेकिन प्रिंसिपल ने उभारा, इस संबंध में सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १० मार्च के बाद आज तक उक्त घटना की पूरी जांच न होने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, जांच तो हो रही है और मुकदमे भी कायम किये जा सकते हैं, लेकिन वहां के कालेज संबंधी अधिकारियों की राय है कि मुकदमे न चलाये जायं, क्योंकि लड़कों को रोज चिरगांव शहर में आना पड़ता है और देहातों में जाना पड़ता है, इसलिए झगड़ा खत्म हो जाय तभी शान्ति हो सकती है।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो यह कहा है कि इस प्रकार के झगड़े को भविष्य में रोकने के लिये यह नियम बना दिया गया है कि बगैर अधिकारियों के ऐसे मैच न खेले जायं तो वह नियम झांसी की इन्हीं दो टीमों पर लागू होगा या अन्य स्थानों के लिये भी होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--विशेष परिस्थिति में उसी नगर के लिए और वह भी कुछ समय के लिये ही लागू होगा, हमेशा के लिये नहीं। जब शान्ति हो जायगी तो नहीं रहेगा। कभी ऐसे मैच के लिये पुलिस की जरूरत नहीं होती ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त दोनों कालेजों में १ जनवरी के बाद दूसरा मैच अब तक हो सका है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने तो बताया कि क्रिकेट वाला जो झगड़ा हुआ था उसमें तो समझौता हो गया, दूसरे में विचार चल रहा है कि समझौता कराया जाय या मुकदमे चलाये जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा प्रश्न यह है कि क्या १ जनवरी के बाद उक्त दोनों कालेजों में अभी तक कोई मैच सम्भव हो सका है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--क्रिकेट मैच की बात पूछना चाहते हैं। १ मार्च, १९५९ में जो घटना हुई ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां।

श्री रामस्वरूप यादव--वहां तो एक ही कालेज है, राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव और दूसरी सिमरी क्षेत्र की टीम थी, उन दोनों में झगड़ा था। इसलिये सूचना की आवश्यकता है कि दूसरे झगड़े के बाद कोई मैच हुआ या नहीं।

अल्मोड़ा जिले में बन्दूक के लाइसेंस लेने में अड़चनों की शिकायत

*१७--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बन्दूक का लाइसेन्स दिये जाने से पूर्व जिला अल्मोड़ा में जनवरी, सन् १९५७ से मार्च, १९५९ तक कई लोगों से अल्प बचत योजना अथवा सरकारी ऋणों में रुपया जमा करवाया गया ? अगर हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अल्मोड़ा सदर तहसील के तहसीलदार ने कई ऐसे परवाने लाइसेन्स मांगने वालों को लिखे थे कि इतना रुपया दो और उसकी पटवारी के द्वारा तामील भी कराई गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार की जो सूचना है वह मैंने निवेदन कर दी।

श्री प्रतापसिंह--क्या यह सही है कि जो अल्प बचत योजना में रुपया जमा करते उनको लाइसेन्स देने में प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार की तरफ से ऐसा आदेश नहीं है।

गढ़वाल जिले में सैनिक शिक्षा देने वाली शिक्षा संस्थायें

*१८--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल जिले की कौन-कौन सी शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था है और किन-किन संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था निकट भविष्य में की जायगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--(१)--राजकीय इन्टर कालेज, लैन्सडाउन,

(२)--एम० आई० कालेज, पौड़ी।

निकट भविष्य में किसी अन्य संस्था में ऐसी व्यवस्था करने का विचार नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल के किन्हीं अन्य विद्यालयों में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव सरकार के सामने आया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--हमारे पास तो नहीं आया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैनिक शिक्षा के अधिक महत्व को समझते हुये वह तिब्बत की सीमा से लगे चमोली तहसील के किसी भी विद्यालय में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--एन० सी० सी० के लिये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था रखी गई थी उसको देखते हुये अब अधिक विशेष करना सम्भव नहीं है। पी० ई० सी० की जो योजना है वह प्रान्त के बड़े शहरों के लिये रखी गई थी और चूंकि गढ़वाल में पौड़ी बड़ा शहर समझा गया इसलिये उसमें व्यवस्था की गई थी। अब और विशेष सम्भव नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाई स्कूल और हाई स्कूल से अधिक योग्यता देने वाले कालेजेज जो हैं उनमें सरकार सैनिक शिक्षा कम्पलसरी करने जा रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--वह तो गढ़वाल के लिये सवाल था और वह मैंने बता दिया।]

राज्य में विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था

*१९--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा करने की क्या व्यवस्था है ? क्या इस डाक्टरी परीक्षा के लिये कोई फीस ली जाती है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था है। जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल, इन्टरमीडियेट कालेज तथा राजकीय नार्मल और ट्रेनिंग कालेजों के विद्यार्थियों की पूर्ण रूप से डाक्टरी परीक्षा (Detailed Medical Inspection) की जाती है तथा प्राइमरी व बेसिक स्कूलों के विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा साधारण रूप (Ordinary Medical Inspection) से की जाती है।

प्रदेश के १४ नगरों लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर तथा वाराणसी में इस कार्य के हेतु एक एक पूर्ण समय के लिये डाक्टर नियुक्त हैं। इन नगरों में एक एक केन्द्रीय स्कूल डिस्पेन्सरी हैं जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क दवाई मिलती है, और विशेष देखभाल का प्रबन्ध है।

इन नगरों के अलावा प्रदेश के अन्य सभी नगरों तथा जिलों में यह कार्य नगरपालिका तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन है, जो कि अपने कार्य के साथ साथ यह कार्य भी करते हैं।

डाक्टरी परीक्षा ही के लिये स्कूल के विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती। १४ नगरों में जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं विद्यार्थी से एक एक आना (६ नये पैसे) प्रति मास फीस दवाइयों के लिये ली जाती हैं जो उनको स्कूल डिस्पेन्सरी से उपलब्ध हैं। किन्तु यह फीस उन विद्यार्थियों से नहीं ली जाती है जिनकी पूरी अथवा आधी फीस माफ होती है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी को ज्ञात है कि प्रदेश में ऐसे भी जूनियर हाई स्कूल हैं जिनके २० मील के रेडियस में कोई दवाखाना नहीं है तो ऐसे स्कूलों के लिये सरकार ने क्या विशेष व्यवस्था कर रखी है?

श्री दीनदयालु शास्त्री---अभी तो यह कुछ सीमित संस्थाओं में प्रबन्ध है और धीरे-धीरे यह सभी जगह व्यवस्था हो जाय, इसके लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को मानते हैं कि देहात के अधिकांश जूनियर हाई स्कूलों में इस बात की व्यवस्था नहीं है?

श्री दीनदयालु शास्त्री---मैंने तो उत्तर में बतलाया कि जो जूनियर स्कूल हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज प्रबन्ध कर सकती हैं।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है क्या माननीय मन्त्री जी एक विशेष आदेश जारी करेंगे कि वहां के लिये मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था की जाय?

श्री दीनदयालु शास्त्री---पैसे को देखते हुये यह अभी सम्भव नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी ६ नये पैसे या १ आना मेडिकल फ़ीस जो विद्यार्थियों से ली जाती है उसकी जांच कराके देखेंगे कि इस रुपये का व्यय इन औषधियों के मंगाने में होता है या नहीं?

श्री दीनदयालु शास्त्री---अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

रामपुर कांट्डूडा गोलीकाण्ड की जांच रिपोर्ट तथा हत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता

*२०---**श्री हरिदत्त कांडपाल** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तारीख १४ जुलाई, १९५८ को जिलाधीश अल्मोड़ा द्वारा कराये गये मौजा रामपुर कांटडूडा, पट्टी बल्लागंवाड, जिला अल्मोड़ा में गोलीकांड की जांच जो कमिश्नर कुमाऊं द्वारा तारीख ९ मार्च, १९५९ से की गई थी वह पूरी हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। जांच पूरी हो गई है। उक्त जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

*२१---**श्री हरिदत्त कांडपाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त गोलीकांड के पीड़ित परिवार को और घायलों को जो निरुपयोगी हो गये हैं तथा मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो किन-किन को और कितनी-कितनी धनराशि?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त गोलीकाण्ड के पीड़ित व्यक्तियों में से श्री कमलसिंह, उनकी स्त्री तथा श्रीपालसिंह की बेवा प्रत्येक को २५० रुपये स्टेट रिलीफ फंड से दिया जा चुका है।

*२२---**श्री हरिदत्त कांडपाल**---क्या सरकार उक्त गोली कांड के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है और किन-किन अधिकारियों के खिलाफ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त गोलीकांड से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर सरकार, कमिश्नर कुमायूं की जांच रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात् यदि आवश्यकता होगी तो विचार करेगी। अभी इस रिपोर्ट का परीक्षण जारी है।

श्री हरिदत्त कांडपाल---क्या मन्त्री जी रिपोर्ट के जनहित में न होने के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसे बहुत से विषय होते हैं जिनका मेज़ पर रखना जनहित में नहीं होता, उनमें यह भी है।

श्री प्रतापसिंह---जांच समिति ने गोली चलने के क्या कारण बताये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी उस रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है। मेरे सामने भी नहीं आई है, बतलाना सम्भव नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को जांच की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और जिन सरकारी अधिकारियों का गोली चलाने में हाथ था क्या आज भी वे अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---जो सरकारी कर्मचारी वहां थे उनमें से कुछ अपने पद पर हैं और कुछ दूसरे जिले में चले गये। कमिश्नर की रिपोर्ट २-४-५९ के पत्र के साथ प्राप्त हो गई।

श्री हरिदत्त कांडपाल---पीड़ित परिवार को हरजाने के मुआवजे क रूप में क्या दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---रिपोर्ट के परीक्षण के बाद ही कहा जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि बल्ला गंवाड़ पटवारी सर्किल में पड़ता है, तो वहां पुलिस को भेजने की क्या परिस्थिति हुई?

श्री रामस्वरूप यादव---श्री कमलसिंह की बन्दूक का लाइसेंस डिप्टी कमिश्नर अल्मोड़ा ने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद पटवारी व प्रधान गये कि वह बन्दूक जमा कर दे। लेकिन उसने बजाय जमा करने के झगड़ा किया और इसलिये पुलिस भेजी गई।

राजनीतिक पेन्शन पाने वालों की सूची न होना

*२३---**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन स्वीकृत करने के लिये कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया था?

श्री रामस्वरूप यादव---२६ अगस्त, १९५५ को विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य के राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची तैयार की जाय और उन्हें समुचित पेंशन दी जाय।

*२४--**श्री मुक्तिनाथ राय**---यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---राजनीतिक पीड़ितों को सरकार कुछ निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार यथासम्भव आर्थिक सहायता सन् १९४७ से देती आ रही है। इस प्रकार के व्यक्तियों की सूची तैयार नहीं करायी जा सकी क्योंकि इस कार्य को सम्पन्न करने में बहुत श्रम व समय लगता जबकि इतने श्रम से तैयार की जाने वाली सूची कुछ विशेष उपयोगी न होती।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को पता है कि इस नियम के लागू न करने से राजनीतिक पीड़ितों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है और १९५८-५९ में काफी राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---विशेष कठिनाई तो इल्म में नहीं आई। सरकार की ओर से यही प्रयत्न किया जाता है कि जिन्हें पेंशन मिल सकती है उन्हें मिल जानी चाहिये। अस्वीकृत तभी की जाती है जबकि वह उस कैटेगरी में नहीं आते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या कारण है कि अभी तक सरकार के द्वारा पोलिटिकल सफ़रर्स को जो पेंशन दी गई हैं उनकी लिस्ट नहीं बनाई गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने कहा था कि विशेष कठिनाई तो नहीं पड़ती है। यथासम्भव यही कोशिश की जाती है कि जिन्हें मिलनी चाहिये उन्हें अवश्य मिल जाय।

क्षय रोगियों की जिलेवार सहायता

*२५---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--- क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिलेवार क्षय रोगियों की संख्या क्या है, जिन्हें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री के पूर्तिनिधि (चैरिटी फंड) से पृथक्-पृथक् वित्तीय वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में सहायता दी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री के पूर्तिनिधि (चैरिटी फंड) से वित्तीय वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में क्षय रोगियों को दिये गये अनुदानों की जिलेवार संख्यायें संलग्न तालिका में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९१-८९२ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--- क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी पूर्तिनिधि की स्थापना भारत सरकार के सुझाव पर की गई थी ? यदि हां, तो यह कब की गई थी और भारत सरकार इस निधि में प्रतिवर्ष कुछ सहायता देती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा तो मेरा खयाल नहीं है कि भारत सरकार इसमें कुछ देती है। कई वर्ष से यह निधि चल रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्षय रोगियों को सब से अधिक किसको और कम किसको और कितने कितने की सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आमतौर से २५ रुपये से १०० रुपये तक दिया जाता है। जो ज्यादा दुखी होता है उसमें कुछ बढ़ा दिया जाता है।

श्री उग्रसेन---यह देखते हुये कि प्रदेश में क्षय रोगियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है क्या मंत्री जी इन रोगियों के लिये भुवाली सेनेटोरियम में फ्री वार्ड बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वहां भी है और गेठिया में भी है। जिलों में क्लीनिक खोलने पर विचार किया जा रहा है। भुवाली में ज्यादा विस्तार का प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---तालिका देखने से ज्ञात होता है कि सहायता प्राप्त क्षय रोगियों की संख्या कम होती गई है। तो क्या प्रदेश में क्षय रोग कम होता जा रहा है या सहायता देने में उदारता नहीं बरती जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो आता है उसे मैं थोड़ा बहुत जरूर देता हूं, किसी को इन्कार नहीं करता हूं।

श्री प्रतापसिंह---१९५७-५८ और १९५८-५९ में रोगियों पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब यह तादाद तो बताना कठिन है लेकिन काफी ग्रान्ट दी गयी ?

फर्रुखाबाद जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स की स्वीकृति

*२६---**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में १९५७-५८ व १९५८-५९ में थानेवार कितने प्रार्थना-पत्र fire-arms के लाइसेन्स प्राप्त करने के हेतु आये, उनमें कितने थानेवार स्वीकृत हुए?

श्री रामस्वरूप यादव--- सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९३ पर)

श्री होरीलाल यादव--- संलग्न सूची को देखने से मालूम होता है कि लाइसेंसों को देने में काफी कृपणता बरती गई है तो क्या सरकार जिला अधिकारियों को सलाह देगी कि वे अधिक उदारता बरता करें ?

श्री रामस्वरूप यादव---लाइसेंस देने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश पहले से मौजूद हैं और वह विश्वसनीयता और योग्यता के आधार पर जिला अधिकारियों को देने चाहियें। दोबारा आदेश देने की कोई जरूरत मालूम नहीं होती।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि लाइसेंस किस आधार पर दिया जाता है ? ऐसा देखा गया है कि जिनकी हैसियत है उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता और जिनकी कोई हैसियत नहीं है उनको लाइसेंस दे दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि ऐसी प्रथा है कि लाइसेंस प्रार्थी की आवश्यकता, क्षमता, विश्वसनीयता और योग्यता के आधार पर दिये जाते हैं। यदि किसी विशेष व्यक्ति को न दिया गया हो तो उसको अधिकार है कि वह कमिश्नर को अपील करे तथा सरकार को भी वह रिप्रेजेन्टेशन भेज सकता है ।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लाइसेंस देने का क्या कोई आधारभूत सिद्धांत है, जिसके अनुसार अपील की जा सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके बारे में मैंने बता दिया कि वह विश्वसनीयता और योग्यता के आधार पर दिया जाता है ।

श्री हरदयालसिंह---वह योग्यता कौन है जिसके लिये अपील की जा सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—योग्यता का पैमाना बता सकना संभव नहीं है । जिला अधिकारी को यह अधिकार है कि वह यह देखे कि किस आदमी को लाइसेंस मिलना चाहिये अथवा नहीं ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—थानेदार और तहसीलदार की सिफारिश करने पर भी कलेक्टर ने कितने लाइसेंस खारिज कर दिये और क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—लाइसेंस देने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है, वही जानकारी के लिये थानेदार से रिपोर्ट मंगा लेते हैं ।

नारायणपुर बनपुरा में 'केवल' हरिजन का कत्ल तथा कन्हई पुरवा में श्री मूलचन्द के घर डकैती

*२७—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में थाना कन्नौज के अन्तर्गत नारायणपुर बनपुरा में जनवरी, १९५९ में किसी हरिजन की हत्या हुई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । दिनांक २५-१-५९ को केवल हरिजन का कत्ल हुआ था । इस सम्बन्ध में उसी दिन थाना कन्नौज में धारा १४८/३०२ भा०दं०वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ और ५ अभियुक्तों का चालान किया गया । मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है ।

*२८—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला फर्रुखाबाद में ठठिया के अन्तर्गत कन्हई पुरवा ग्राम में ११-१२ जनवरी, १९५९ को कोई डकैती पड़ी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—दिनांक १२-१-५९ को थाना ठठिया के अन्तर्गत ग्राम कन्हई पुरवा में आधी रात के समय मूलचन्द पुत्र जानकी प्रसाद लोधी के घर डकैती पड़ी । इस सम्बन्ध में उसी दिन थाना ठठिया में धारा ३९६ भा०दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ और ७ अभियुक्तों का चालान किया गया । मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस डकैती में कितने आदमियों की जानें गयीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—दो व्यक्तियों की जानें गयीं ।

श्री होरीलाल यादव—उक्त डकैती में कितने व्यक्ति फरार हैं । उनको गिरफ्तार करने का क्या उपाय किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—७ अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है जो जज के विचाराधीन हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या डकैती के अभियुक्तों के यहां माल भी बरामद हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बतायेगी कि जो लोग मर गये हैं, उनको पेंशन देने के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों ने कोई सिफा रिशकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री हरदयालसिंह---क्या यह सही है कि डकैती पड़ जाने के बाद जब थाने में रिपोर्ट की गयी तो उसको कत्ल लिखा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी इत्तला तो नहीं है ।

राज्य की ओर से चल चित्रों का निर्माण

*२९---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा वर्ष १९५८-५९ में तीन चल चित्रों के निर्माण के आदेश किन-किन बाहरी संस्थाओं को दिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---१९५८-५९ में एक फिल्म के निर्माण का आदेश नया संसार इंटरनेशनल, बम्बई तथा दूसरे फिल्म के निर्माण का आदेश सिने यूनिट आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूना को दिया गया है । तीसरे फिल्म के बारे में अभी पत्र व्यवहार ही हो रहा है ।

*३०---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तीन चल चित्रों की पृथक्-पृथक् लागत, खर्च और विषय क्या हैं और कितना-कितना रुपया प्रत्येक चल चित्र के निर्माण हेतु पेशगी दिया जा चुका है] ?

श्री रामस्वरूप यादव---उपर्युक्त दो चलचित्रों के विषय तथा उन पर अनुमानित पृथक्-पृथक् लागत निम्न प्रकार है :---

(१) उत्तर प्रदेश में सहकारिता कार्य १२,५०० रुपये
(२) उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश की क्वालिटी मार्किंग योजनायें २२,५०० रुपये

किसी भी चलचित्र के निर्माण के लिये पेशगी रुपया नहीं दिया गया है ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि तीसरी फिल्म किस विषय के ऊपर बनवाने का प्रस्ताव है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अपने देश का इतिहास और कल्चर उसमें आ जावे, उस विषय पर विचार हो रहा है ।

*३१---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २१ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

लैगड़ी ग्राम की मालगुजारी वसूली में कुर्क अमीन की ज्यादती की शिकायत

*३२---**श्री उग्रसेन**---क्या न्याय मंत्री के पास देवरिया के एक विधायक द्वारा दिनांक २६-२-५९ को इस आशय की शिकायत आयी है कि दिनांक २८-१-५९ तथा २-२-५९ को कुर्कअमीन, तहसील हाटा ने अवैधानिक तौर पर पुलिस की मदद से मालगुजारी वसूली में ग्राम लैंगड़ी, तहसील हाटा, जिला देवरिया के १ दर्जन से अधिक व्यक्तियों को मारा ? यदि हां, तो सरकार ने क्या इस की जांच की ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी हां । शिकायत की जांच की गई और मारने तथा मालगुजारी की वसूली में पुलिस की मदद लेने की शिकायत निराधार पाई गई ।

*३३---**श्री उग्रसेन**---क्या न्याय मंत्री उक्त घटना की जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---रिपोर्ट गोपनीय है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुर्कअमीन के साथ घटनास्थल पर पुलिस गयी थी या नहीं गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब अमीन गया था मुन्नी राव के खिलाफ वारन्ट लेकर तो उसको मुन्नी राव और उनके आदमियों ने मारा था। उसकी रिपोर्ट जब उसने पुलिस में की तो उसके बाद वहां पुलिस गयी थी।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी के पास लैगड़ी गांव के श्री राजदेव, बंशीधर, हीरा आदि २२ आदमियों ने दरख्वास्त भेजी थी कि उनको बंधवा कर दारोगा और तहसीलदार ने पिटवाया और उनको बांध कर हाटा तहसील में ले गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इन्क्वायरी की गयी तो बंधवाने की बात गलत साबित हुई।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जांच की गयी तो उसमें कुछ गवाहों के बयान भी लिये गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गांव सभा के चेयरमैन, सरपंच और दूसरे कई आदमियों के बयान लिये गये थे।

श्री हरदयालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ?

श्री हुकुमसह विसेन--तहसीलदार ने की थी।

श्री उग्रसेन--माननीय मंत्री जी ने जिस रिपोर्ट को गोपनीय कहा है उसका कुछ खुलासा सदन की मेज पर रख सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आरोप निराधार थे, यही उसका खुलासा है।

समाजवादी दल के नेतृत्व में सलेमपुर के तहसीलदार को किसानों का मांग-पत्र

*३४--श्री उग्रसेन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया के किसानों ने दिनांक २३-२-५९ को तहसीलदार के समक्ष प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस मांग-पत्र को सोशलिस्ट पार्टी ने उक्त तिथि को सलेमपुर तहसीलदार को दिया था वह प्रार्थना-पत्र उनके पास पहुंचा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अब पता लगाऊं तो बतला सकता हूं।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, फरवरी में यह प्रार्थना-पत्र दिया गया था। क्या यह सही है कि वह मांग पत्र माननीय मंत्री जी के पास पहुंच चुका है और यदि पहुंचा है तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमको तो याद नहीं है और न वह इस वक्त मेरे सामने है। पहुंचा होगा तो उसे देख लूंगा और देख कर ही बतला सकूंगा।

श्री राजनारायण--मेरा एक वैधानिक प्रश्न है, श्रीमन्। क्या जिस प्रश्न का उत्तर देना हो, उसका उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी का यह कहना कि इसकी सूचना नहीं है, यह वैध है ? उत्तर तैयार नहीं था तो लिखना चाहिये था कि आज जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष--वह एक दो बार ही समय ले सकते हैं अधिक नहीं।

श्री राजनारायण---जब उन्हें सूचना चाहिये थी तो यह आज आया ही क्यों ?

श्री अध्यक्ष---यह जवाब देने का अधिकार उनको है लेकिन जब सूचना उनके पास आ जायगी तो वह भी दे देंगे।

श्री राजनारायण---क्या यह फिर लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---यह इसलिये रख दिया गया कि कहीं ऐसा न हो कि महीनों पोस्टपोन होता रहे और सदन के सामने न आये, यह लाया गया है ताकि सदन को मालूम हो जाय कि सूचना मिल रही है। वैसे अभी आगे फिर यह सदन में आयेगा।

श्री उग्रसेन---मेरी इत्तला है कि दस दिन पहले ही यह विभाग में आ गई है। क्या मैं सवाल कर लूं ?

श्री अध्यक्ष---अब इस पर प्रश्न नहीं होंगे।

*३५---**श्री उग्रसेन**---[हटा दिया गया।]

क्षय रोगियों को स्वास्थ्य मंत्री के 'पूर्तिनिधि' से सहायता

*३६---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७, ५७-५८ तथा ५८-५९ में क्षय रोगियों के लिये स्वास्थ्य मंत्री के पूर्ति निधि "चैरिटी फंड" में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---क्षय रोगियों को सहायतार्थ अनुदान देने के लिये स्वास्थ्य मंत्री के पूर्तिनिधि "चैरिटी फंड" में निम्नांकित वर्षों में उनके सामने दी गई धनराशियां उपलब्ध थीं:---

वर्ष	कुल धनराशि
१९५६-५७	८९,००० रुपये
१९५७-५८	७३,००० रुपये
१९५८-५९	५७,५०० रुपये

*३७---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन क्षय रोग संस्थाओं के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं जिन्हें उक्त पूर्तिनिधि से सहायता हेतु धन दिया गया तथा उक्त संस्थाओं को ऊपर लिखे वित्तीय वर्षों में सहायता हेतु कितना धन दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश में क्षय रोगियों की संख्या बढ़ रही है परन्तु बजट में इस रोग के निवारणार्थ रकम या फंड कम होता जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो बिल्कुल डाउटफुल है कि उन की संख्या बढ़ रही है, उस के मरीजों को सुविधा मिलती है तो आते हैं बाकी यह कहना कि उन की संख्या बढ़ रही है इससे मैं सहमत नहीं हूं।

उन्नाव जिले में दफा १०७ के अन्तर्गत दण्ड

*३८---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगनाधीश, सफीपुर, पुरवा, हसनगंज तथा उन्नाव तहसीलों की अदालतों से १ जनवरी, सन् १९५९ से ३० अप्रैल, सन् १९५९ तक पृथक्-पृथक् कितने व्यक्ति धारा १०७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत जमानत की तसदीक न होने की बिना पर जल में बन्द किये गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—परगनाधीश हसनगंज:—४१ व्यक्ति जमानत तसदीक न होने की बिना पर बन्द किये गये और बाद में छोड़े गये।

परगनाधीश सफीपुर:—१८ व्यक्ति जमानत तसदीक न होने के कारण बन्द किये गये।
परगनाधीश पुरवा:—कोई व्यक्ति बन्द नहीं किया गया।
परगनाधीश उन्नाव:—कोई व्यक्ति बन्द नहीं किया गया।

*३९—**श्री सजीवन लाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त अदालतों से इसी अवधि में पृथक्-पृथक् कितने व्यक्ति धारा १०७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत जमानत की बिना तसदीक हुये रिहा किये गये?

श्री बलदेवसिंह आर्य—परगनाधीश हसनगंज : १५१ व्यक्ति जमानत बिना तसदीक कराये छोड़े गये।

परगनाधीश सफीपुर:—५६ व्यक्ति बिना जमानत तसदीक कराये छोड़े गये।
परगनाधीश पुरवा:—१०२ व्यक्ति बिना जमानत तसदीक कराये छोड़े गये।
परगनाधीश उन्नाव:—८ व्यक्ति बिना जमानत तसदीक कराये छोड़े गये।

श्री सजीवनलाल— क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ४० व्यक्ति जमानत की तसदीक न होने के कारण जेल भेजे गये इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां ब्रीच आफ पीस का खतरा इम्मीनेंट था।

श्री सजीवनलाल—क्या यह सच है कि परगनाधीश से लोगों की रंजिश थी और उन्होंने तहसीलदार को हिदायत दे रखी थी कि देर होनी चाहिये, इसी वजह से तसदीक नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी सूचना हमें नहीं है।

जातिवाद के प्रचारकों का हजरतगंज, लखनऊ में जलूस

*४०—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख २३-२-५९ को सायं ६ बजे के लगभग एक जुलूस हजरतगंज, लखनऊ की सड़क से होकर गुजरा जो कि "ब्राम्हणी कानून तोड़ दो, अछूत-अछूत एक हो, आर्यों भारत छोड़ो राम राज्य का नाश हो, ब्राह्मण का नाश हो, अम्बेडकर की जै, राम स्वामी नायकर की जै" आदि नारे लगा रहा था ? यदि हां, तो इन जातिवाद क प्रचारकों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक जलूस दिनांक २३-२-५९ को सायंकाल के समय 'हजरतगंज, लखनऊ से होकर निकला था जो कि निम्नलिखित नारे लगा रहा था :—

(१) भगवान रविदास की जै हो।
(२) डाक्टर अम्बेडकर अमर हैं।
(३) आर्यों भारत छोड़ो।
(४) जम्बूदेश हमारा है।
(५) ब्राह्मणशाही नहीं चलेगी।
(६) पंडित शाही नहीं चलेगी।

उनके विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि उन्होंने किसी कानून को भंग करने तथा पुलिस हस्तक्षेपनीय अपराध करने की चेष्टा नहीं की।

नोट—तारांकित प्रश्न ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४१-४२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २१ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

पिठौरागढ़ थानान्तर्गत एक महिला के साथ बलात्कार

*४३--श्री प्रतापसिंह--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ५ मई, १९५९ को पिठौरागढ़ थाने में एक महिला पर बलात्कार किया गया ? यदि हां, तो किस के द्वारा और सरकार की ओर से अपराधियों को क्या दंड दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसे अपराध की रिपोर्ट थाना पिठौरागढ़ में मई, १९५९ में की गई। अपराधियों में तीन कांस्टेबुल श्री डोरी सिंह, श्री भगवती प्रसाद और श्री खुशी राम और दो अन्य व्यक्ति श्री दया कृष्ण और श्री जमन राम हैं। मुकदमा अदालत में चल रहा है। तीनों कांस्टेबुलों को मुअत्तल कर दिया गया है।

रानीखेत में अग्निपीड़ितों को सहायता

*४४--श्री प्रतापसिंह--क्या यह सही है कि माह मई में रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में अचानक आग लग गई ? यदि हां, तो कितना धन व सम्पत्ति का नुकसान हुआ और सरकार की ओर से क्या मदद दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। ९ बड़ी इमारतें जल गई व ५ इमारतों को तोड़ना पड़ा। कुल क्षति का अनुमान लगभग २० लाख रुपये है। सरकार की ओर से सहायता का विवरण इस प्रकार है :--

(१) ५,००० रुपये की तात्कालिक अहेतुक सहायता।

(२) २,००० रुपये की गृह मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता।

*४५--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १४ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

पछवादून क्षेत्र में ओला पीड़ितों को सहायता

*४६--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देहरादून पछवादून क्षेत्र के कुछ भाग में पिछली रबी की फसल में ओलाबारी से नुकसान हुआ था ? यदि हां, तो उस नुकसान के होने के कारण वहां के रहने वालों के लिये सरकार ने राहत की क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

क्षतिग्रस्त ग्रामों के रहने वालों के लिये राहत की जो कार्यवाही की गई वह इस प्रकार है :--

(१) मालगुजारी में २४,३१५ रुपये १३ नये पैसे की वसूली स्थगित की गई और उसमें से १५,४२९ रुपये ४९ नये पैसे की छूट देने का प्रस्ताव है।

(२) ५,००० रुपये की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में बांटी गई।

(३) २०,००० रुपये की धनराशि तकावी के रूप में बांटी गई।

बहराइच जिले में विमोचित जातियों को बसाने की योजना

*४७--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विमोचित जातियों को बसाने के लिये जो भूमि जिला बहराइच में चुनी गई है उसमें कितने परिवारों को बसाने की योजना है और कुल कितना धन व्यय होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१०० परिवारों को बसाने की योजना है। लगभग ३,२७,००० रुपया व्यय होगा।

*४८--**श्री गंगाप्रसाद**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त स्थान पर जहां विमोचित जातियां बसाई जा रही हैं, बरसात में आने-जाने का क्या साधन है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ग्राम मझवां व बोझियां जहां भूमि ली गई है, रेलवे स्टेशन मुरतिहा से ५ मील दूरी पर है। बरसात में आने-जाने का साधन बैलगाड़ी तथा पैदल का रास्ता जंगल में होकर है।

*४९--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २१ अगस्त, १९४८ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में मध्यवर्तियों का पुनर्वासन अनुदान

*५०--**श्री अमरनाथ**--क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कितने मध्यवर्तियों को गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसीलों में पुनर्वासन अनुदान देना शेष है और देने की रकम प्रत्येक तहसील में क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है।

हापुड़ में मेडिकल अफसर का क्वार्टर न होना

*५१--**श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ में इस समय तक मेडिकल अफसर के क्वार्टर न बनने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हापुड़ में इस समय तक मेडिकल आफिसर का क्वार्टर धनाभाव के कारण नहीं बन सका।

*५२--**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २१ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग, आगरा क्षेत्र के अधीन अध्यापकों के मामले

*५३--**श्री हिम्मतसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के यहां कितने अध्यापकों के झगड़े कितने वर्षों से अभी तक पड़े हुये हैं और किस-किस स्कूल के हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्र की जा रही है।

डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के विद्यार्थियों तथा पुलिस के बीच संघष से संबंधित जांच रिपोर्ट

*५४--**श्री मोतीलाल अवस्थी तथा श्री मदन पांडेय**--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत १ व २ मार्च, ५९ को डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के विद्यार्थियों व पुलिस संघर्ष के फलस्वरूप जो जांच सरकार द्वारा बैठायी गयी थी उस जांच का क्या परिणाम निकला तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कमिश्नर की जांच रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है और विचाराधीन है। विचार हो जाने पर ही परिणाम निकाला जा सकेगा और यदि आवश्यकता होगी तो कार्यवाही की जायगी।

*५५--श्री मोतीलाल अवस्थी तथा श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त घटना से सम्बद्ध कुछ विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा मुकदमें भी चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त मुकदमे कितने विद्यार्थियों पर, किस-किस दफा के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

१० विद्यार्थियों के विरुद्ध धारा १४७, ३२३, ३५३, ३३२, ३३६, आई० पी० सी० के अन्तर्गत तथा २९ विद्यार्थियों पर धारा १४७, ३२३, ३३२, ३५३, ३३६, १८८, आई० पी० सी० के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त ११ छात्रों के विरुद्ध धारा ३९४ आई० पी० सी० के अन्तर्गत रजिस्टर किये गये ३ मामलों में जांच हो रही है और १०-१२ छात्रों के विरुद्ध धारा १४७, ३२३, ३३२, ३४२, १८८, आई० पी० सी० के अन्तर्गत रजिस्टर किये गये मामलों में अन्तिम रिपोर्ट भेज दी गयी है ।

पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए हाई पावर कमीशन की नियुक्ति

*५६--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु राज्य सरकार ने किसी High Power Commission की नियुक्ति करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो उस कमीशन का अधिकार क्षेत्र क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, परन्तु अभी उसकी रूपरेखा एवं अधिकार क्षेत्र निर्धारित नहीं किये गए हैं ।

*५७-५८--श्री चन्द्रजीत यादव--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २१ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

जरीफनगर व विनावर थानों की अपराधों के संबंध में जानकारी

*५९--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में थाना जरीफनगर व विनावर के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९५९ से ३० जून, १९५९ तक कितने कत्ल व डकैतियां हुईं और उनमें क्या कार्यवाहियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में थाना जरीफनगर में डकैती की कोई घटना नहीं हुई परन्तु कत्ल की एक घटना हुई जो अब तक जेर तफतीश है । थाना विनावर में कत्ल अथवा डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।

चकबन्दी कार्यालय, गोरखपुर में कुछ अपराधी सहायक चकबन्दी अधिकारी

*६०--श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--क्या यह सही है कि चकबन्दी कार्यालय जिला गोरखपुर में कुछ ऐसे ए० सी० ओ० अपने पदों पर पहले की तरह काम कर रहे हैं जिनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने धारा ४६६ आई० पी० सी० और २१८ आई० पी० सी० के मातहत अपराधी २०-४-५९ को घोषित किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*६१--श्री हिम्मतसिंह--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २१, अगस्त १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिलान्तर्गत शारदा नदी में नौका दुर्घटना

*६२--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १४ जून, १९५९ से १४ जुलाई, १९५९ तक जिला खीरी के अन्तर्गत शारदा नदी में कितनी नावें डूबीं और उनमें कितने आदमी मरे और कितना सामान नष्ट हुआ ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जो नावें डूबीं वे डोंगिया यानी पतवरियां थीं, या चम्पू यानी बड़ीं थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस अवधि में जिला खीरी के अन्तर्गत शारदा नदी में केवल एक पतवरिया नाव डूबी। इस दुर्घटना में दो पुरूष व एक स्त्री डूब गये। साथ ही ६ साइकिलें भी डूब गईं।

मेरठ विश्वविद्यालय संबंधित समिति का प्रतिवेदन

*६३---श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो कमेटी नियुक्त की गयी थी उसकी रिपोर्ट आ गई है या नहीं ? यदि आ गई है, तो उसकी संस्तुतियां क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है, अभी संस्तुतियां नहीं बताई जा सकती हैं।

अलीगढ़ जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंसदार

*६४---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार अलीगढ़ जिले में जिन व्यक्तियों के पास ५ से अधिक असलहा के लाइसेंस हैं उनकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९४ पर)

श्रीनगर राजकीय माध्यमिक बालिका पाठशाला का उच्चीकरण

*६५---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीनगर (गढ़वाल) की राजकीय माध्यमिक बालिका पाठशाला का उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय में उच्चीकरण (up-grading) कब होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पिछले सत्र (१९५८-५९) में हो गया है।

गढ़वाल जिले की प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को सहायता, प्रारंभिक पाठशालाओं को भवन निर्माणार्थ सहायता न मिलना, सच्चिदानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रुद्रप्रयाग का प्रदेशीयकरण

*६६---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत बजट वर्ष में गढ़वाल जिले की कितनी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को कितनी और किस प्रकार की सहायता सरकार ने दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---†सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

*६७---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या यह सही है कि गढ़वाल जिले में सन् ४९ और ५२ के दर्मियान बनी लगभग १०८ प्रारम्भिक पाठशालाओं को सरकार ने भवन निर्माण अनुदान के रूप में कुछ भी नहीं दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां।

*६८---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगामी एक वर्ष के अन्दर गढ़वाल जिले के किन-किन विद्यालयों के प्रदेशीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

---

†सूचना छापी नहीं गई।

श्री कमलापति त्रिपाठी--केवल स्थायी सच्चिदानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्र प्रयाग गढ़वाल का ।

प्रश्नों के स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं । आप देखें कि कई प्रश्नों के सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि वांछित सूचना एकत्र न होने के कारण स्थगित किये गये । तो प्रश्न का उत्तर समय पर नहीं मिल रहा है । दूसरे जो प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं वह इनकम्पलीट होते हैं । बजाय इसके कि उनके लिये समय मांगा जाता और इनकम्पलीट उत्तर न दिये जाते, ऐसे उत्तर दिये जाते हैं । तीसरी आपत्ति मेरी यह है कि.....

श्री अध्यक्ष--आपकी कई आपत्तियां हैं । आप कृपा करके मेरे कमरे में आ जांय, वहां मैं आपकी सब बातें सुन लूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--समय तमाम मांगा जाता है लेकिन उत्तर ठीक नहीं दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष--उसकी जांच करके मैं जवाब दे सकूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जांच की रिपोर्ट आप हाउस में दें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । आप पहले मुझे आकर बतावें तब तो जांच होगी ।

सदन के अन्दर या उसके बाहरी दायरे के अन्दर अनधिकृत पर्चा बंटने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने पेश करना चाहता हूं । जहां तक मुझे याद है, आपने एक बार ऐसी व्यवस्था दी थी कि कोई बाहरी पर्चा चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, किसी के खिलाफ हो या किसी प्रचार का हो, इस सदन के अन्दर या इसके बाहरी दायरे के अन्दर नहीं बटेगा । माननीय सदस्यों के साहित्य के लिये जो पिजन होल बने हुए हैं, उनमें आज एक बाहरी पर्चा छपा हुआ इसी सदन के एक माननीय सदस्य के खिलाफ, हर एक पिजन होल में रख दिया गया है । वह माननीय सदस्य श्री धनुषधारी पांडेय के खिलाफ है । यह बात अनुचित है ।

श्री अध्यक्ष--इस तरह की चीज जो आज की गई वह मैं समझता हूं कि अवैधानिक है और किसी सदस्य को नहीं करनी चाहिये । यह मुझे मालूम हुआ और मुझे बड़ा दुख है । इस विषय में मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वह यह है कि वहां झाड़ू लगाने वाला देख रहा था कि किसी सदस्य ने पिजन होल के अन्दर कुछ पर्चे रखे जिससे कि सबको मिल जाय । हमरे सेक्रेटरी ने उनको निकलवाकर, जहां तक संभव हुआ, जिन लोगों ने पा लिये उन पर तोचले गये बाकी को डिस्ट्राय करने के लिये कह दिया है । लेकिन जांच करने का जब सवाल आया और झाड़ू वाले को पूछा तो वह नाम नहीं बता सका, लेकिन वह शायद उस व्यक्ति को पहचानता है । तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित होता कि मैं उस झाड़ू वाले के सामने सब सदस्यों को पहिचनवाऊं, क्योंकि बात यह है कि सभी सदस्यों की इसमें तौहीन हो सकती है । इसलिये मैंने यह समझा कि इसकी एक दफा और जांच करके अगर पता लग सके तो मैं उन महाशय से यह कह दूं कि इस तरह की चीज आइंदा नहीं होनी चाहिये और जो उचित कार्यवाही हो करूं, लेकिन मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि यह बहुत अनुचित बात है । ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये । अगर सदस्यों में से किसी ने की है तो बहुत अनुचित है ।

मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब, कल जो विवाद चल रहा था अविश्वास के प्रस्ताव पर वह जारी रहेगा और श्री सजीवनलाल जी जो कल बोल रहे थे भाषण जारी रखेंगे ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--श्रीमन्, बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं लिहाजा एक घंटे सदन का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--आज किसी वक्त इस प्रस्ताव पर राय ले ली जाएगी। अगर किसी को आपत्ति न हो तो मैं अभी राय ले लेता हूं ।

कुछ सदस्य--आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस समय चलने दीजिये । आपस में आप लोग बातचीत करने की कोशिश कीजियेगा ।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--मुझे आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं इस समय चलने दीजिये । आप दोपहर में दूसरों को राजी कर लें और आपस में बातचीत कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

माननीय सजीवनलाल कल भाषण दे रहे थे अब वह अपना भाषण जारी रखें । आपके ६ मिनट बाकी हैं ।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--मैं कल अध्यक्ष महोदय, इस बात का जिक्र कर रहा था जिस तरह से देश में अव्यवस्था फैल रही है, जिस तरह पुलिस का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और पुलिस किस तरह से इन मंत्रियों पर हावी है कोई भी शिकायत अगर मंत्री महोदय से की जाय तो उसका उल्टा नतीजा निलकता है । हमारे जिले के अन्दर अभी तीन डकैतियां पड़ीं, इन तीनों का जिक्र आई०जी० और डी०आई० जी० से किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । इतना ही नहीं मंत्री महोदय जब बारात कांड का जिक्र करते हैं तो कहते हैं उनका सर शर्म से झुक जाता है । लेकिन मैं समझता हूं इनके पास अब शर्म भी नहीं रह गई इस वजह से कि दिन पर दिन जब ऐसी घटनायें होती जायं तो क्या होगा ? आज मलिहाबाद तहसील और मलिहाबाद कस्बे के अन्दर किसी भले आदमी का निकलना मुश्किल है । ऐसी ऐसी घटनायें हैं जिनकी मंत्री महोदय जांच करवायें । मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इनकी जांच होनी चाहिये । जो कल फैक्ट्स और फीगर्स सदन के सामने रखे गये हैं मैं कहता हूं वह अधिकतर झूंठे हैं । मुझे अच्छी तरह से मालूम है मंत्री महोदय के यहां जो नक्शे टंगे हुये हैं अगर उनको मंगवा लिया जाय तो दो मिनट के अन्दर सदन के अन्दर साबित कर दूंगा जो सूचना विभाग की तरफ से तथा आपके यहां जो नक्शे आये हुये हैं वे गलत हैं और सदन स्वयं निश्चय करेगा कि सूचना विभाग किस तरह से झूंठी खबर सरकार के पास भेजता है । यह हालत जब हो जाय तो सरकार को इस जगह रहने का अधिकार नहीं है ।

इतना ही नहीं आज हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति बिगड़ती जा रही है । सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने में देर हो रही है। जो स्टेट ट्रेडिंग का कानून बनाया गया है उससे भी कोई राहत जनता को होने वाली नहीं है । दिन पर दिन गल्ला चोर बाजारियों के हाथ में जा रहा है । मैं कहता हूं किसी जमाने में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात को कहा था कि चोर बाजारियों को फांसी दी जायगी, गल्ला चोरों को फांसी दी जायगी । मैं इस सरकार से पूछता हूं कि इतने दिन बीत गये आपने किसी को सजा तक दी है, फांसी देने की बात तो दूर रही । अगर किसी को फांसी दी होती तो ऐसी बात न होती । मैं पूछता हूं क्या आपके पास फांसी देने के लिये रस्सियां

---

†६ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से ।

[श्री सजीवनलाल]

नहीं थीं ? अगर नहीं थीं तो मुझसे बताते मैं उन्नाव जिले के किसानों से मंगाता, कानपुर के बाजार से मंगाता, और फिर इस तरह की चोर बाजारी हमारे प्रदेश में नहीं बढ़ती । जिस प्रदेश के अन्दर एक एक दाने के लिये तबाही हो, किसान, मजदूर भूखा मर रहा हो उस समय मंत्रिगण उसकी गम्भीरता को न सोचें इससे ज्यादा और कौन घृणित घटना हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग विभाग के भीतर करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया जा रहा है । कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । होता यह है ऊट पटांग के काम होते हैं, कभी इधर की खिड़की उधर लगादी, कभी उधर की इधर । वह रुपया जनहित के काम में खर्च नहीं होता है । न सड़कें बनती हैं, जो आवागमन के साधन हैं वह भी नष्ट होते चले जा रहे हैं ।

लाखों रुपया ड्रेनों के ऊपर खर्च किया गया । लेकिन ठेकेदारों ने क्या किया कि जहां कहीं खुदाई में कंकड़ या पत्थर पड़ गये उसी जगह खोदना बन्द कर दिया । नतीजा यह है कि पानी आज भी नहीं निकलता । अगर ड्रेनों की सफाई होती तो पानी निकल जाता और लाखों एकड़ जमीन काश्त में आती जिससे खाद्य समस्या भी हल होती ।

देश के अन्दर बेकारी बढ़ रही है उसको दूर करने का रास्ता सरकार के पास है ? कई एक सुझाव दिये गये लेकिन उस तरफ अमल नहीं । एक तरफ लाखों बीघा जमीन परती पड़ी हो और दूसरी तरफ आदमी बेकार घूम रहे हों । अगर लाखों एकड़ जमीन के ऊपर लाखों बेकारों को लगा दिया जाय तो देश की बेकारी दूर हो जाय । लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है । जिन भूमिहीनों ने जमीन के ऊपर कब्जा भी कर लिया उनको ११५–बी के अन्दर आज बेदखल किया जा रहा है । यह हालत देश के अन्दर हो तो फिर क्या किया जा सकता है ।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)––अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि जो अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से आया है उसका औचित्य क्या है । माननीय विरोधी दल के नेता ने इस अविश्वास के प्रस्ताव के दो कारण बतलाये हैं एक अन्न के बढ़ते हुये भाव और दूसरे अपराधों की संख्या में वृद्धि ।

आज से साल भर पूर्व माननीय नेता, विरोधी दल को इस सदन में अविश्वास का प्रस्ताव ले आने का गर्व हासिल है और उस सिलसिले में उन्होंने यह कहा था कि उनको बड़ी जिस्मानी और रूहानी तकलीफ हो रही है उस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने में । श्रीमन्, उस समय जो गल्ले की स्थिति थी उससे आज भिन्न है जिसमें यह प्रस्ताव लाया गया है । उसके कई साल पूर्व खरीफ और रबी की फसल नष्ट हो चुकी थी और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य उसके विरोध में घेरा डालो आन्दोलन चला रहे थे । पी०एस०पी० के सदस्य भूख हड़ताल कर रहे थे । जनसंघ के सदस्य लगान न देने का आन्दोलन कर रहे थे । कम्युनिस्ट सदस्य प्रदर्शन करते थे कि मुझे रोटी दो या जेल भेज दो । मैं, श्रीमन्, निवेदन करूं कि उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में भिन्नता है । माननीय त्रिलोकी सिंह जी का एक लेख प्रकाशित हुआ है गल्ले के ऊपर जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी खरीफ व रबी की फसल दोनों अच्छी हुई हैं । मैं नहीं समझता कि जब खरीफ और रबी की फसलें दोनों अच्छी हुई हैं तो क्या कारण हो सकता है इस अविश्वास के प्रस्ताव के लाने के लिये ।

दूसरा कारण अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी का है । उन्होंने जो आंकड़े इस सदन में उपस्थित किये वे आंकड़े १९५८ के थे १९५९ के नहीं थे । अगर उन्होंने दिखलाया होता कि १९५९ में डकैती, चोरी व कत्ल की संख्या और भी बढ़ गयी है तो एक कारण हो सकता था, एक औचित्य हो सकता था प्रस्ताव लाने के लिये । श्रीमन्, मैं उनके अधिकार को इंकार नहीं करता हूं । उनको अधिकार है प्रस्ताव ले आने का । वे हर महीने में इस प्रकार का प्रस्ताव ले आ सकते हैं लेकिन इस प्रकार के प्रस्ताव ले आने से सदन का समय नष्ट होता है, रुपया जनता का खर्च होता है ।

एक बात मैं यह भी निवेदन करूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव जब आते हैं तो उनको जो और अधिकार हैं सरकार की निन्दा करने के, जब वे उनका इस्तेमाल कर लें तब इस आखिरी अस्त्र को उन्हें उठाना चाहिये। श्रीमन्, विरोधी दल यह जो आखिरी अस्त्र चलाते हैं उसके भयंकर परिणाम भी होते हैं। यदि यह प्रस्ताव कामयाब हो गया तो जाहिर है कि विरोधी दल सरकार बनायेंगे तो उनकी सरकार बनेगी कैसे ? माननीय जनसंघ के नेता, श्री झारखंडे राय जी के सिद्धांतों को कबूल नहीं करने वाले हैं। माननीय राजनारायण जी माननीय त्रिलोकी सिंह की बातों को मानने वाले नहीं हैं। तो किस प्रकार यह सरकार बनेगी और किस प्रकार चलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर यह प्रस्ताव गिर गया तो यह जाहिर बात है कि जनता की आस्था सरकार में और बढ़ जायगी। तीसरी बात यह है कि इस प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव जब आता है तो खास कर के सरकार की नीतियों की समालोचना होती है। जिस प्रकार के कल भाषण हुये उससे बड़ी निराशा हुई। वही पुलिस की शिकायत, वही कुछ बातों की शिकायत जैसी कि बजट के समय की जाती है या गवर्नर महोदय के भाषण के समय की जाती है। उसी प्रकार के भाषण हो रहे थे। तो इससे बड़ी मायूसी हुई।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने १४ रुपये मन में पंजाब से गेहूं खरीदा और मुनाफाखोरी कर के २० रुपये में जनता के हाथ बेचा। श्रीमन्, मैं जानता नहीं कि उनको यह इत्तला कहां से हुई कि सरकार ने १४ रुपये में गेहूं खरीदा। माननीय नेगीजी की तरफ से एक लेख प्रकाशित हुआ है जिससे यह स्पष्ट है कि वह गेहूं साढ़े १७ रुपये में खरीदा गया था और अगर माननीय त्रिलोकी सिंह जी की बात मान ली जाय कि ३ रुपये प्रति मन ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ेगा तो वह २० रुपये ही पड़ जाता है। तो कहां से इस सरकार ने मुनाफाखोरी की ? माननीय नेगी जी ने उस लेख में बताया है कि 'नो प्राफिट नो लास' की बेसिस पर जनता को गल्ला सप्लाई किया गया। यद्यपि पंजाब से यहां गेहूं लाने में अधिक खर्चा पड़ेगा, उसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेज, लोडिंग अनलोडिंग और बहुत से खर्चे पड़ जाते हैं फिर भी सरकार ने उस गेहूं को तो केवल २० रुपये में बेचा। इस प्रदेश में जो आजकल गेहूं का भाव है उसका अगर उस समय से मुकाबला किया जाय जब माननीय त्रिलोकी सिंह सन् ५८ में एक प्रस्ताव लाये थे तो आप देखेंगे कि इस समय का भाव उस समय के भाव से कम है, इसके अलावा गल्ले का भाव आमतौर से जून, जुलाई और अगस्त, इन तीन महीनों में बढ़ जाता है। हो सकता है कि इधर कुछ भाव बढ़ गये हों क्योंकि खरीफ की फसल तैयार नहीं रहती है, मोटा अन्न काश्तकारों को मिलता नहीं है, इसलिये अगर इन ३–४ महीनों में गल्ले का भाव बढ़ गया हो तो कोई घबराने की बात नहीं है इसलिए कि सितम्बर, अक्तूबर में वे फिर गिर जाते हैं।

आज मुझे समाचार-पत्रों में पढ़ कर बड़ा दुःख हुआ, उसकी सुर्खी है "यू०पी० पुलिस स्टेट"। माननीय विरोधी दल के नेता से यह आशा कभी नहीं थी कि वे इस स्टेट को पुलिस स्टेट बतायेंगे। पुलिस स्टेट कैसी होती है, क्या चीज होती है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज से कई साल पहले हमारे वित्त मंत्री माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब जब अपना बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट है और जो स्टेट अपने १ अरब २१ करोड़ बजट में से केवल साढ़े ९ करोड़ पुलिस पर खर्च करे और बाकी जनता के कल्याण के लिये खर्च करे वह किस प्रकार से पुलिस स्टेट कही जा सकती है मुझे बड़ा आश्चर्य है। माननीय हाफिज जी ने कई साल बाद इस बात को बजट भाषण में कहा कि हम सोशलिस्टिक स्टेट कायम कर रहे हैं। श्रीमन, बहुत हद तक यह सही है और हम इस दिशा की ओर जा रहे हैं। अभी जो एक नई पार्टी कायम हुई है उसकी शिकायत है कि हम कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन, मैं प्वाइंट आफ आर्डर पेश करना चाहता हूं। श्रीमन्, हाफिज जी केन्द्र में हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि बजट भाषण में उन्होंने अभी कहा, क्या यह वैध है ? हाफिज जी ने वेलफेयर स्टेट कहा। वह यहां कहां बजट पेश कर रहे हैं ?

श्री बेचनराम गुप्त—श्रीमन, मैं हाफिज जी की स्पीच का रिफरेन्स दे रहा था। कोई नई बात नहीं कह रहा था। माननीय राजनारायण जी की समझ का फेर है और कोई बात नहीं है। हम सोशलिस्टिक स्टेट कायम करने जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि हमने राजे-महाराजाओं को खत्म किया, जमींदारी खत्म की और अब सीलिंग करने जा रहे हैं, अधिकतम सीमा जमीन की निर्धारित करने जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि हम सोशलिस्टिक स्टेट कायम करना चाहते हैं। माननीय त्रिलोकी सिंह जी के यह कहने पर कि यह एक पुलिस स्टेट है, मुझे बहुत दुख हुआ और मैं समझता हूं कि शायद उनका यह मतलब न रहा होगा।

श्रीमन, एक बात यह कही गयी कि बेकारी यहां बहुत ज्यादा है और वह बराबर बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में निवेदन करूं कि बेकारी दुनिया के हर देश में है। रूस में है, अमरीका में है और हमारे प्रदेश में भी है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट यू० पी० की मार्च, १९५९ की छपी है उसके आंकड़े मैं श्रीमन, आप की आज्ञा से सदन के सामने पेश करना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जायगा कि बेकारी बढ़ी है या घटी है।

	सन् १९५५	सन् १९५९
फुल्ली इम्प्लायड	५८ प्रतिशत	८० प्रतिशत
अंडर इम्प्लायड	३५ प्रतिशत	२० प्रतिशत
बिल्कुल अनइम्प्लायड	८ प्रतिशत	२ प्रतिशत

इससे स्पष्ट है कि बेकारी की समस्या को दिन प्रति दिन सरकार हल कर रही है।

कल राजनारायण जी ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा था कि कुछ माननीय सदस्यों के पास किसी कम्पनी के शेयर्स हैं और एक मंत्री जी के पास भी हैं इसलिये वह भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। हमारे सदन में जिला परिषद् का जो बिल आया है उसकी धारा ९ की उपधारा (४) (१) में लिखा हुआ है कि किसी ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के शेयर्स लेने से कोई डिसक्वालीफाइड नहीं होता है। एक बात उन्होंने और कही और वह यह कही कि माननीय मंत्री जी के हाउस का असेस्मेन्ट कम है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री बेचनराम गुप्त—दो मिनट और दे दें, श्रीमन, मुझे यह कहना है..

श्री अध्यक्ष—अब बहुत ज्यादा समय हो गया है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं कल से सुन रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल की ओर से इस बात के ऊपर बड़ा तर्क किया जा रहा है कि अगर नीति में विरोध नहीं तो यह अविश्वास क्यों और इस तर्क के लिये भी मैं देख रहा हूं कि कुछ आदत सी हो गई है कि मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस अपनी जैसे वेद वाक्य हो गई है। इसको बार-बार घोटा जाता है। मैं समझता था कि मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस, इंगलैंड का कांस्टीटयूशन अनरिटेन होने के कारण, उनकी परम्पराओं का एक संकलन है। वह वेद वाक्य नहीं है। जहां तक मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस की बात है उसमें ऐसे भी उदाहरण स्पष्ट मौजूद हैं जब कि गवर्नमेंट के ऐक्ट्स आफ ओमिशन ऐण्ड कमीशन तथा ऐडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर के खिलाफ भी वोट आफ नो कांफिडेन्स आया है। यह कहना कि केवल नीतियों के विरोध में आया है तर्क संगत नहीं है। अभी न्यासालैंड के ऊपर इंगलैंड में जो इन्क्वायरी बैठी थी और वहां की जो कंजरवेटिव

सरकार द्वारा उपेक्षा की गयी वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर था। उस पर लेबर दल की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव आया था। जहां तक जनसंघ का प्रश्न है उस का अविश्वास सरकार की नीतियों पर भी है और उसके ऐक्ट्स आफ ओमिशन्स ऐण्ड कमीशन्स पर भी है।

मैं पुलिस के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं पहले ऐडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर और ऐक्ट्स आफ ओमिशन्स ऐण्ड कमीशन्स पर ही कहूंगा। स्वायत्त शासन जिसका बहुत ही हंगामा है, जिसके बारे में घोषणा भी होती है, जिसके आधार पर हम शक्ति का विकेन्द्रीकरण भी करना चाहते हैं, मैं उसको लेता हूं। चाहते आप भले ही हों लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, इस कसौटी पर आपके कार्य को देखना पड़ेगा। यह देखना पड़ेगा कि आप को उस में कहां तक सफलता मिली है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बुनियाद जो है, पंचायत, उससे मैं शुरू करूंगा। आपने कहा कि हमने पंचायतों का निर्माण किया लोगों को स्वशासन देने के लिये, ग्रामीण जनता को शासन का अनुभव कराने के लिये, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये। लेकिन आज आपने पंचायतों का चित्र क्या बनाया है? आज पंचायत के अधिकारों का प्रयोग पंचायत सेक्रेटरी जो सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी है, कर रहा है। पंचायतें अगर कोई कार्य करना चाहती हैं और अगर एस० डी० ओ० उस कार्य से सहमत नहीं है तो उसको अधिकार है कि वह इनकार कर दे। आपने वास्तव में पंचायत के पंचों और सभापति को शक्ति नहीं दी है। उनको सरकारी कर्मचारियों का अंग मात्र बना दिया है। यदि मैं यह कहूं कि एक अनपेड ब्युरोक्रेसी का सर्जन मात्र कर दिया है और गांवों में पार्टीबन्दी खड़ी कर दी है, तो गलत न होगा। पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनमें कौन लोग जीतते हैं यह हम सब जानते हैं। जिस प्रजातंत्र की आप रोज कसमें खाते हैं और दुहाई देते हैं उसका एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि सीक्रेट वोटिंग हो। क्या आपने उस मूलभूत आधार को हटा कर ओपेन वोटिंग करके, जातीयता और लठैतों को प्रोत्साहन नहीं दिया है? किसकी हिम्मत है कि ओपेन वोटिंग में हाथ उठाये, जिसे विलेज बुली कहा जाय या गुंडा कहा जाय, उसके खिलाफ? आज इन पंचायतों में जो पंच या प्रधान जो भी चुनाव के अन्दर चुने गये हैं वह इस प्रकार के लोग हैं जो कि जातीयता या डंडे के आधार पर चुन कर आये हैं, समाज सेवा के आधार पर नहीं आये हैं। उनसे हम आशा करें कि उनसे समाज की भलाई होगी यह दुराशा मात्र है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह उसी प्रकार हुआ जैसे एक चित्रकार विनायक बनाने चला और बना कर रख दिया बंदर। आप म्युनिसिपैलिटियों को ले लें। मंत्री जी कह देंगे कि म्युनिसिपैलिटीज में बड़ी दलबन्दी है। मैं उन म्युनिसिपैलिटियों की बात नहीं करता। मैं कबाल टाउन्स को ले लेता हूं जहां बड़े दूध के धोये, बड़े प्रामाणिक सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। मैं सभी कबाल टाउन्स को नहीं, लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को ही ले लेता हूं। हम क्या देखते हैं? सड़कों पर जैसी गंदगी थी वैसी ही मौजूद है। रोशनी और पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी-अभी अखबारों में आप ने देखा कि कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पानी की आवश्यकता पड़ने पर पानी प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी मोहल्ले में चले जाइये, किसी भी मनुष्य को नाक दबाये बिना निकलना असम्भव है। टैक्सों की वसूली जिस पर सरकार गर्व करती है स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रशासक के नियुक्त होने के बाद लखनऊ म्युनिसिपैलिटी में वसूली घट गयी है। आगरा में २५ वर्षों से चुनाव नहीं हुआ। टाइम्स आफ इंडिया में पढ़ें। उसमें निकला है टूरिस्ट्स पैराडाइज ऐज ए हेल। जिस स्थान पर विश्वविख्यात ताजमहल को देखने विदेशी आते हैं, और जो हमारा फारेन एक्सचेंज अर्न करता है उस नगर की स्थिति नर्क से कम नहीं है। इस पर आप चाहते हैं कि विरोधी दल इस सरकार पर विश्वास करे?

जिस जनतन्त्र की हम और आप दुहाई देते हैं, कसमें खाते हैं, मैं यह मानता हूं कि आप की सद्भावना है कि देश में जनतंत्र चले, उसका मूलभूत सिद्धांत है कि अडल्ट फ्रेंचाइज पर चुनाव हो। क्या उसको आपने नष्ट नहीं किया? डेमोक्रेसी की छोटी-छोटी इकाइयों में जब भी लिमिटेड फ्रेंचाइज पर रखी जायेंगी तो करप्शन बढ़ा है। आपने जिला परिषद् में जिस प्रकार इनमाररेक्ट एलेक्शन रखा है उससे आपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया है।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

मैं मानता हूं कि शिक्षा में एक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि हमने प्रगति की है। वह मैकाले के शब्दों में क्लार्क्स पैदा करने की दृष्टि से। टेक्निकल एजूकेशन की ओर आपने क्या किया है? गत १५ वर्षों के शासन काल में क्या स्टैंडर्ड आफ एजूकेशन बढ़ाया है? अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स उठा कर देखें तो एक के बाद एक यही रिपोर्ट आयी है कि विद्यार्थियों का शिक्षास्तर गिरता जा रहा है। विद्यार्थियों के बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। उनके सामने एक नैराश्य खड़ा हुआ है। उनका भविष्य अंधकार में है। निराशा से आच्छादित विद्यार्थी घोर अनुशासनहीनता की ओर जा रहे हैं। उनकी अनुशासनहीनता का उत्तरदायित्व आप पर है। आपने क्या उनकी शिक्षा-दीक्षा का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त किया है जिसके आधार पर वे अपने भावी जीवन की कल्पना कर सकें। आज क्या किसी विद्यार्थी को यह विश्वास है कि इतना पढ़ने के बाद उसको यह सर्विस मिल जायगी? आपने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोल रखे हैं लेकिन क्या आप यह नहीं कर सकते कि जिनको नौकरी की आवश्यकता हो, आप की समझ में कितनी नौकरियां प्राप्त हैं, उसकी क्या-क्या क्वालिफिकेशन्स हैं, आप इसको स्कूलों में पहुंचा दें? आपने यह नहीं किया। यहां कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह सही भी है। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा क्यों है इस पर भी विचार करो। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था आज शिक्षा के अन्दर सामाजिक शिक्षा नहीं है, राष्ट्र सेवा की शिक्षा नहीं है। विद्यार्थी के अन्दर ऐसा भाव नहीं पैदा किया जाता कि उसकी शिक्षा दीक्षा समाज के लिये हो। आज कमाने की शिक्षा दी जाती है। जब कमाने की होड़ लगी हुई है तो किसी प्रकार की नैतिकता का बंधन नहीं रह सकता। और आज हम आप देखते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस प्रकार की शिक्षा से प्रेरित, इस प्रकार की दीक्षा से अन्य लोगों की प्रवृत्ति केवल कमाने की ओर है। उसका परिणाम है—इस कमाने की होड़ से समाज का नैतिक स्तर नष्ट हुआ है, नैतिकता नष्ट हुई है और इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। मैं श्रीमन्, दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से पन्द्रह साल पहले का आदमी हमसे और आप से ज्यादा ईमानदार होता था, हमसे और आप से ज्यादा प्रामाणिक होता था। आप के शासन-काल के अन्दर उसकी प्रामाणिकता नष्ट हुई, उसकी ईमानदारी नष्ट हुई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है यह आपकी शिक्षा की नीति का परिणाम है।

श्रीमन्, प्रशासन की ओर हम देखें। आप कहते हैं कि हमारा प्रशासन बहुत एफिश्येंट है। लेकिन वास्तव में जैसी कि अंग्रेजी की एक कहावत है— 'दी प्रूफ आफ दी पुडिंग लाइज इन दी ईटिंग आफ इट'। मिठाई के मिठास की प्रमाणिकता उसके खाने में है। जिसके लिए प्रशासन है, समाज के लिये, व्यक्ति के लिये, आज उसका क्या मत है आपके प्रशासन के बारे में, उसका क्या अनुभव है? सेक्रेटेरिएट की ओर देख लें तो अधिकारियों के बाद अधिकारी भरे हुए हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछूं कि काम के डिस्पोजल में क्या एफिश्येंसी बढ़ी? श्रीमन्, आप देख लें। प्रश्न तीन तीन महीने, दो दो महीने पहले आते हैं और उस पर भी मन्त्री लोग यहां आकर जवाब देते हैं कि उत्तर देने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी नहीं हो सकी। जिले की बात छोड़ दें, प्रान्त की बात छोड़ दें, एक एक तहसील की बात मैं कहता हूं। यह इनके ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफिश्येंसी है। तीन तीन महीने में एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं मन्त्री जी। और मैं तो श्रीमन्, यह कहूंगा, कल की बात एक जो हमारे उधर के ही एक मित्र ने कही थी, उन्होंने बिलकुल स्पष्ट और ठीक कहा कि मालिक जाहिल है, नौकर बुद्धिमान है। यह श्रीमन्, उधर के एक कांग्रेसी सदस्य ने कल कहा था। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम हिम्मत करके स्पष्ट कहा जोकि हमारे और आप के सामने मौजूद है। आज प्रशासन के अधिकारियों को रोकने की, उनको सुनियोजित कार्यों में लगाने की, एक सूत्र में बांधने की पात्रता सरकार में नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन कैबिनट के लोग इस बात को जानते होंगे कि उनके आर्डर्स दो दो-तीन तीन महीने पहले हुए हैं और उस आर्डर को कार्य रूप में परिणत करने के लिए तीन तीन महीने बाद अधिकारियों की नींद टूटी है। इस बात को हर एक मन्त्री जानता होगा। क्या कारण है? अधिकारी इस सरकार के

नौकर हैं और यह आश्चर्यजनक घटना है, श्रीमन्, कि मंत्रिमंडल की आज्ञा हो और वह आज्ञा कार्यान्वित करने में ऐक्ट और बिल या आर्डिनेन्स का रूप देने में तीन तीन महीने लग जायं। यह इनका कंट्रोल है, यह उनका स्टैंडर्ड है, यह उनकी कार्य-दक्षता है।

श्रीमन्, दूसरा प्रश्न प्रशासन में उठता है कि क्या प्रशासन में भ्रष्टाचार को दूर किया? रोज प्रश्न उठता है। भ्रष्टाचार के माने श्रीमन्, केवल इतना नहीं होता है कि आदमी पैसा ले। किसी प्रकार का अनैतिक व्यवहार भ्रष्टाचार है। आज मैं आप से यह कह सकता हूं कि प्रशासन के अधिकारी इस माननीय सदन के सदस्यों के बारे में या मंत्रि-मंडल के बारे में अपनी निजी बैठकों में जिस प्रकार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं वह किसी सभ्य समाज में कहने योग्य नहीं है। यह आश्चर्यजनक है, श्रीमन्। मैं बहुत ही सभ्य शब्द प्रयोग करूं तो इस सदन के सदस्यों के लिये कहा जाता है कि वह केवल बकवास करना जानते हैं। जब आप मेम्बरों को इस प्रकार ह्यूमिलिएट करायेंगे अधिकारियों से तो आप आज हमको ह्यूमिलिएट करायेंगे तो कल आप भी ह्यूमिलिएट होंगे। आप बच नहीं सकते। श्रीमन्, अगर आज जनतंत्र की रक्षा करनी है इस देश में, इस प्रदेश में, इस सारे समाज को ब्यूरोक्रेसी से बचाना है तो आवश्यक है कि ब्यूरोक्रेसी पर अधिकाधिक कड़ा कंट्रोल हो। अभी श्रीमन्, यहीं माननीय सदन के सामने कल एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि इनकी ब्यूरोक्रेसी के एक अंग ने किस प्रकार का अनैतिक व्यवहार बच्चों के साथ एक गलत चोरी के सिलसिले में किया—आजमगढ़ के एक मैजिस्ट्रेट ने। और इन मैजिस्ट्रेटों के बारे में किस प्रकार महीने के बाद हर महीने हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स आते हैं, यह हम आप देख सकते हैं। एक उदाहरण से यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक अकेला उदाहरण है। यह तो हांडी के चावल हैं जो यह बताते हैं कि सारे हांडी के चावलों की हालत क्या है। यह हालत क्यों हुई? आज से १५ वर्ष पहले यह हालत नहीं थी किन्तु आज क्यों हो गई? आज इसी हालत के कारण हमें अविश्वास हो रहा है।

श्रीमन्, फिजूलखर्ची का सवाल है। प्रशासन के सम्बन्ध में एक मुख्य मन्त्र हुआ करता है कि इकानामी आफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके लिये जितना पैसा लगे वह कम से कम व्यय होना चाहिये और उस पैसे के आधार पर अधिक से अधिक कार्य होना चाहिये। क्या इस तराजू पर यह सरकार उतरती है? मैं कहूंगा कि नही उतरती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कह सकता हूं कि इसी सेक्रेटेरियट के अन्दर ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो केवल महीने में ४०० बिलों पर दस्तखत करने के लिये १,८०० और २,००० रुपये तनख्वाह पाते हैं, जिनका उपयोग प्रशासन में हो सकता था। आज यह बात क्यों है? आज सेक्रेटेरियट में एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धान्त का आप उल्लंघन करते हैं। साधारणतया प्रशासन के अधिकारी को कुछ काल तक जिले के प्रशासन का अनुभव लेना चाहिये और फिर कुछ काल तक उसको यहां सेक्रेटेरियट में आना चाहिए। उसके पश्चात् फिर जिले में और फिर यहां आना चाहिये। यह एक रोटेशन उनके लिये होना चाहिये किन्तु आज हम देखते हैं कि कितने ही अधिकारी १२, १२ और १५, १५ वर्षों से यहां सेक्रेटेरियट के अन्दर विद्यमान हैं जिन्होंने जिले का मुंह नहीं देखा है और फिर आप यह उनसे आशा करें कि वह जिलों की समस्या को समझेंगे और उन जिलों की समस्याओं पर मानवता के दृष्टिकोण से अपना निश्चय दे सकेंगे, असम्भव है। आज उनके अन्दर से मानवीय दृष्टिकोण की भावना लुप्त हो चुकी है और उस दृष्टिकोण से वह बहुत दूर जा चुके हैं। ऐसे अधिकारी प्रशासन के सम्बन्ध में कोई भी आज्ञा निकालते हैं तो उनके अन्दर जो मानवता की भावना का टच होना चाहिये वह नहीं रहता है। इसी मानवता की भावना का टच न होने के कारण आज जनता का इस सरकार के प्रति अविश्वास खड़ा हो गया है।

श्रीमन्, कल सरकार की ओर से एक उपमन्त्री महोदय ने कहा कि हमने समाज के उत्थान के लिये बड़ी प्लानिंग की। प्लानिंग से कोई आदमी इन्कार नहीं करता लेकिन उस प्लानिंग का नतीजा क्या निकला है? क्या इसी प्लानिंग के विषय में वैलूएशन कमेटी ने यह नहीं कहा कि "इस सारी प्लानिंग के ५ साल के अनुभव के आधार पर जो कुछ कहा जा सकता है वह यह है

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कि इस सारी प्लानिंग पर जो पैसा खर्च किया गया है उसका ५० परसेन्ट वेस्ट हुआ है और जितना उसका लाभ होना चाहिये उतना लाभ नहीं हुआ है"— क्या इसी का नाम प्लानिंग है ? क्या आप ने इसी लिये इस प्लानिंग को किया था कि देश के अन्दर गरीबी बढ़े ? इस सरकार ने स्वयं माना है कि पर कैपिटा इन्कम घटी है। तो फिर आप ने किस काम के लिये यह प्लानिंग की ? क्या यही आपकी प्लानिंग की सफलता है कि आपने एक चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी खोल दी ? मैं उसको सफलता नहीं मानता। यह जरूरी है कि वह भी एक उद्योग है लेकिन यह सफलता नहीं कही जा सकती । जो हमारी आवश्यकतायें हैं, जो हमारी कठिनाइयां हैं उनको मीट करने के लिये आपने क्या मुख्य काम किया है ? कहना पड़ेगा कि कुछ नहीं किया। आज जो प्लानिंग की जाती है उनमूल आवश्यकताओं का समावेश कहां ? मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि प्रान्त में जितनी प्लानिंग कमेटी हैं, आप जानते हैं कि वह सब जिला परिषद् का रूप हो गई हैं। सिवाय विरोधीदल के एम० एल० ए० को छोड़ कर जो आपकी इच्छा के विरुद्ध जीतकर आये हैं, और किसी को आप ने परिषद् में नहीं लिया है। आपने कांग्रेस के लोगों को ही उसमें स्थान दिया है।

श्रीमन्, आज गांव के लोगों के लिये जो उत्थान की आवश्यकता थी प्लानिंग में वह कहां रखी गयी है। उसका परिणाम यह है कि जो हमारी योजना बनती है उनसे जो गांवों को लाभ होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। आज श्रीमन्, आप देखें कि इस सरकार से अपेक्षा सारे आदमियों की क्या है ? सब से बड़ी आवश्यकता जनसमुदाय की हाउसिंग की है। क्या इस सरकार ने आज उस हाउसिंग की जरूरत को पूरा किया है ? आप लखनऊ और कानपुर को ले लीजिये या जितने कबाल टाउन्स हैं क्या उनमें हाउसिंग की योजना सफल हुई है ? क्या आपने इस हाउसिंग के प्राबलम को हल किया, क्या आपने इस स्लम क्लियरेन्स की योजना को इस प्रदेश के अन्दर पूरा किया है ? क्या कानपुर की स्लम एरियाज़ के विषय में पं० जवाहर लाल नेहरु ने यह नहीं कहा था कि यह बस्ती आग लगा देने लायक है। क्या कानपुर के स्लम्स में आपने एक भी आग लगायी। आप आग कैसे लगाते, जिनके द्वारा आग लगवानी थी उनके तो उसमें इंटरेस्ट वेस्ट हैं। उनको आप रोक नहीं सकते।

गांव की हाउसिंग की समस्या के लिये आपको पैसा मिला। आपने कितने मकान गांवों में बनवाये ? उनकी समस्या आपने कितनी हल की ? इसके बारे में सरकार मौन है। आज जिनके टैक्सेज के बल पर इस प्रांत की सरकार कायम है, मैं कहूं कि देश की सरकार कायम है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, उनके पैसे से उनके मकान की समस्या को हल करने में दुर्लक्ष्य हो रहा है। गांव वालों को शुद्ध पानी मिलना चाहिये, लेकिन कितने गांवों में आपने इस समस्या को हल किया ? कुछ गांवों में Tube Wells से पानी दिया गया था लेकिन आज वह भी बन्द कर दिया गया। यह सरकारी ऐक्ट्स के ओमिशन्स और कमीशन्स हैं। पब्लिक वर्क्स को ले लीजिये। बड़े सुन्दर आर्ट पेपर पर छपा हुआ मिलता है कि पंचवर्षीय योजना में इतने पुल और पक्की सड़कें बनीं।

श्री अध्यक्ष—आप के चार मिनट रह गये हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन, मेरा निवेदन है कि मुझे कुछ समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष—२५ मिनट काफी हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन, मुझे अपने समय से ३ मिनट और अधिक दे दिये जायं। तो श्रीमन्, सरकार ने कितने गांवों को इंटरकनेक्टेड किया ? कितनी विलेज रोड्स बनायीं ? कितनों को पक्का किया ?

अब इस के आगे चलें। रिहन्द का जो तमाशा खड़ा है मैं आभारी हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण किया। लेकिन मैं दो एक बातें इस संबंध में जानना चाहता हूं। रिहन्द की जो बिजली बिरला जी को १५० रुपया प्रति किलोवाट के हिसाब से दी जा रही है उसके बारे में कहां विचार किया गया? और यही हाइडिल की जो बिजली किसानों को दी जा रही है वह किस दर से दी जा रही है। श्रीमन, जरा आंकड़ों को देखें गंगा ग्रिड आज से बहुत पहले बना था और वह टयूब वेल्स को १५४.२ रुपये प्रति किलोवाट बिजली देता है। शारदा का जो ग्रिड है उसमें टयूब वेल्स के लिये १८६.६ रुपये प्रति किलोवाट है। यमुना ग्रिड को भी देखें १७१ रुपये प्रति किलोवाट प्लस १६ रुपया तीन आना मंथली सरचार्ज, यह सारे ट्यूब वेल्स के लिये और कृषि कार्य के लिये बिजली के रेट्स हैं। जब यह आंकड़े सरकार के ही हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि बिरला जी में क्या खसूसियत थी कि उनको इतने कम रेट पर बिजली अल्मूनियम फैक्ट्री के लिये दी गयी। उनमें क्या विशेषता है। क्या आपने मान लिया कि हमारे प्रांत में कृषि का महत्व उस फैक्ट्री से कम है? जिनसे आपके प्रांत की अन्न की समस्या हल होती है उनको आप महंगी बिजली दे रहे हैं और इस अल्मूनियम फैक्ट्री को सस्ती बिजली दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि यह रेट्स का निर्णय किस आधार पर किया गया है? क्या इसके आंकड़े हैं कि किस बेसिस पर रेट्स कलकुलेट किये गये हैं? इसका कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं है। अगर स्पष्टीकरण न हुआ तो लोगों के मन में शक हो सकता है कि बिरला साहब के साथ यह विशेषता क्यों है।

अन्त में, समाज का जो मूलभूत आधार है, सिक्योरिटी, उस ओर क्या आपने दृष्टि की है। आज श्रीमन्, चीन का साम्राज्यवाद तिब्बत के ऊपर, हमारी सरहद पर, आकर खड़ा हो गया। मुबारकपुर के राइट्स की खबर हमारे अधिकारियों को नहीं होती है, १२ घंटे के अन्दर पाकिस्तान के ढाका रेडियो से आती है। इस प्रांत के अन्दर आज विदेशी जासूसों का जाल बिछा हुआ है, ट्रांसमीटर वर्क कर रहे हैं।* सरकार ने कोई प्रयास पकड़ने का किया है। आज बिना पास-पोर्ट के, बिना वीसा के अनधिकृत कितने पाकिस्तान से जासूस यहां आ रहे हैं? तो सिक्योरिटी की दृष्टि से कहना पड़ेगा कि चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो या इंटरनल सिक्योरिटी हो, देश के अन्दर, प्रांत के अन्दर, एक अविश्वास खड़ा हो गया है कि हमारी जनता अनसिक्योर्ड है।

श्रीमन, अन्त में जो सिद्धांततः और मूलभूत हमारा और इनका विरोध है जिसके कारण हमारा यह अविश्वास है वह इनकी सहकारी खेती की नीति है। उसका अर्थ होगा कि अगर यह लागू की गयी तो प्रांत का सब से बड़ा वर्ग गुलाम हो जायगा। एक बात कहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि किसान खुद यदि चाहेंगे तो सहकारी खेती को अपनायेंगे, हम बलप्रयोग नहीं करेंगे, लालच नहीं देंगे। लेकिन नेहरू जी ने स्पष्ट कहा है कि उन किसानों को अधिक सहूलियतें प्राप्त होंगी जो सहकारी खेती के अन्दर आयेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रलोभन के बल पर सहकारी खेती लाना चाहते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि शांतिपुर ग्राम में, आप नाम भी चाहें तो मैं बतला दूं, १५-२० घरों को आग लगा कर फूंक दिया गया जो इसके विरुद्ध थे। तो श्रीमन, इससे गल्ले की उपज नहीं बढ़ सकती जैसा कि कहा जाता है। इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जिससे विरोधी दल के सदस्यों की भावना भड़के। मैं अपने आप को तथ्यों और आंकड़ों तक ही सीमित रखूंगा।

कल इस सदन में बहुत वाद-विवाद इस विषय पर हुआ कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के लिये कोई पर्याप्त आधार अपोजीशन के पास था या नहीं। यह तो सभी महसूस करते हैं कि कोई आधार नहीं था, स्वयं विरोधी दल भी उसको महसूस कर रहा है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि मदन पांडेय जी ने जितनी स्पीच दी उसमें यही कहा कि इसकी भी जांच करा लीजिये, उसकी भी जांच करा लीजिये। तो इससे मालूम होता है कि उनकी अन्तरात्मा

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

में यह चीज है कि हम केवल अपने भावों को व्यक्त करने के लिये यह प्रस्ताव लाये हैं। मैं तो प्रस्ताव लाने के लिये अपोजीशन के नेता त्रिलोकीसिंह जी को और अन्य सभी नेतागणों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आम सदन के सम्मुख और जनता के सामने स्पष्ट हो गया कि इनके पास और कोई बात नहीं थी, केवल वही बातें थीं जो अनन्त काल से लाये हैं, और अनन्त काल तक वह लाते रहेंगे। एक बात के लिये तो मैं त्रिलोकीसिंह जी को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि यह सरकार इतनी कर्त्तव्यपरायण है, इतनी दक्ष है कि पुलिस के कुत्तों तक को इन्होंने सिखा दिया है कि सूंघ करके लोगों को पहिचान लेते हैं, तो यह तो तारीफ है और पुलिस की तत्पर्ता और दक्षता का प्रमाण आपने स्वयं स्वीकार किया। दुबे जी का मैं खास तौर से आभारी हूं और पालीवाल जी का भी कि एक चीज आपने स्पष्ट कर दी और यहां जितने पत्रकार थे, जितने माननीय सदन के सदस्य थे मैं राजनारायण जी को भी धन्यवाद देता हूं सब उम्मीद करते थे कि अविश्वास का प्रस्ताव फूड पालिसी पर चलेगा और उसी पर सारी बिल्डिंग खड़ी होगी। (व्यवधान) अगर उसी की प्राथमिकता थी तो उसी को लाते।

एक बात मैं और कह दूं कि पिछली दफा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पूरा उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि मुझे आरम्भ में ही बोलना पड़ा था। और वैसे तो माननीय सदस्य चुप सुनते हैं लेकिन भाषण में इंटरप्शन करते रहे। मैं माननीय अध्यक्ष के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस मर्तबा ऐसा न हो। इस मर्तबे श्री त्रिलोकीसिंह जी ने खाद्य समस्या के बारे में सिर्फ भूमिका के तौर पर ही जिक्र किया वैसे उन्होंने जो लेख समाचार पत्रों में निकाला था उसका जवाब भी मैं लिखकर दे चुका हूं अखबारों में। कल उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि कहां से यह सब आंकड़े उठाकर ले आये। मैंने ठीक ही दिये थे। एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि माननीय त्रिपाठी जी का यह बड़प्पन है कि वह किसी काम को लगन से करें, अपनी सम्पूर्ण योग्यता से करें और फिर भी कह देते हैं कि हमारी कमजोरी है और माफी चाहता हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा पाठ नहीं पढ़ा हूं। मैं तो कहता हूं कि जब मैंने किसी काम को सही तौर से किया और ठीक किया और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो हो सकता था वह किया तो फिर कोई वजह नहीं मालूम होती है कि मैं अपने किये पर गर्व क्यों न करूं। कल त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि हमने १४ रुपये पर पंजाब गवर्नमेंट से खरीदा .....

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं सेहत कर दूं। मैंने कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने १४ रुपये पर खरीदा और १७ रु० पर इनके हाथ बेचा और इन्होंने २० रु० पर बेचा। आप गलत मत कहिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने ज्यादा कीमत पर, १७ रु० पर हमको बेचा। मैं पंजाब गवर्नमेंट पर यह इल्जाम तो लगा नहीं सकता मगर मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजों के लिये सभी स्टेट्स से कहा कि तुम खरीदारी के लिये, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के लिये बातें कर लो। तो इस बीच में हमने कहा कि अगर आवश्यकता पड़े तो कोई आदमी खरीद ले मगर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यह चीज स्टेट लेबिल पर नहीं होगी बल्कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगी। तो फिर उसके बाद इस गवर्नमेंट ने अपना कोई आदमी या व्यापारी पंजाब नहीं भेजा। अगर अपने आप कोई चला गया हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदमी नहीं गया। इसके बाद उन्होंने हमें १७ रु० के भाव बेचा। उस पर हिसाब चला, १७ रुपये कीमत, ८ आने बोरी और ५ आने इन्सपेक्शन चार्जेज, इस तरह से आप समझिये पौने १८ पर पड़ा। इसके अलावा एक रुपये का मार्जिन स्वयं कल त्रिलोकीसिंह जी ने बतलाया रेलवे ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिये तो इस तरह से अगर हमने १९ रुपये ८४ पैसे पर रिटेलर को दे दिया तो हमने क्या बुराई की जबकि उस समय बाजार में २५ रुपये का भाव था गेहूं का।

फिर यह कहा गया कि पंजाब गवर्नमेंट ने १३ रुपये के भाव पर खरीदा और हमें ज्यादा कीमत में बचा। मैंने उस तारीख क लगभग का वहां की मंडियों का भाव देखने

की कोशिश की। ३-१०-५८ और उसके लगभग गुरदासपुर में १६.७५ रुपये का भाव था, मोगा में १५.६५ का भाव था, अभोर में १५.७१ का भाव था, लुधियाना में १६.८१ और जगरांव में १६ का भाव था। सिर्फ एक आध जगह १५.२५ का भाव था लेकिन बहुत सी जगह करीब १६ रुपये का भाव था। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने १३ रुपये में कैसे खरीदा। आज भी पेपर्स में जो हेड लाइन्स हैं उसमें मैंने देखा कि स्टेट जो है वह प्राफिटियरिंग कर रही हैं। यह हमने कल ही क्लीयर कर दिया था कि हम नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर काम करते हैं। फिर न मालूम कहां स यह बात लायी गयी। मैं फिर दुहरा दूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने सब फिगर्स दे दिये हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, लेकिन मुझे आशा है कि इससे किसी के भाव भड़केंगे नहीं। जैसे कि दुबे जी ने कहा कि पालिसी की बात कल से कही जा रही है तो उनको पालिसी की बात याद आ गयी और फिर वह पालिसी पर बोलें, वैसे ही ऐसा न हो कि मैंने खाद्य की याद दिला दी तो खाद्य पर बोलें। मेरा विश्वास है कि श्री झारखंडेराय जी खाद्य के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टेट ट्रेडिंग में तो उनका विश्वास है। इसलिये मुझे कोई खतरा नहीं। पैदावार के बारे में तो माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने स्वीकार कर लिया कि पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पर एकड़ राइस ५७-५८ में होता था ६.९ तो इस साल ६.७३ ईल्ड बढ़ी है। व्हीट ७.८९ होता था तो उसमें ९.९३ ईल्ड बढ़ी है, ग्राम ७.७ था तो ८.४५ ईल्ड बढ़ी है, बारली ७.८१ लास्ट ईयर था तो ८.७४ ईल्ड बढ़ी है और अरहर १० के बजाय १३ परसेंट बढ़ गयी है। मैं कहता हूं कि खरीफ में भी टोटल बढ़ा है और पर एकड़ ईल्ड भी बढ़ी है।

पिछले साल जब जेले भरी जा रही थीं और हाहाकार मचा हुआ था, उस समय हमारी २,६०० दूकानें थीं और आज जब कि अधिक अन्न है ४,३४१ दूकानें हैं और २५० रुपये से ऊपर के आमदनी वालों के लिये आटा है बढ़िया से बढ़िया। अगर माननीय गेंदासिंह जी और रामायणराय जी को ये बातें उस रोज मालूम होती तो प्रोपेगेन्डा करने की उनको आवश्यकता न होती। अल्मोड़े में पहले १५३ दूकानें थीं जो बीच में नाज न बिकने के कारण कुछ दूकानें बन्द हो गयी थीं लेकिन अब फिर भी हमने १९१ दूकानें खोल दी हैं। अब मैं खास कर पूर्वी जिलों की तरफ आता हूं क्योंकि पूर्वी जिले बहुत परेशान हैं। आजमगढ़ में २९७ पिछले साल थीं, उसमें से १२८ घट कर रह गयीं क्योंकि वहां किसी ने राशन उठाया नहीं लेकिन हमने अब २३२ दे दी हैं। १०४ दूकानें इसी माह में खोली गयी हैं, आपको पता नहीं है। बलिया में पिछले साल १४३ थीं, लेकिन ३४ इस साल अन्न ज्यादा होने की वजह से बन्द हो गयीं, अब २३२ कर दी हैं। १६० दूकानें करीब बढ़ा दी हैं। देवरिया में २५२ थीं, ४३ उसमें से घट गयी थीं, ३१० दूकानें ६-८-५९ को खोली गयी हैं। जौनपुर में पहले २२१ दूकानें थीं, इस समय ४८ नयी और दूकानें खुली हैं। १८४ दूकानों के लिये आर्डर कल गया है। बनारस में भी वही हालत है। यह इस बात का प्रमाण है कि दूकानें घटी नहीं हैं बल्कि पहले से बढ़ी हैं। "प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्"। देवरिया जिला जो अपने को भुक्खड़ जिला कहता है वहां भी हमने काफी दूकानें खोल दी हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वहां का हर सदस्य सबसे ज्यादा वजनी और मोटा ताजा है। यह हमारे अन्न देने का ही प्रभाव और प्रमाण है। एक माननीय गेंदासिंह जी कुछ दुबले पतले हैं लेकिन उनकी मूंछें इतनी बड़ी हैं कि काफी मेम्बर उसके अन्दर ढक सकते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि लखीमपुर में कितनी दूकानें खुली हैं?

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक बोर्डर एरिया का संबंध है माननीय दुबे जी ने पिछली दफा कहा था कि हमारे यहां से बहुत सा अन्न बाहर चला जाता है। अगर मैं

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

आपको आंकड़े दूं तो आपको मालूम होगा कि बाहर गल्ला ले जाने के सिलसिले में करीब ४० कसज आगरा शहर में चल रह हैं और यहां लखनऊ में प्राइस कंट्रोल और मूवमेंट आर्डर के मुताबिक २४ केसेज चल रहे हैं, कानपुर में इस तरह के २३ केसेज चल रहे हैं, गोरखपुर में १५ केसेज चल रहे हैं। ये होर्डिग और प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में केसेज चल रहे हैं। जहां तक लोगों की दिक्कतों का सवाल है, कोराइडर एरिया में हमने काफी दूकानें खोलने का आदेश दे दिया है और यह भी कर दिया है कि कोराइडर पर किसी गांव के नजदीक यदि कोई मारकेट हो तो वहां जितना चाहे कोई माल ले जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी २० सेर तक माल अपने साथ ले जा सकता है और एक सूबे से दूसरे सूबे में ५ सेर माल हर आदमी अपने निजी इस्तेमाल के लिये ले जा सकता है। इसके अलावा हमने आर० एफ० सी० को आदेश दे दिया है कि अगर कोई वहां दूकान खोलना चाहे तो उसके लिये वह लिबरली परमिट दे। तो फिर दिक्कत क्या है, खाना पीना मिल रहा है, हर तरह का आराम है और फिर भी उसक लिय हमें शाबाशी न दकर निरुत्साहित किया जाय, क्या यह कृतघ्नता नहीं है? "मौनम् सम्मति लक्षणम्", आपका मौन रहना, माननीय त्रिलोकीसिंह का मौन रहना और खासतौर से माननीय राज नारायण जी का मौन रहना इस बात का द्योतक है कि यहां की खाद्य समस्या बहुत सुन्दर, बड़ी उन्नत और बड़ी सुदृढ़ है। मैं आपको बतलाऊं कि यह मैं केवल आर्गूमेंट के लिये नहीं कहता हूं बल्कि सचमुच में हमारे लिये तो आफत हो रही है कि ३० हजार मन आटा कानपुर में फर्स्ट क्लास का पड़ा हुआ है जिसको खाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जहां तक चीनी की बात कही गयी, १५ दिन के बाद हमारे लिये बढ़ी दिक्कत हो जायगी कि हम चीनी कहां बेचें। आप यह कहते हैं, हम यह कहते हैं लेकिन लोगों को दिखलायी नहीं देता। कोई जादू का डंडा तो है नहीं जो एक ही दिन में करके दिखा दूं। उसके लिये स्कीम बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती है, पचासों बातें होती हैं। आप तो काफी समझदार आदमी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आपको मौका मिलेगा तो आप समझदारी की ही बात कहेंगे। १५-२० हजार की आबादी पर एक दूकान खुलने की बात जो मैंने कही थी उस से पहले हमने हर जिले के माननीय सदस्य से बात की थी और उस वक्त यह बात थी कि अदालती पंचायतें कुछ छोटी हैं और कुछ बहुत बड़ी हैं इसलिये १५–२० हजार आबादी पर एक दूकान की बात रहे, उस वक्त तय हुआ था और हमने सोचा था कि आवश्यकता होगी तो बाद में घटा बढ़ा लेंगे। आजमगढ़ में तो हमने डम्प कर दिया है वहां के माननीय सदस्य जितना गल्ला चाहेंगे उन को मिलेगा, वह बेफिक्र रहें, कल ही उन के यहां के लिये प्रबन्ध कर दिया है। (सदन में शोर)

श्री अध्यक्ष—आप शांति रखें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—चावल के एराइवल को आप देखें, उसमें जरा सी खराबी हो गई। हम तो समझते थे कि सभी स्टेट ट्रेडिंग चाहते है, जनसंघ भी चाहता है, हमें जनसंघ नहीं चाहता बाकी सब चाहते हैं, मैं जनसंघ की बात माननीय झारखंडेराय के भ्रमां, कह गया; किसी के कोसने से अगर कहीं फेल हो गया तो शायद दोनों मिलकर काम कर लें, मालूम हो गया आप मिलेंगे नहीं। आप ने कहा था कि स्टेट ट्रेडिंग हो, अब फसल अच्छी, पर एकड़ ईल्ड अच्छी सब चीजें ठीक लेकिन गेहूं कम आता है। चने की रिपोर्ट देखें तो हर जिले में वह पिछले साल से दुगुना, अरहर पिछले साल से दुगुनी, हर चीज के दुगुने अराइवल हैं। इससे साफ जाहिर है कि बनियों ने जो गेहूं और चावल की कृत्रिम कीमत कर रखी थी उसको सरकार ने किसी तरह से ठीक कर दिया। लेकिन मोटे अनाज पर पाबन्दी नहीं लगाई और वह मंहगा बिकता रहा जिस के लिये आप कहते हैं कि कीमत की वजह से खराबी हुई है। मैं उल्टा कहता हूं कि चूंकि कोर्स ग्रेन पर कंट्रोल नहीं था इसलिये उसके दाम २५ प्रतिशत अधिक हो गये। इस तरह से किसान खूब गेहूं खायेगा और मोटा अनाज शहर वालों को खिलायेगा। हम तो देहात में भी चावल और आटा दे रहे हैं, कोई पक्षपात देहात

या शहर के साथ हम नहीं कर रहे हैं, देहातों में भी चावल दे रहे हैं पहाड़ों पर भी दे रहे हैं, बाजरा भी दे रहे हैं। हम देहात के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगर यह शहर वाले इस नीति का समर्थन नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि शहर के लोगों को मोटा अनाज खाना पड़ेगा और भूखा रहना पड़ेगा। तो क्या वह यह चाहते हैं कि एक हिस्सा भूखा रहे और एक न रहे? हम ले क्या रहे हैं? माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि अपनी नीति को हटा दो हमारी नीति को चलाओ। मान लिया जाय कि कुल ३०, ४० या ५० लाख टन गेहूं की पैदावार है उस में से ३ लाख टन सरप्लस हम ले रहे हैं और सब की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं। रेड मेलो से इतने मोटे हो गये आप। श्रीमन्, मैं राजनारायण जी को कह रहा हूं कि वह आप से कहीं ज्यादा मोटे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं और मैं हृदय से आभारी हूं विरोधी दल के नेता का कि उन्होंने यह मौका दिया। नहीं तो मेरी आधी बात रह गई थी पिछली दफा। मैं चाहता हूं कि जिस प्रस्ताव को आप ने रखा है, उसे आप वापस ले लीजिये।

श्री बंशीधर शुक्ल—श्रीमन्, हमारे लखीमपुर जिले में कितनी राशन की दुकानें खुली हैं और कितना गल्ला दिया है? श्रीमन्, केवल दो दुकानें हैं लखीमपुर शहर में और जिले में एक भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री जगमोहनसिंह नेगी से) अगर जवाब आपके पास हो तो आप दे दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगर आप प्रश्न कर दें शार्ट नोटिस पर तो जवाब दे दूंगा।

खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है जो माननीय नेगी जी द्वारा हुई है। उसकी मैं सूचना देता हूं। माननीय नेगी जी ने यहां सदन में कुछ गैलरीज से प्ले करने की कोशिश की है और वस्तुस्थिति को छिपाया है। बनारस में पहले से दुकानें कम हुई हैं और गल्ला भी पहले से कम दिया जाता है। यहां पर जो सत्य को उन्होंने छिपाया है उसके लिए मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो आप दे दीजिएगा।

मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी माननीय खाद्य मंत्री नेगी साहब के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं तो देवरिया जिले से आता हूं, गरीबी और भुखमरी से पिछड़े हुए जिले से। उनके भाषण से मैं नहीं समझ सका कि क्या सुन रहा हूं।

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गए और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, जहां से मैं आता हूं उस देवरिया की जो स्थिति है वह मैं ज्यादा जानता हूं। माननीय नेगी कम जानते हैं। वह कलेक्टर की रिपोर्ट से जानते हैं और हम वहां काम करते हैं। माननीय नेगी जी मेले में मेरे जिले में गये थे। मैंने निवेदन किया कि चलकर देखिये कि हमारी रबी फसल बिल्कुल मर गई है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जिस तरह का भाषण माननीय खाद्य मंत्री ने दिया है यह भाषण जब अखबारों में छपेगा और पूर्वी जिले की जनता पढ़ेगी तो वह समझेगी कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं। वही कहावत हो गई कि रोम का शहर जल रहा था और रोम का बादशाह मौज उड़ा रहा था।

[श्री उग्रसेन]

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत दुकानें खोल दी गई हैं। अभी टेलीफोन करके कलेक्टर से रिपोर्ट मांग लें, २५२ में से १४९ का जो आर्डर था वह भी नहीं खुली हैं। गत चार वर्ष के अन्दर पूर्वी जिलों में १,३०० आदमियों से ज्यादा भूख के शिकार हुए हैं और यहां माननीय मंत्री जी कहते हैं कि लोग शौक से मर रहे हैं, भुखमरी से नहीं। जब कि नेगी साहब का कुत्ता भी हलुआ खाता है, आज हमें गुठली की रोटी भी नहीं मिल रही है।

चम्पारण जिले में एक लोहिया कमीशन बना था। है मंत्री जी में हिम्मत कि हाईकोर्ट के जस्टिस की एक कमेटी बैठा दें? श्रीमन्, जौ की पैदावार कम हुई, बाजरे की कम हुई और मंत्री जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैदावार हो गई। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कम से कम माननीय मंत्री जी के इस्तीफे की मांग इस सरकार के हटने से पहले करता हूं कि उन्होंने वस्तु स्थिति पर पर्दा डालकर मजाक के तरीके से कहा है। मंत्री जी कहते हैं कि पूर्वी जिलों के लोग मोटे हैं। हम कहते हैं कि मंत्री जी मोटे हैं। हमारे साथ चल कर देखें उन नर कंकालों को जिन्होंने हमको यहां भेजा है, उनकी झोपड़ियों को देखें। जो कुछ हमारे घर में है सब गिरवी रख दिया गया, फाकाकशी हो रही है। मंत्री जी को फिर दावत देता हूं कि देवरिया में चल कर देखें। मैं बर्मा के प्रधान मंत्री का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। थाकिन नू जब पार्लियामेंट से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि—"मैं गरीबी ले कर आया था और गरीबी ले कर जा रहा हूं"। उन्होंने जनता को किसी प्रकार का शक न हो इसके लिये मांग की थी कि एक कमीशन बैठाया जाय, और वह कमीशन बैठाया गया और उसका निर्णय सभी को मालूम है। यही नहीं उन्होंने रंगून के "नेशन" पत्र के सम्पादक को अपनी सब किताबें उपहार के रूप में दे दीं और कहा कि इनको भी जनता में बांट दो। यह होते हैं मंत्री।

माननीय कमलापति जी ने कल कहा मुकदमा होगा तो हम देख लेंगे। क्यों मुकदमें का इंतजार देखते हैं। क्यों नहीं थाकिन नू की तरह इस्तीफा देकर अलग होते और जनता में फैले हुए अविश्वास को दूर करने के लिये स्वयं कमीशन बैठाने की मांग करते? लेकिन मैं जानता हूं वे ऐसा नहीं करेंगे। हिन्दुस्तान कर्माशियल कार्पोरेशन की पेड अप कैपिटल है ३२,५०० रुपये और ठेके दिये जाते हैं १ करोड़ ८५ लाख के। मैंने माना मंत्री जी को ज्वाइंट स्टाक कम्पनी में शेयर लेने का अधिकार है लेकिन जिस कम्पनी में बंगलिंग मालूम हो क्यों नहीं उससे अलग होते, जरा अलग हो कर दिखायें। नहीं होंगे क्योंकि उसमें स्वार्थ निहित है। माननीय गृहमंत्री जी ने कह दिया कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द की इज्जत के लिये मेरे ऐसे १० कुरबान हो सकते हैं। एक ही कुरबान हो कर दिखाये, नहीं तो जांच होने दें, खुली जांच।

मैं श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय बहुगुणा जी नहीं हैं, उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष ने कोई नीतियों की चर्चा नहीं की। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री की सरकार प्रतिक्रियावादी है, पूंजीपतियों की चेरी है, हैवानियत के रास्ते पर चली जा रही है। मैं चीनी मिल मजदूरों की बात कहता हूं। माननीय मदन पांडेय जी मौजूद हैं, यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फैडरेशन के १९५० से लेकर आज तक ४,००० आदमी निकाल दिये गये क्योंकि वे यूनियन के मेम्बर थे। सरदार नगर के वे बहादुर मजदूर, रामकोला के मजदूर आज मर रहे हैं।

कपड़ा मिलों का क्या हाल है? आज १५ कपड़ा मिलें बन्द हो गईं। कानपुर काटन मिल का क्या हुआ? क्यों नहीं सरकार उस मिल को अपने कंट्रोल में लेती? उसमें जो प्ले आफ़ का मजदूरों का पैसा था वह भी नहीं दिया गया।

जूट मिलों का प्रमाण दे दूं। कह दिया कि अपने वर्किंग लूम आवर्स को कलकत्ते में बेच लीजिये। मैं कहता हूं सरकार की नीति मजदूरों के खिलाफ है, पूंजीपतियों की चेरी बन गई है। आज हमारे केसेज एडजुडीकेशन में नहीं भेजते। मैं पूछ सकता हूं क्यों नहीं रेफ़र होते? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

पब्लिक सेक्टर की आप से बात कहूं। हाइडल केसा के मजदूर ऐडहाक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तनख्वाह पा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें घट गई हैं जब कि अफ़सरों की बढ़ी हैं, मजदूरों की संख्या कम हुई है जब कि अफ़सरों की बढ़ी है। माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि पब्लिक सेक्टर में हम वर्क्स काउन्सिल बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या केसा, चुर्क, प्रसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री, हाइडल, रोडवेज में वर्क्स काउन्सिल बनीं। मैं रोडवेज के मजदूरों की बात करता हूं जिन की संख्या १४,००० है। एक करोड़ २० लाख का मुनाफ़ा है मगर उन कर्मचारियों को आज भी टेम्पोरेरी बेसिस पर रखा जाता है, उनके लिये मकान नहीं, रोडवेज का कोई ऐक्ट नहीं, मैनुअल नहीं। यह तो पब्लिक सेक्टर के मजदूरों की हालत है। मैं कहना चाहता हूं हाईडल कर्मचारी जो बिजली के कनेक्शन में काम करते हैं उनमें छटनी हो रही है, उनका प्रदर्शन हो रहा है। क्या मंत्री जी का ध्यान कभी गया ?

एक बात और कहना चाहता हूं और वह है रिहेन्ड के सिलसिले में। वहां से जो बिजली दी गई बिड़ला जी को वह माननीय मुख्य मंत्री के पर्सनल कमिटमेंट पर दी गई। बिजली विभाग में जो गोल माल है मेरे पास उसकी रिपोर्ट है। हाइडल के जो चीफ़ इंजीनियर थे श्री माथुर उन्होंने जो टरबाइन जेनरेटर हरदुआगंज पावर स्टेशन के लिये खरीदे थे उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया की चिट्ठी इस सम्बन्ध में मेरे पास मौजूद है। ऐसा क्यों किया गया। जनरल इंगलिश कार्पोरेशन को ढाई करोड़ का ठेका दे दिया। डेस डोल कम्पनी को ८।। लाख एडवांस दे दिया गया जब कि नियम के अनुसार एडवांस नहीं दिया जा सकता था, फिर भी दे दिया गया। उसी तरह से हरदुआ पावर स्टेशन का ठेका भी जनरल इंग्लिश कारपोरेशन को दिया गया। हाइडल से ९ वर्ष में ५० करोड़ के ठेके दिये गये और करोड़ों रुपये की बंगलिंग हुई। माथुर साहब जिनको हाइडल से श्री चरण सिंह ने निकाल बाहर किया था उनको फिर इंस्टाल किया जा रहा है और उनको बैकडोर से लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह वही माथुर साहब हैं जिनकी जेब में हाइडल का लाखों रुपया चला गया। उनके खिलाफ क्यों जांच नहीं की गई ? इसी तरह से नारायणी कैनाल में ४७ लाख का एस्टिमेट था लेकिन उस को बढ़ा कर ९० लाख कर दिया गया और उस सिलसिले में टी० बी० सिंह सस्पेंडेड हैं। एकाउंट्स में जो फोर्जरी की गयी है उसकी फोटो मेरे पास हैं। हाइडल में जो बंगलिंग हुई उसकी जांच क्यों नहीं की जाती ? कारबोजेनरेटर जिस इंग्लिस कम्पनी ने खटीमा पावर हाउस को सप्लाई किया उसे फिर रिहन्द को सप्लाई कर दिया गया। और उसे ढाई करोड़ का ठेका दे दिया गया। फायनेन्स डिपार्टमेंट की नोटिंग है कि ठेका न दिया जाय। उदघाटन के दिन खटीमा बांध टूट गया था लेकिन रिहन्द का ठेका फिर उसी कम्पनी को दिया गया। जिस तरह से भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं उनको देखते हुए मैं कमलापति जी से कहूंगा कि वे इस्तीफा दे दें। इस कामर्शियल कारपोरेशन में, ठेके देने में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है वह सभी लोग जानते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आभारी हूं जो मुझे आप ने समय दे कर कृतार्थ किया। सदन पर जो प्रस्ताव अविश्वास करते हुए प्रस्तुत किया गया है माननीय नेता विरोधी दल द्वारा मैं उस पर अपना विरोध प्रकट करने के के लिये खड़ी हुई हूं।

अविश्वास करने के लिये एक भावना होती है। दूसरा आदमी समझता है कि अविश्वास करने के कारण कोई बहुत गहरे आरोपों की वजह से है और ऐसे ही समय उसे उपस्थित करने का अवसर होता है और उस पर सारे देश की आंखें लगी होती हैं। अब यह दूसरी मर्तबा है जब कि विरोधी दल द्वारा यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है।

एक सदस्य—तीसरा मौका है।

श्रीमती चन्द्रावती—तो आप गिनती लगाने में बैठे हुए हैं। कितने नम्बर तक पहुंच जायंगे यह तो आप लोग ही जानते होंगे।

एक सदस्य—फिर सरकार पलट भी जायगी।

श्रीमती चन्द्रावती—जिस समय अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया सभी को आशा थी कि कुछ गहरा इस प्रदेश के अन्दर रंग आयेगा, लेकिन जिस समय यह पिटारा खुला तो उसमें तू तू, मैं मैं और चूं चूं के मुरब्बे के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकला। अविश्वास के लिये उसकी मनोवृत्ति के ऊपर अविश्वास हो सकता है। जितने भाषण हुए उनमें सभी में एक मूल सारांश निकलता है कि नीति से उनको कोई मतभेद नहीं है। वे ये मानते हैं कि जो सरकार आजकल सत्तारूढ़ है उसकी नीति देश के लिये हितकारक है देश के कल्याण के लिये है, जो समाजवादी ढांचा वह चाहते हैं उसके अनुसार ही है। हो सकता है कि उनके तरीके से और इनके कार्य करने की प्रणाली में कुछ मतभेद हो। मैं इसको इस माने में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं कह सकती। जब आदमी की मनोवृत्ति ठीक हो, जो काम वे करना चाहते हैं वही किया जा रहा हो तो अविश्वास करने के एक दूसरे माने होते हैं।

विरोधी दल के बहुत से भाइयों ने इस राज्य को पुलिस स्टेट बताया, खाद्य नीति के बारे में भी बहुत सी बातें कहीं और बहुत सी व्यक्तिगत चर्चायें भी कीं। मैं उनकी गहराइयों में नहीं जाती क्योंकि उनका जिक्र इस सदन में दूसरी पार्टी से प्रत्युत्तर में काफी हो चुकी है। मैं एक चीज पेश करना चाहती हूं जो कि आज सब के सामने है। उन्होंने इस राज्य की बुराई करते हुये इसे पुलिस स्टेट बताया। जहां तक मेरा ज्ञान है उन सब भाइयों की संख्या जो विरोधी पक्ष में बैठे हुये हैं १४० है।

एक सदस्य—१४४।

श्रीमती चन्द्रावती—हां, १४४। तो दफा १४४ का, ऐसा प्रस्ताव ला कर, वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनसे यह सही बताना चाहती हूं कि वह दफा १४४ हमारे मुंह को बन्द नहीं कर सकती। जिस जनता के पैसे को वे समझते हैं कि यहां की सरकार व्यर्थ में बर्बाद कर रही है तो क्या मैं उनसे पूछ सकती हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होंने अभी मुझे बतलाया कि तीन बार लाये, तो हिसाब लगा कर देखा जाय तो क्या इन तीनों प्रस्तावों पर बहस करने में जो जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है उसका कोई उत्तर उनके पास है। क्या ही अच्छा होता यदि यह समय हमारी जनता के हित के सुझाव देने में व्यतीत होता। एक दूसरे के प्रति जहर फैलाने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। आज जनता की भावना इतनी जागरूक है। उस को भड़काने की कोशिश करना कोई रचनात्मक कार्य नहीं है। यह रचनात्मक कार्य होता यदि वास्तविक रूप से आप कोई सही बात बतलाते। आज कांग्रेस पार्टी की गुटबन्दी का भी जिक्र किया गया। क्या मैं उनसे पूछ सकती हूं कि उनकी पार्टियों में ऐसी भावना आपस में नहीं है। अगर वह ऐसी भावना नहीं रखते हैं तो वह सफल व्यक्ति नहीं हो सकते।

बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अच्छा होता यदि उनका भी वे जिक्र करते। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने मुझ से यह कहा कि हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी के विरोध में हूं लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की एक बात की सराहना करता हूं और वह यह कि पंडित जवाहर लाल ने दलाई लामा को इस देश में शरण दे कर भारतीय परम्परा का एक अच्छा सबूत दिया है। जो बातें आप यहां कहते हैं वे ऐसी होनी चाहिये जो हमारे प्रदेश की करोड़ों जनता के पास पहुंचने वाला संदेश हो सके। एक भाई ने इकोनोमी ड्राइव के लिये जिक्र किया है। मैं समझती हूं कि हमारे यहां पहले से ही इनीशियेटिव लिया गया है। उस को शायद उन्होंने अपने दिमाग में नहीं रखा। वह भी एक ऐसा ही ड्राइव था। जब माननीय गृह मंत्री जी का भाषण हुआ था तो जो पुलिस के बारे में आरोप लगाये गये थे उनमें से बहुतों के लिये उन्होंने

कहा था कि यह ठीक हैं और हम उनका सुधार करना चाहते हैं। लेकिन बार-बार बुरा बुरा कहने से कोई सुधार नहीं हो सकता है। अब जनता द्वारा चुनकर सरकार बनाई गई है। अब हम अपने दिल और दिमाग को पहले साफ कर लें तब कुछ कहें। बार-बार जनता के सामने किसी की बुराई प्रगट करने से वह व्यक्ति जनता में भला नहीं बन सकता है। आज उनका दिमाग स्पष्ट नहीं है और विरोध करना ही उनका कर्त्तव्य मात्र रह गया है। आप के ऊपर विरोधी दल का लेविल लगा हुआ है उससे मजबूर हो कर आप बुराई करते हैं और गुप्त रूप से गुरू जी गुरू जी कह कर प्रणाम करते हैं तो क्या इन बातों से देश का सुधार हो सकता है। मेरा यहां पर कहने का कोई ऐसा विचार नहीं है कि आप किसी बात को त्रुटिपूर्ण बताकर न कहें। अवश्य कहें क्योंकि यह मनुष्य का कर्त्तव्य है। लेकिन आज जमाना बुराई करने से नहीं सुधरेगा। आप पहले अपने आचरण ठीक करें तब दूसरों के लिये कुछ कहें। जनता के प्रति समभाव रखें और सरकार के लिये सहयोग भी रखें तब देश का भला हो सकता है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में कुछ कहूं, मैं सब से पहले यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार में उधर के बैठने वाले मंत्री जी और हमारे मित्र अपने पहलू में झांककर देखें, अपने सीने पर हाथ रख कर देखें, सारे हाउस की बात छोड़ दीजिये लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी देखें कि क्या उनको अपने दल का विश्वास प्राप्त है? क्या उनमें से ही उनका एक तबका उनके विरुद्ध अविश्वास नही किये हुये हैं। उसका कहना है कि सरकार ने पक्षपात किया है, इस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और आज से कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने दल का विश्वास प्राप्त करने के लिए एक सभा बुलाई थी और उसमें सीक्रेट बैलट भी एलाऊ नहीं किया गया था।

आज जो बातें दिखाई गई हैं उनसे स्पष्ट है कि उनका विश्वास सारे हाउस में नहीं है। यह ठीक है कि लोग मजबूरी में वोट दे देते हैं। लेकिन जो नैतिकता की बात कही जाती है उसका लेशमात्र भी विश्वास उनमें लोगों का नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के विरुद्ध इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिहन्द डैम की बिजली बिड़ला जी के हाथ बेचकर हमारे प्रदेश के पूर्वी इलाके की गरीब जनता की किस्मत आज पूंजीपतियों के हाथों में बेच दी है। हमारे प्रदेश की पूर्वी जिलों की जनता बड़ी भारी आशा लगाये हुए थी कि जब रिहन्ड डैम बन जायगा तो उस को सिंचाई के साधन तथा बिजली उपलब्ध हो जायगी। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी इनके बदले में लोगों को एलमूनियम दिखाते हैं। आज हमारे प्रदेश को सिंचाई के लिये एलमूनियम की आवश्यकता नहीं है और जो लोग बिजली की तथा सिंचाई के साधनों के मिलने की आशा लगाये बैठे थे उनको दूसरी योजना की आशा में रखा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा अविश्वास इस सरकार के प्रति इसलिये भी है कि इस सरकार ने हमारे प्रदेश की जनतांत्रिक भित्ति को कमजोर किया है और प्रदेश के शासन में अधिकारी वर्ग में पार्टीबाजी पैदा की है। कलेक्टर और सुपरिन्टेंडेन्टों के ट्रांसफरों में उधर के बैठने वालों की जो दलबंदी है उसको बीच में घसीटे जाने का प्रयास हो रहा है। एक पुलिस कप्तान का ट्रांसफर होता है शासक दल के लोग उसको रुकवाते हैं। आप समझते हैं कि केरल प्रदेश में जिस प्रकार से सर्विसेज में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था जिसके खिलाफ आप ने वहां ऐक्शन लिया, क्या उसी प्रकार की कार्यवाही यहां करने के लिये आप स्वतंत्र हैं? आज कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में सर्विसेज में किस प्रकार से इस चीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? विश्वविद्यालयों के वातावरण को इस सरकार ने विषाक्त बनाया है, बिरादरीवाद और जातीयता को वहां फैलाया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना, माननीय मदन पांडेय और वहां के एक प्रसिद्ध वकील नगेन्द्रनाथ जी ने एक वक्तव्य निकाला है जिसमें कि रैंपिड कास्टिज्म करने का आरोप लगाया है, उसमें एक, दो, तीन, चार इस तरह से कर के सबूत दिये हैं। कहा जाता है कि इन की जांच होनी चाहिए तो सरकार कहती है कि यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है।

[श्री गौरी शंकर राय]

लेकिन एग्जीक्यूटिव कौंसिल में यूनिवर्सिटी में हर जगह अपने ग्रुप के लोगों को भेजने में मुब्तिला है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो नृत्य हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं। वहां नियम है कि ला कालेजेज की मान्यता प्राइवेट कालेजों को नहीं मिलेगी, एसोशियेटेड कालेजेज को ला कालेज खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन आवश्यकता पड़ी कायस्थ पाठशाला कालेज को और अग्रवाल कालेज को तो यूनिवर्सिटी के सभी नियमों, उपनियमों को छोड़कर उनको ला कालेज खोलने की इजाजत दे दी गई। यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कौंसिल को नहीं पूछा गया वहां के डीन से नहीं पूछा गया। ला के हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट को नहीं मालूम लेकिन उनको इजाजत दे दी गई। इस सरकार ने प्रजातंत्र की भित्ति को नष्ट किया है। अफसरों में पार्टीबाजी को बढ़ावा दिया है, विश्वविद्यालयों में, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों में हर जगह पार्टीबाजी को फैलाया है। सबूत के लिये मैं बताना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी रीजन के उप-शिक्षा-संचालक बनारस शहर के रहने वाले हैं और वहीं उप-शिक्षा संचालक भी हैं। बलिया जिले के विद्यालयों में चलने वाली पार्टीबाजी में वह शासक ग्रुप की सहायता करने में कायदे कानून सबकी तिलांजलि दे देते हैं। कहा यह जाता है कि मंत्री जी का उनको ऐसा ही आदेश है, ऐसा ही निर्देश है। उसी जिले के रहने वाले हैं, वहीं उप-शिक्षा-संचालक भी रहेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने प्रजातंत्र की भित्ति को हिला दिया है। सरकारी वकीलों की नियुक्ति से लेकर छोटी-छोटी बातों तक में इस सरकार ने पार्टीबाजी की है। उसके प्रजातंत्र की जड़ कांप उठी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर हमारा अविश्वास है इसलिये कि उसने खाद्य-समस्या का समाधान नहीं किया? अभी माननीय खाद्य मंत्री बता रहे थे कि हमने इतनी दूकानें बढ़ा दी हैं और इसके ऊपर उनको गर्व है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में दरिद्रता-गरीबी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से इतनी दूकानें खोलनी पड़ती हैं लेकिन इस पर भी उनको गर्व है। असलियत यह है कि मैं अभी परसों बलिया से आया हूं। वहां एक भी दूकान नहीं बढ़ाई गई है। मैंने मंत्री जी से कहा तो उन्होंने बताया कि कल मने आर्डर दे दिया है कि २०० दुकानें और बढ़ाई जायं। अगर खुल जायं तो अच्छा है क्योंकि उनकी आवश्यकता वहां है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर हमारा अविश्वास है इसलिये कि सरकार इस प्रदेश की दरिद्रता, बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने में बिलकुल निकम्मी साबित हुई है। इस सरकार की नीति के सम्बन्ध में बहुत बातें कही जाती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की श्रम–नीति पूंजीपरस्त नीति रही है। कानपुर टैक्सटाइल मिल्स रेशनलाइजेशन कमेटी बनायी गई। लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। रोज मजदूर निकाले जाते हैं। मिल मालिक गैर कानूनी तरीके से उनको निकालते हैं। कहीं उनकी सुनवाई नहीं है। म्योर मिल के १,२०० से अधिक मजदूर एक साल में निकाले गए एक मिल के मजदूर निकाले जा रहे हैं। केमिकल्स और दूसरे धंधों में काम करने वाले मजदूरों को १५ रुपये पे मिलती है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नीति बिलकुल पूंजीपरस्त नीति है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि, इस सरकार में दो गुट हैं। एक गुट ने पूंजीपतियों को प्रभावित कर लिया है और दूसरा गुट उनको प्रभावित करने के लिये बिरला को बिजली दे रहा है, मोदी को रियायत दे रहा है और-और पूंजीपतियों को रियायत दे रहा है।

शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा गया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां पार्टीबाजी नहीं है। हमारे सदन के सदस्य माननीय रामायणराय जी को––माननीय गृह मंत्री को मालूम है–– कि किस प्रकार से कोर्ट में हैरेस्ट किया गया। सदन के भूतपूर्व सदस्य राजवंशी राय पर मुकदमा चलाया जा रहा है, किस प्रकार से, यह सबको मालूम है। अभी-अभी बुलन्दशहर जिले के नौठी थाने में शकुन्तला नाम की एक लड़की जो अपने मैके जा रही थी उसे मय लारी के

वहां के थानेदार ने रोक लिया और किसी गुण्डे के कहने पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। जिले में एक प्रकार का वातावरण बना हुआ है जिसमें हर काम में, हर मामले में, यह ख्याल किया जाता है कि मिनिस्टर की दिलचस्पी है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये इस सरकार पर हमारा अविश्वास है। सिंचाई विभाग में जो जांच चल रही थी उसके विषय में उधर के एक मंत्री ने हिम्मत की कि अपना इस्तीफा दे दिया। मैं बनारस के विषय में नहीं कहता उसके लिये तो राजनारायण जी ने अपनी आवाज को बुलन्द किया है लेकिन गाजीपुर और बलिया के विषय में जो इस विभाग में जांच चल रही थी वह अब ठप्प हो गई है। वहां के इंजीनियरों ने दावतें दीं जबकि चौधरी चरणसिंह जी ने अपना त्याग-पत्र सरकार से दिया। इस प्रकार से इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है। इसी कारण मैं कहता हूं कि इस सरकार में हमारा अविश्वास है।

बिजली के महकमे में इतनी गड़बड़ी हो गई थी कि उस विषय को यहां असेम्बली भवन में कई बार उठाया गया लेकिन उसके विषय में सरकार ने कोई जांच नहीं की। मैं केवल अपनी तरफ से ही यह बात नहीं कहता कि मेरा अविश्वास है बल्कि आज सभी का इस सरकार में अविश्वास है। हमारे विरोधी वालों का तो अविश्वास है ही किन्तु उधर के लोगों का भी उनमें अविश्वास है, जनता का अविश्वास है। इसलिये इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिये। सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह इस्तीफा दे। आज प्रदेश में जिस प्रकार से खाद्य संकट पैदा हो गया है उसके लिये जनता बहुत परेशान है जिसके लिये यह सरकार कोई भी समुचित कदम नहीं उठाने जा रही है।

अन्त में मैं आपके जरिये से उधर के मंत्री लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके पहले कि यह सदन इस प्रस्ताव के ऊपर अपना वोट दे, प्रजातंत्र की भित्ति को दृढ़ बनाने के लिये यह उत्तर प्रदेश की सरकार अपना स्थान प्रेमपूर्वक रिक्त कर दे।

आचार्य जुगलकिशोर (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे विरोधीदल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव पर अपने दृष्टिकोण को रखने का अवसर दिया। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पास मेरे कुछ साथियों ने जिनकी संख्या ९६ है और जो कांग्रेस बेंचेज पर बैठते हैं, एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंन अपना दृष्टिकोण रखा है और जिससे मैं स्वयं भी सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो वह पत्र सदन के सामने पढ़ कर सुना दूं। वह मैं आपके पास भी भेज दूंगा।

"मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो बहस विधान सभा में चल रही है, उसमें इच्छा रहते हुये भी हम सब लोग भाग नहीं ले सकेंगे। अतएव हमारा निवेदन है कि आप हमारी ओर से निम्न विचारों को सदन के सामने प्रकट करने की कृपा करें और हमारा यह पत्र अध्यक्ष महोदय के पास भेज देवें।

हमारी राय में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जिस प्रकार शासन चला रहे हैं, वह आम जनता व साधारण कांग्रेस जन की आशाओं के अनुरूप नहीं है। प्रशासन ढीला हो चला है और धीरे-धीरे उसकी क्षमता घटती जा रही है। देश में उसकी वह नेकनामी नहीं है, जो पांच साल पहले थी। व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में उसकी असफलता विशेष रूप से रही है। ग्रामीण जनता में अरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है।

फिजूल खर्ची बढ़ रही है और किफायतसारी के वातावरण का निपट अभाव है। राज कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है और वे मनमानी कर रहे हैं, जिसका कारण यह है कि मुख्य मंत्री को प्रशासन को तफसील से देखने का अवकाश नहीं है। न ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी टेढ़ी भौहें हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और प्रशासन की ऐसी शाखाओं अथवा राज कर्मचारियों के ऐसे वर्गों में घुस चुका है जहां पहले उसका अस्तित्व नहीं था।

इस सब के ऊपर राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में मंत्रिगण चिंतित दिखाई नहीं देते। ग्रामीण जनता तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत कोशिश

[आचार्य जुगलकिशोर]

है वह समाचार-पत्रों या विधान सभा में की गयी अपीलों और दिये गये भाषणों तथा राजधानी के अन्दर अन्न उपजाओ आन्दोलन के उद्घाटन तक ही सीमित है ।

सार्वजनिक आचरण के हमारे पैमाने गिरते जा रहे हैं। मंत्रियों के खिलाफ विधान सभा के भवन में अथवा समाचार-पत्रों में तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं। उनका निःशंक हो कर अथवा संतोषजनक रूप से प्रतिवाद नहीं किया जाता और न उन आरोपों की कोई तहकीकात की जाती है। इस नीति या दृष्टिकोण का प्रशासन अथवा सार्वजनिक जीवन पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसकी सहज में कल्पना की जा सकती है ।

अब कुछ दिनों से गवर्नमेन्ट कांग्रेस दल के गवर्नमेन्ट की हैसियत से काम नहीं कर रही है बल्कि अपने आप को दल के अन्दर एक गुट की गवर्नमेन्ट मानती है। सरकारी मशीनरी का खुल कर अथवा बिना किसी हिचकिचाहट अपने गुट के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि इस गवर्नमेन्ट को हमारा विश्वास प्राप्त है। तथापि इस विचार से कि कहीं राज्य में राजनैतिक अव्यवस्था न फैल जाय और इस आशा से कि अन्त में सुबुद्धि से काम लिया जायगा, हम विरोधी दल द्वारा प्रस्तावित इस अविश्वास के प्रस्ताव के हक में अपना मत नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि स्थिति और बिगड़ गयी तो उसका दायित्व हमारे ऊपर नहीं होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप कहें तो मैं नाम भी पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष---यह पत्र आप मेरे पास भेज दें, नाम बाद में मालूम हो जायेंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, नाम पढ दिये जायं ।

आचार्य जुगलकिशोर---उनके नाम इस प्रकार हैं---सर्वश्री मदनमोहन वर्मा, द्वारिकाप्रसाद पांडेय, धनुषधारी पांडेय, मथुराप्रसाद पांडेय, मिहरबान सिंह, सुखलाल, जवाहरलाल, लुत्फ अली खां, सुन्दरलाल, सुक्खनलाल, रामलखन सिंह, रामसमझावन, माताप्रसाद, रऊफ जाफरी, प्रकाशवती सूद, बिन्दुमती दास, प्रभावती मिश्र, तेजा सिंह, रामपाल त्रिवेदी, श्यामममनोहर मिश्र, बसन्तलाल, गोकुलप्रसाद, शब्बीर हसन, (अस्पष्ट) सिंघल, रामलाल, शिवमंगलसिंह, गंगाप्रसादसिंह, विजयशंकर सिंह, वशिष्ठनारायण शर्मा, हरिदत्त काण्डपाल, शिवराज सिंह, श्रीकृष्ण गोयल, ब्रजवासीलाल, रामसनेही भारतीय, गोपीकृष्ण आजाद, रामप्रसाद, रामवचन यादव, आदिराम सिंघल, गनेशचन्द्र काछी, जोखईराम, सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, डूंगर सिंह, अब्दुल लतीफ नोमानी (आजमगढ़), मंगलाप्रसाद, मुजफ्फर-हसन, कैलाशप्रकाश, चरणसिंह, दाताराम, सईद अहमद अन्सारी, राममूर्ति, मोहनलाल (हमीरपुर), जगदीशप्रसाद, श्रीनाथ, जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री बन्सल, रामरतन प्रसाद, जगन्नाथ चौधरी, महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---ये नाम दिये हैं, कुछ नाम और हैं। मैं पढ़ूं सब को ?

कुछ सदस्य---अवश्य पढ़िये ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने कुछ नाम पढ़ दिये, तो बाकी भी पढ़ दीजिये, लेकिन दोहराइये नहीं ।

आचार्य जुगलकिशोर---सर्वश्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी, रामप्रसाद देशमुख, मलखान सिंह, हरिश्चन्द्र सिंह, ताराचन्द माहेश्वरी, उदयशंकर दुबे, गौरीशंकर गुप्त, बाबूलाल कुसुमेश, देवदत्तसिंह, गणेशप्रसाद पांडेय, अक्षयवरसिंह, बिशाल सिंह, बाबूराम, तिरमलसिंह, चन्द्रसिंह रावत, लक्ष्मणसिंह अधिकारी, शांतिप्रपन्न शर्मा, श्रद्धादेवी, लालबहादुर सिंह, गनेशीलाल, मुक्तिनाथ राय, नवलकिशोर, रामकृष्ण सारस्वत, अयोध्याप्रसाद आर्य, केशभानराय, फतेहसिंह राणा, रघुवीरसिंह, हरीसिंह, रामजीलाल सहायक, राजेन्द्र

किशोरी, किशनसिंह, सत्यवती रावल, सूर्यबली पांडेय, नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, नत्थूसिंह (बरेली), श्रीनिवास, कन्हैयालाल बाल्मीकि, द्वारिकाप्रसाद मित्तल,—ये ९६ नाम हैं, अलावा मेरे ।

*मुझे श्रीमन्, इस सम्बन्ध में यह कहना है कि हमने जो यह पत्र पढ़ा उसे हमें काफी दुःख के साथ पेश करना पड़ रहा है । मैं समझता हूं मेरे माननीय सदस्यगण भी सहमत होंगे कि किसी भी ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफिशियेंसी, उसकी कार्य-कुशलता और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि किस हद तक वह शासन करप्शन को या इस तरह का जो भ्रष्टाचार हो उसको खत्म करना चाहता है, केवल खत्म करने की इच्छा ही नहीं बल्कि उसके लिये वह निरन्तर चिंतित रहता है और सचेत रहता है कि जहां पर उसे पाया जाय उसको खत्म किया जाय । यही एक सूरत है ।

दूसरी चीज यह है कि जब आप कोई शिकायतें किसी कर्मचारी के खिलाफ सरकार के पास पहुंचायें तो उसकी तहकीकात जल्दी से हो और जहां तक हो सके न्यायपूर्ण हो । अगर इस तरह की तहकीकात नहीं की जाती है तो जनता में सरकार के प्रति जो विश्वास होना चाहिये, जो एक न्याय की भावना होना चाहिये, वह कम हो जाती है ।

इस बात की भी आवश्यकता होती है कि सरकार जो कार्य भी करे उसमें इकानामी, किफायतशारी हो, फिजूलखर्ची न हो । केवल यह कह देना काफी नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने जो स्कीमें बनायी हैं उनको ठीक तौर से चलाया जा रहा है, बल्कि इस बात की भी जांच करनी होगी कि कहां तक इकानोमिकली चलायी जा रही है और चलायी जानी चाहिये और कहां तक इस बात का खयाल किया जाता है कि जो स्कीमें चल रही हैं और जो उनके प्रशासन में खर्चा होता है उसमें कमी हो सकती है या नहीं ।

मैं समझता हूं कि जहां तक इस दृष्टि से देखने की बात है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट की तवज्जह उस तरफ नहीं गई है जिधर जानी चाहिये थी । मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश में एस्टीमेट्स कमेटी है, इसी आदरणीय सदन की नियुक्त की हुई और एक एकोनामी कमेटी कई साल पहले नियुक्त की गई थी जसके अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व मिनिस्टर श्री हाफिज साहब थे और दूसरे काफी अच्छे-अच्छे सदस्य थे और बाहर के भी नान-आफिशियल्स थे । लेकिन उस कमेटी के बारे में भी जहां तक मुझे मालूम है कुछ ज्यादा कार्यवाही नहीं की गई है । एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में भी लोगों की शिकायत है और उसका मुझे भी तजुर्बा है क्योंकि मैं उसका दो साल तक चेयरमैन रह चुका हूं और इस समय श्री नवलकिशोर जी उसके चेयरमैन हैं उनकी भी शिकायत है कि कई दफे रिपोर्टें पेश की गई—हो सकता है मैं गल्ती पर होऊं—लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसका हवाला नहीं दिया गया । मेरा खयाल है कि शायद उनको पढ़ना भी बेकार समझा गया है । इसलिये किफायत तब हो सकती है जब इन कमेटियों की रेकमेन्डेशन्स पर अमल किया जाय । यह कमेटियां कोई बाहर की नहीं थी बल्कि इसी लेजिस्लेचर की बनाई हुई या गवर्नमेंट की बनाई हुई थीं और इस लिये नहीं बनी थीं कि केवल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें । तो जब ऐसी बात होती है तो ख्याल होता है कि जैसा मैंने अपने भाषण में कहा या इस सदन के दूसरे सदस्यों ने कहा उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती । आज इस बात की जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन के हेड्स अपने-अपने विभागों के प्रति एक तरह का विजिलेंस रखें, निगाह रखें जिससे यह मालूम हो सके कि कहां पर क्या हो रहा है । आज मुझे संदेह है कि इस तरह की विजिलेन्स मिनिस्टर अपने विभागों में कर पाते हैं या नहीं । यह दूसरी बात है कि जैसा मैंने जिक्र किया कि आजकल कुछ गुटबन्दी के कारण मिनिस्टर साहबान को फुर्सत नहीं मिलती है कि वह विभाग की फाइलों को देख सकें । मेरा विचार है कि वे एडमिनिस्ट्रेशन में समय न दे सकने के कारण अपने विभागों की तरफ लापरवाह होते चले जा रहे हैं और गुटबन्दी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ।

---

*नोट—कुछ देर के पश्चात् श्री निरंजनसिंह ने भी उपरोक्त सूची में अपना नाम, सम्मिलित करने के लिए लिखित प्रार्थना श्री अध्यक्ष के पास भेजी ।

[आचार्य जुगलकिशोर]

अब एक आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि आजकल बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी केवल ग्रुप की पार्टी बन गयी है। और यह इसलिये मैं कहता हूं कि आजकल जैसा मैंने अनुभव किया कि बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, जैसे बहुत सी कमेटियां नियुक्त की गयी उनमें खास तौर पर इस बात पर विचार किया जाता रहा है कि मंत्री ग्रुप का आदमी ही इसमें हो और इनके द्वारा मंत्री ग्रूप को बल प्राप्त हो। उसी प्रकार से अन्य नियुक्तियों में भी विचार किया जाता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हालांकि वह बात यहां उठने वाली नहीं थी लेकिन क्योंकि वह इससे संबंध रखती है, इसलिये उसको कहना जरूरी समझता हूं और वह यह कि हमारे संविधान में पार्लियामेंटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट को कबूल किया गया है और पोलिटिकल पार्टियों को भी रिकगनाईज किया गया है और उनको मान्यता दी गयी है। एलेक्शन कमीशन में उनके नाम लिखे हुये हैं। इसलिये संविधान में ऐसा परिवर्तन होना चाहिये जिससे पोलीटिकल पार्टीज पर भी नियन्त्रण हो सके कि किस तरह से वह अपने काम को चलायें और उनका कांस्टीटयूशन डेमोक्रेटिक लाइन्स पर होना चाहिये। मुझे दु ख के साथ कहना पड़ता है, मैं समझता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग इसको बुरा नहीं मानेंगे, कि केरल में जो हुआ वह एक बड़ी अफसोस की बात है। जैसा कि मुझे रिपोर्टों से मालूम हुआ, मैं यही समझता हूं कि वहां पर पार्टी नहीं बल्कि डिकटेटरशिप रही। इसी कारण केरल में हस्तक्षेप करना पड़ा तो मैं यह चाहूंगा कि अगर पार्लियामेंटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट हमारे देश में सफल होना है तो पार्टियों के ऊपर इतना प्रतिबन्ध होना चाहिये कि उनका संविधान डेमोक्रेटिक हो और यह भी देखा जाय कि वे डेमोक्रेटिकली फंकशन करती हैं या नहीं। नहीं तो खतरा यह है कि डेमोक्रेसी में जहां मेजारिटी रूल होना चाहिये वहां अल्पमत का या किसी एक व्यक्ति का रूल होने की सम्भावना है। हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि हर पार्टी में कुछ न कुछ ऐसे सदस्य अवश्य होंगे जो असन्तुष्ट होंगे और कहते होंगे कि हमारी पार्टी में जितनी डेमोक्रेटकली संविधान चलना चाहिये था, जैसे स्वतंत्रता से हमें राय देने का मौका होना चाहिये था, नियमों का जैसा पूरा पालन होना चाहिये था, वह सब नहीं हो पा रहा है। तो आज हमारी पार्टी में भी ये सब दोष पैदा हो गये हैं जिससे मेरा खयाल ऐसा हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सब सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना।

श्री उपाध्यक्ष—स्वामी विश्वेश्वरानन्द ने एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनका नाम माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने खुले रूप से लेकर कुछ चार्जेज लगाये हैं। इसलिये में उनको थोड़ा-सा समय देता हूं।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं विरोधी पक्ष द्वारा लाये हुये अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उसके साथ-साथ मैं आपनी प्रसन्नता भी जाहिर करता हूं कि जो प्रस्ताव आया है मै उस पर एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं समझता जबकि सरकारी बेंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों में से ही ९६ सदस्यों ने इस सरकार में अविश्वास जाहिर किया है, जो यह सरकार डींग मारती है कि हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी व्यवस्था है और प्रजा सुखी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो चार्जेज मेरे ऊपर लगाये गये हैं या जो मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनमें मैं अकेला ही नहीं हूं वरन् मेरे साथ कितने ही किसान और मजदूर हैं। उनके ऊपर जो जुल्म होता है और अबलाओं के ऊपर जो २६ जुलाई को हुआ है, मैं आपसे बयान करना नहीं चाहता। मैं लक्ष्मीरमण आचार्य जी से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब कल उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष की ओर से ३ सदस्य वहां जाकर जांच करें तो वे इस बात को पायेंगे कि मैं यहां बैठने के योग्य नहीं हूं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रश्न पर मैं आज ही इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। मुझे

यहां पर बैठने का शौक नहीं है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके वह स्वयं जाकर जांच करें और जो कुछ नतीजा वे पावेंगे मैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करूंगा और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिये तैयार हूं। लेकिन मुझे दुःख है कि आचार्य जी ने इस बात की कोशिश नहीं की या वह अपने किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से ही जांच कराने की कृपा करते तो मुझे संतोष होता। मैंने उन व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाये हैं जो राजस्थान को चोरी से चावल भेज रहे हैं और राज्य सरकार की अन्न व्यापार योजना को फेलकर रहे हैं। वहां का सब इंसपेक्टर पुलिस २,००० रुपये रोजाना उससे कमा रहा है, रीजनल फूड डिपार्टमेन्ट के कर्मचारी जेबें भर रहे हैं और दिखला रहे हैं कि मंडियों में गेहूं नहीं आ रहा है। इस प्रदेश का ८० फीसदी किसान आज भूखा है, उसके घर में अनाज नहीं है। इस सरकार को चाहिये कि उन पूज्य बापू की आत्मा का लिहाज करके विक्रमादित्य और भोज की तरह गरीब जनता में जावें और उसकी सही हालत का पता करें।

जब शुरू में मैं यहां चुन कर आया तो विरोधी दल के अलावा सरकारी पक्ष की ओर से ही पुलिस के अन्यायों पर जो अविश्वास मैंने सुना उनमें लगभग १०० के सदस्य थे जिन्होंने पुलिस के जुल्मों के बारे में यहां कहा। जो आज बाहर जाकर विधान सभा के सदस्यों की या जनता की मीटिंग बुलावें और देखें कि जनता इस सरकार पर विश्वास करती है या अविश्वास करती है। अगर यह सरकार अपने काले कारनामों का नतीजा देखना चाहती है तो बाहर जाकर देखे।

तारीख २८, व २९ अप्रैल को माननीय हुकुमसिंह जी मंत्री ने कोआपरेटिव सेमीनार में एक शब्द ऐसा कहा था जिसके ऊपर वहां के बहुत से सज्जनों को हंसी आई। सहकारी खेती की प्रशंसा करते हुये उन्होंने कहा कि जो नेहरू जी कहेंगे उसे हमें कहना पड़ेगा नहीं तो हम भी कान पकड़ कर निकाल दिये जावेंगे। मुझे अफसोस है कि जो विचार उनके दिल में पैदा होते हैं उन्हें वे डंडे के जोर के डर से कह नहीं सकते। हम ख्वाहमख्वाह ही यहां नहीं आये हैं। जनता ने ही हमें यहां भेजा है। कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यों में जो उधर के बैठने वाले हैं उनके दिलों में एक अरसे से जो आग सुलग रही थी उसका विस्फोट आज हो गया है।

श्री राजनारायण--(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री लक्ष्मीरमण आचार्य का नाम पुकारे जाने पर) कल आपकी ही व्यवस्था थी कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, इस तरह से।

श्री उपाध्यक्ष--आचार्य जी बीच में खड़े हुये थे, इसलिये मैंने कहा।

श्री राजनारायण--मैं भी चाहता हूं कि आप कल की रूलिंग के विपरीत आचरण करें, वही सभ्य होगा।

समाज सुरक्षा मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--मेरे मित्र ने कहा कि मैंने उनका नाम लेकर कुछ चीजें कहीं। उनका नाम लेकर मैंने कुछ नहीं कहा। इसके अतिरिक्त दूसरी बात उन्होंने कही कि यदि मैं उनको अयोग्य समझता हूं तो वह सदन में एक क्षण बैठने के लिये तैयार नहीं हैं। यह भी मैंने नहीं कहा। हां, यह जरूर है कि विरोधी दल के नेता त्रिलोकी सिंह जी ने आगरे की किसी घटना का जिक्र किया। उस पर मैंने यह कहा कि आगरा में भी गया और वहां पर जो कुछ मुझे मालूम हुआ वह मैंने यहां कहा। मैंने वह बात कही जिसके सम्बन्ध में मैं उत्तरादायी हूं। जो कुछ मैंने कहा वह मेरे विश्वास से सही था।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आचार्य जी के भाषण ने प्रस्ताव की गम्भीरता को बढ़ा दिया। मेरा विश्वास है कि अब मौजूदा सरकार नैतिक रूप से एक मिनट भी उस स्थान पर रहने योग्य नहीं है। मैं इस बात की मांग करूंगा कि जिस सरकार को २५० सदस्यों का अविश्वास प्राप्त हो, उसे आज इसी समय इस्तीफा दे देना चाहिये। इस सरकार और उस वक्तव्य के देने वालों में जो संबंध रह भी गया है वह भी एक क्षण के बाद टटेगा। सरकार की नीतियां असफल रहीं और उसने कांग्रेस पार्टी और शासक

[श्री झारखंडे राय]

पार्टी में मतभेद पैदा किया । उसकी सियासी तस्वीर आज हमार सामने वक्तव्य के रूप में आई है । इस समय हमारा अबजेक्टिव कास्टीट्यूशन क्या है ? हमारे भारतीय गणतंत्र में तानाशाही के काले रोग दिखाई पड़ रहे हैं और उसकी शुरूआत शासक पार्टी ने स्वयं केरल में वहां की हुकूमत को खत्म करके की है । राष्ट्रीय कांग्रेस की ऊंची भावनाओं को यह शासक पार्टी तिलांजलि दे रही है । कांग्रेसपार्टी के भीतर प्रतिक्रियावादी तत्व हावी होते जा रहे हैं, वे धीरे-धीरे कांग्रेस राज की उच्च भावनाओं को दफनाने की कोशिश कर रहे है कि कांग्रेस ने जो भी ऐलान किये हैं वह किसी भी प्रकार से लागू न हो जांय । कांग्रेस पार्टी के शासन में संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है । खुद शायद गुट का सम्बन्ध सांप्रदायिक तत्वों से तेजी से होता जा रहा है । केरल की घटना इस बात की आंशका पैदा करती है कि हमारे देश में मुस्लिम लीग फिर से जीवित हो रही है । ईसाई संप्रदायवाद अमेरिकी डालरों की सहायता से सिर उठा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सरकार में अविश्वास इसलिये प्रकट करते हैं कि हमारे सूबे की अधिकांश जनता आज इसके विरुद्ध है । जनता का उसमें विश्वास नहीं है । इसलिये अविश्वास प्रकट करते हैं कि इस सरकार में सदन के बहुमत का भी विश्वास नहीं है । अब इस सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता एक पोलीटिकल आल्टरनेटिव की खोज कर रही है । हिन्दोस्तान की पार्टियों और दलों में कौन उस स्थान को लेगा, यह भविष्य बतलायेगा, लेकिन हमारा विश्वास है कि यह सरकार बदलेगी और बहुत जल्द बदलेगी और इसकी जगह हिन्दोस्तान की तमाम प्रगतिशील शक्तियों का संयुक्त मोर्चा ग्रहण करेगा । इसी ओर हमें बढ़ना है ।

कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतभेद बढ़ता जा रहा है । हमारे प्रदेश में ही नहीं देश के कोने-कोने में उसकी नीतियां असफल रही हैं । पिछले १२ वर्षों के इस युग में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव घटता जा रहा है । जनता से यह पार्टी दूर हटी है, जनता इस पार्टी से दूर गयी है । १९५२ के आम चुनावों में राष्ट्रीय पैमाने पर कांग्रेस को ४६ प्रतिशत वोट मिले थे और इस प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ समझा जाता था ४८ प्रतिशत वोट मिले थे । लेकिन १९५७ के चुनावों में केवल ४२ प्रतिशत वोट ही इनको प्राप्त हुए । यह किस बात का द्योतक है । जनता में इनका विश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है । १९५४ में जब नगर निकायों का चुनाव हुआ तो इस पार्टी को केवल ३४ प्रतिशत वोट ही प्राप्त हुए । आज यह किस चीज का द्योतक है ? शहरी बुद्धिजीवी लोग इस सरकार के विरुद्ध हैं । अविश्वास एक प्रक्रिया है । यह एक दिन में पैदा नहीं होता है, धीरे-धीरे पैदा होता है और फिर एक स्थान पर जाकर गुणात्मक परिवर्तन होता है जब कि जनता अपने ही चुने हुए को पद से हटाती है । आज वह चीज आ गयी है । इतना ही नहीं अभी-अभी जो ६ बाई-इलेक्शन हुए हैं, सरकार उससे परिचित है, उनमें से एक को यह जीते हैं और पांच में ये हारे हैं । कौन लोग हारे हैं ? बड़े-बड़े भारी मिनिस्टर हारे हैं, मैं तो यह कहूंगा । अलीगढ़ में गौतम जी हारे हैं । बनारस में माननीय कमलापति का दाहिना हाथ टूटा है, मेरठ में चौधरी साहब की दाहिनी भुजा कटी है, बिजनौर में हाफिज जी का दाहिना हाथ गिरा है । १९५७ में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को ४१·२४ वोट प्राप्त हुए लेकिन वह घटाव का सिलसिला क्रमशः जारी है और क्रमशः विरोधी तत्वों का बढ़ाव जारी है । यह इशारा किस तरफ है ? जनता किधर इंगित कर रही है । आज की स्थिति कहती है अब अगर नैतिकता सचमुच रह गयी है तो देरी पद छोड़ने में नहीं करनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी साहब को बधाई देता हूं जिन्होंने मेरठ की हार के बाद स्वयं इस्तीफा दे दिया । उन्होंने महसूस कर लिया कि जनता ने उनमें अविश्वास प्रकट किया है और हमें सरकार में रहने का अधिकार नहीं है । इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । सरकार में जो हमारा तथा इधर के बैठने वालों और उधर के बैठने वालों का अविश्वास हुआ है वह क्यों ? सरकार की नीति के फलस्वरूप । वह एक या दो नीति के कारण नहीं बल्कि तमाम नीतियों का जो समग्र परिणाम है उसकी वजह से यह अविश्वास पैदा हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा अविश्वास सरकार में इसलिये है कि यह सरकार पूंजीवादी है, इसकी नीति पूंजीवादीपरस्त और एक विशेष वर्ग की हिमायती है। इस सरकार के चलते हुए मुट्ठी भर लोग उससे लाभ उठाते हैं, उसकी नीति से अधिकांश जनता उस लाभ से महरूम रहती है। तो ऐसी सरकार जो हमारे समाज के कुछ थोड़े हिस्से की नुमायन्दगी करे, उनका हित सम्पादन करे, और उन्हीं के हित का चिन्तन करे, उस सरकार के प्रति हमारे प्रदेश की ६ करोड़ जनता का विश्वास नहीं है, इसीलिये आज हमारा इस सरकार में अविश्वास है। मुझे मालूम है कि खुद मंत्रिपरिषद् के कई मिनिस्टरों के प्रति सरकार के अन्दर रहने वाले मिनिस्टरों की तरफ से गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। क्या उनकी जांच की गयी ? मैं नहीं जानता कि वे सही हैं या गलत लेकिन उसकी क्या जांच की गयी ? सब चीजों को दबा दिया गया हैं। इसे दबा कर और ज्वालामुखी के मुंह पर बैठ कर वह कब तक अपना खैर मनायेगी, सरकार इस बात को सोचे। आज उसे सोचने का भी अवसर नहीं रह गया है।

इस सरकार में हमें अविश्वास इस नाते भी है कि सरकार ने अभी तक अपना लक्ष्य घोषित नहीं किया। सात वर्ष के अन्दर कितनी बजट स्पीचेज, गवर्नर स्पीचेज और मौके-मौके पर मिनिस्टरों की स्पीचेज हुईं, उसकी एक बड़ी लम्बी तालिका हो जायगी। कहा तो यह जाता है कि हमारा समाजवादी लक्ष्य है, समाजवाद शब्द के साथ यह कह कर खिलवाड़ किया जाता है। कभी तो समाजवादी समाज की बात की जाती है, कभी समाजवादी प्रकार के समाज की बात कही जाती है, लेकिन समाजवाद की परिभाषा क्या है इसे नहीं बतलाया जाता। इस तरह के नारे केवल जनता को गुमराह करने के लिये लगाये जाते हैं ताकि वह घपले में रहे और इस तरह से समाजवाद के नाम का गलत इस्तेमाल किया जाता है। समाजवाद का नाम वे जनता के उन हिस्सों में जाकर लेते हैं जहां कि अभी तक उनकी रूपरेखा का पर्दाफाश नहीं हुआ है और उनको वे अपने साथ लाना चाहते हैं। इस सरकार में हमें अविश्वास इसलिये भी है कि इस लक्ष्य के अनुरूप सरकार शासन यन्त्र में आमूल परिवर्तन करने की ओर एक कदम नहीं बढ़ी, इसलिये आज इस सरकार को जाना ही चाहिये। क्रान्तिकारी भूमि सुधार के नाम पर जो इस प्रदेश में खाद्य समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया है उसने हमारे प्रदेश के लाखों लोगों को बाकार होने की जगह बेकार कर दिया है। सरकार ने सही रूप में इस नारे को चारितार्थ नहीं किया है, उसने जनता की आशाओं पर पानी फेर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे नौजवान उद्योग और श्रममंत्री बहुगुणा जी ने कहा कि हमें रोटी नहीं चाहिये। यह पेटभरों की आवाज है, यह भूखों की आवाज नहीं है। यह मध्यम वर्ग के नौजवानों के मुंह से आवाज निकल सकती है जिन्हें कभी भूख का पता ही नहीं है लेकिन अगर प्रदेश की लाखों-करोड़ों जनता से यही सवाल पूछा जाय और वह यही जवाब देगी तो हम इस सदन को छोड़ने के लिये तैयार हैं। आपने कहा कि हमें रोटी नहीं चाहिये, हमें विचार स्वातंत्र्य चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं जो कि भूख से मरते हुए आदमी हैं, भूख से तड़पते हुए आदमी हैं, आधा पेट खाने वाले आदमी हैं उनसे पूछा जाय कि तुम्हें रोटी चाहिये कि विचार स्वातंत्र्य चाहिये तो वह यही कहेगा कि पहले हमें रोटी चाहिये। रोटी ही सब कुछ है, बगैर रोटी के हम नहीं रह सकते, रोटी के बगैर हमारा जीवन नहीं रह सकता, बगैर रोटी के कोई साधन नहीं रहेगा। किसी भी साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उनके राज्य में आज दालमंडियों में सीता सावित्री, मरियम और हव्वा की सन्तानें, और देवियां चार-चार और आठ-आठ आने के पैसों पर अपनी असमत नहीं बेच रही हैं ? क्यों बेच रही हैं ? रोटी के लिये। फिर उन की यह हिम्मत, उन की यह मजाल कि वह यहां सदन में कहें कि 'रोटी नहीं चाहिये'। रोटी नहीं चाहिये, यह पेट भरों की आवाज है, यह प्रदेश की भूखी जनता की आवाज नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन की नीतियां असफल होती गयीं।

उद्योग मंत्री, जी डिप्टी मिनिस्टर साहब जो श्रम मंत्री हैं उनकी उद्योग नीतियां क्या हैं, उनका नतीजा क्या है ? वह है नर्मी का व्यवहार उद्योगपतियों के साथ और कड़ाई की नीति मजदूरों के साथ। मैं आप को बताऊं कि सन् १९५४

[श्री झारखंडेराय]

से १९५८ के बीच का आज भी साढ़े ३ करोड़ इन उद्योगपतियों पर बाकी है, १४ लाख रुपया प्राविडेन्ट फंड का बाकी है, साढ़े ३ लाख रुपया संचालक राज्य बीमा काप.रेशन का बाकी है, लखनऊ विक्रम काटन मिल में सन् १९५३ से आजतक मजदूरों का वेतन नहीं दिया गया, म्योर मिल पर ९ लाख रुपया बाकी है, अथर्टन मिल पर ५ लाख रुपया बाकी है और सूती मिल मजदूर संघ का कहना है कि ७ करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन उद्योगपतियों के साथ क्यों नहीं सख्ती होती ? क्या दो-दो आने और दो-दो रुपए के लिये गरीब किसान मजदूरों की ही हड्डियां तोड़ी जाती हैं और उनकी खाल खसोटी जाती है ? अगर किसी ने तकावी नहीं दी है तो नई बहुओं को घर में जाने से रोका जाता है। बड़े-बड़े मिल मालिकों से नर्मी का बर्ताव और आम जनता के साथ कड़ाई का व्यवहार क्यों किया जाता है ? माननीय पांडेय जी ने कल कहा था कि ९ मास पहले वेज बोर्ड ने इन्टरिम रिलीफ की बात कही थी, वह क्यों नहीं आजतक लागू हुआ ? आज गरीब मजदूरों को माननीय यंत्री जी ने लुंजपुंज कर के उन पिपासे पूंजीपतियों के सामने हाथ पैर बांधकर डाल दिया है कि लो इनको खाओ, इनकी हड्डी और मास नोचो। आज ८ हजार मजदूर अस्थायी वेजेज पर काम करते हैं, उनका केस, न्याय करने वाला जो एडजुडिकेशन है उसको भी नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया ? इस का मंत्री जी और यह सरकार जवाब दे। जूट वर्कर्स के बारे में एक भी हमदर्दी का शब्द नहीं कहा गया। यह सरकार की नीतियां कृषि में और उद्योग में चल रही हैं, यह सरकार किस से साथ जोड़े है ? देश, प्रदेश, लखनऊ, अनेक वर्ग हैं, जो वहां बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनके साथ सरकार अपना साथ जोड़े है, साथ में अगर मरती हुई जनता का कोई भला हो जाय तो हो जाय, चूरन चारन, उड़ा हुआ चून पित्रों को। सात साल हो गये वही जो दो चार उद्योग खुले हैं उन्हीं की बात बार-बार दोहराई जाती है, केसा की बात, चुर्क सीमेंट फैक्टरी की बात है। चुर्क सीमेंट फैक्टरी की बात यह है कि सारे देश से मंहगा सीमेंट वहां का बिक रहा है लेकिन हमारी सरकार को इस का गर्व है।

अब हद बन्दी और कृषि सुधार की बात है। जमींदारी तोड़ी गई वह भी मुआवजा दे कर। क्या यही वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से सन् १९३६ में एगरेरियन रिफार्म्स कमेटी जो कांग्रेस की थी उसने यही सिफारिश की थी ? सन् १९३० में माननीय वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में क्या राष्ट्रीय कांग्रेस का यही एलान था, आज भी ८० लाख एकड़ परती है, मुमकिन है कुछ आंकड़ों में फर्क हुआ हो बाकी इस १२ साल के राज्य में क्यों वह जमीन भूमिहीन किसानों को नहीं बांटी गई ताकि कुछ बेकारी कम होती। क्यों नहीं किया गया मैं पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग का ६४ एकड़ का ऐलान किया गया। अभी कल लोकनाथ-सिंह जी ने कहा था सोशलिस्ट पार्टी पर हमला करते हुए कि बड़े पैमाने पर बनारस में जमीनें ट्रांसफर हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जमीनें जब ट्रांसफर हो रही थीं तो आपने शुरू में एक आर्डिनेन्स करके क्यों नहीं रोका ? जब आपके दिमाग में यह बात आई कि सीलिंग करना है तो क्या यह नहीं जानते थे कि पुराने भू-स्वामी ट्रांसफर करेंगे ? क्या सीलिंग करने की इनकी नीयत है ? मुझे विश्वास है कि यह सीलिंग करना नहीं चाहते हैं और अगर करना चाहते हैं तो ऐसी करना चाहते हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। वरना ऐलान के बाद प्रिलिमिनरी मेजर्स न लिये जाते। वह क्यों नहीं किये गये ? मुख्य मंत्री जी ने पहले बयान में कहा कि १५ लाख एकड़ जमीन निकलेगी। बाद में कहा कि ९ लाख एकड़ निकलेगी। पता नहीं कितनी निकलेगी ? कुछ ठिकाना नहीं है कि कितनी जमीन इनके पास है और कितनी निकलेगी और ६४ एकड़ के बाद एक परिवार की परिभाषा को देखते हुए कितनी जमीन निकलती है। यह बिलकुल मजाक है और विश्वासघात है राष्ट्रीय कांग्रेस की उच्च परम्पराओं का।

उपाध्यक्ष महोदय, कल बहुगुणा जी ने योजनाओं के बारे में कहा कि कौन-सी योजना हमारी फेल हुई। माताटीला, सपरार, अर्जुन और टांडा पम्प्ड कैनाल के एस्टीमेट्स में ८० से १०० फीसदी तक का फर्क हो चुका है, यह कौन नहीं जानता ? इसका पता लगाने की कोशिश की गई है कि ऐसा क्यों होता है ? खटीमा का सर्वविदित हाल है, ढाई करोड़ से ८ करोड़ हो गया। रिहन्द में ३५ करोड़ से ४६ करोड़ हो गया। दोहरी घाट में १ करोड़ २९ लाख से डेढ़ करोड़ हो गया और फिर भी अधूरा है। कौन-सी चीज प्राथमिकता से ली जानी चाहिये इसके लिये जनता से नहीं पूछा जाता। वही पुराना तरीका है कि ऊपर से एस्टीमेट लाकर जनता के ऊपर थोप देना। गोविन्दसहाय कमेटी का भी हश्र वही होगा जो और कमेटियों का हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, चकबन्दी की स्कीम रखी गयी। चरणसिंह जी चकबन्दी के मुजाहिद थे करके छोड़ेंगे चाहे जनता खिलाफ हो, चाहे ६२ पहुंचते-पहुंचते गोली कान से निकल जायें। वह हटे तो ऐलान हुआ कि चकबन्दी स्थगित, पंडित जवाहरलाल जी ने कहीं जिक्र कर दिया तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कहां, कहा गया था कि स्थगित होगी, स्थगित तो नहीं होगी। इस तरीके से बातों का बदलना यह मुस्तकिल सरकार की निशानी है ? जिसके घर में आज फूट है अपनी नीतियों की असफलता के कारण, यह उसी सरकार की निशानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का नाम सुनकर माननीय मुख्य मंत्री जी--हैं नहीं इस समय--का चेहरा बिगड़ जाता है। इस सदन में वह कई बार कह चुके हैं कि यदि भ्रष्टाचार की बात मैं ऐसी मानूं जैसी कही जाती है तो पागल हो जाऊं। आज भ्रष्टाचार निवारण के लिये कमेटी बनाई गई। अब उनको भ्रष्टाचार दिखाई पड़ने लगा जो साल, दो साल, छः महीने पहले बार-बार कहने पर भी दिखाई नहीं पड़ता था। आज भ्रष्टाचार की वही हालत है जैसे कि ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है उसी प्रकार भ्रष्टाचार भी सर्वव्यापी है। केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री, माननीय जगजीवनराम जी ने कासगंज, जिला फर्रुखाबाद में कहा था--"आज समाज तथा संसार दो दलों में विभक्त हो गया है, तथा शोषण करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे नियंत्रित करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। इसी दृष्टि को सामने रखते हुए सरकार ने खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। जो लोग इस प्रकार के अनैतिक कार्यों से जनता को तड़पा कर मारना चाहते हैं उन्हें मौत की भी सजा दी जाय तो कम है"। पंडित नेहरू ने भी कई बार कहा था। अगर २, ४ भी ब्लेक मार्केट करने वाले इसी असेम्बली के सामने फांसी पर लटका दिये गये होते तो कुछ रुकावट होती। लेकिन इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है।

अब मैं पुलिस की निरंकुशता के बारे में कहना चाहता हूं। आजमगढ़ में जो वाकया हुआ सारे प्रदेश की वही हालत है। बांदा की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है वहां पूरा गुंडों का राज्य है, पोलिटिकल वर्कर्स पीटे जा रहे हैं। मैं आजमगढ़ की बात कहता हूं, मुबारकपुर के बारे में सब को अभी हाल में मालूम ही हो गया होगा। ६ मई को मऊ के दरोगा के षड़यंत्र से "आज" के संवाददाता श्री रमाशंकर मिश्र, पर सरे आम पिटाई हुई। २७ जुलाई को मैजिस्ट्रेट ने मुबारकपुर के दरोगा से मिल कर जो नृशंश कार्य किया, देवगांव थाने के सिपाही ने खलील नामक एक आदमी को सरे बाजार लाठियों से मारते मारते अधमरा कर दिया और उसकी लाश को फेंक दिया बनारस और आजमगढ़ की सरहद पर जो बनारस अस्पताल में मरा। "राष्ट्रदूत" के सम्पादक श्री सीतलाप्रसाद त्रिपाठी की हत्या का षड़यंत्र किया गया। "आज" के सम्वाददाता श्री मुखराम सिंह की हत्या की साजिश की गई। आजमगढ़ में १ महीने में ४३ हत्यायें हुईं ३ बड़ी-बड़ी चोरियां हुई जिनमें डेढ़-डेढ़ लाख का सामान गया। दोहरीघाट में सरे शाम ६५ वर्ष के बूढ़े गाड़ीवान को एक सर्किल इंसपेक्टर और तीन इन्सपेक्टरों ने पचासों हंटर मारे। कम्युनिस्ट चेयरमैन श्री मुस्तफा की कोपागंज में सरे आम हत्या। बदायूं के साथी रामचन्द्र भारद्वाज की हत्या, उन्नाव की अनेक हत्यायें। और आखिरी बात फैजाबाद में साथी राजबली और अकबर पर बार-बार संगीन केस चलाने की कोशिश हो रही है। जो हत्या अभी कानपुर में हुई है उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूं ला ऐंड आर्डर बिल्कुल चौपट हो गया है, इसलिये

[श्री झारखंडेराय]

हमारा अविश्वास है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं आज शाम को यह सरकार इस्तीफा देगी। अब इसको एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं।

श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय झारखंडेराय जी ने बहुत-सी बातें अविश्वास की कहते हुए सबसे अधिक जोर इस बात पर डाला कि सरकार की नीति से ९६ आदमियों का सरकारी पक्ष में अविश्वास है। मैं आपके द्वारा माननीय झारखंडेराय जी से प्रार्थना करूंगा उन्होंने माननीय जुगलकिशोर जी का वक्तव्य सुना होगा, उसमें नीति से अविश्वास की बात तो मुझे कोई नजर आयी नहीं। हां, गुटबन्दी की बात जरूर कही गई है कि यह सरकार आपस में, कांग्रेस पार्टी ही गुटबन्दी के बल पर चल रही है। ऐसी बातों का क्या उत्तर दिया जाय, यह बेमौके की बातें हैं। परन्तु फिर भी वही लोग आज सरकार के ऊपर यह इलजाम लगाते हैं कि यह सरकार गुटबन्दी की बिना पर चल रही है लेकिन वह खुद नहीं देखते कि अपने आप जिलों में किस तरह की गुटबन्दी करते हैं। माननीय झारखंडेराय जी ने कहा ९६ आदमियों को विश्वास नहीं रहा है, इसलिये यह सरकार बदलेगी और अवश्य बदलेगी। ऐसे ग्रेव अकेजन पर यह मुनासिब तो नहीं था लेकिन फिर भी एक मिसाल याद आ गयी। किसी गांव के लड़के ने किसी आदमी से पूछा कि अगर यहां का नम्बरदार मर जायगा तो फिर कौन नम्बरदार होगा। उसने कहा कि इसका भाई होगा। लड़के ने पूछा कि अगर भाई भी मर गया तो फिर कौन होगा? उसने कहा कि उसका लड़का होगा। उसने कहा कि लड़का भी अगर मर गया तो फिर कौन होगा? उस आदमी ने जवाब दिया कि सारा गांव भी मर जाय तो भी तू नहीं होगा। लिहाजा सरकार बदले या न बदले लेकिन आपकी सरकार बनने का मौका नजर नहीं आता। १० आदमी एक तरफ, २५ आदमी एक तरफ और चाहते हैं कि सरकार बदल दी जाय, चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता हो जाय, गवर्नर राज हो जाय। जो बातें नो कांफिडेंस मोशन के सिलसिले में कही गयी हैं वे गवर्नर एड्रेस के वक्त कही जातीं या बजट के अवसर पर कही जातीं तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये नो कांफिडेंस मोशन के अवसर पर नहीं कही जा सकतीं। यह बात नहीं है कि आप ला नहीं सकते लेकिन पहले नो कांफिडेंस मोशन से व्यस्थित सरकार हटा दें और आप खुद व्यवस्थित सरकार बना लें। जो उस तरफ बैठे हुए मेरे मित्र हैं उनमें एक भी इस बात में सीरियस नहीं हैं कि नो कांफिडेंस मोशन हो जाय। उन्हों ने तो केवल शिकायतों के लिये यह अवसर निकाला है लेकिन उसके लिये मौके कुछ और होते हैं। नो कांफिडेंस मोशन से तो सरकारें बदली जाती हैं।

अभी एक मित्र ने वक्तव्य देते हुए कहा कि बहुत-सी बातें बहुत खराब हैं। ये कमियां हैं, वे कमियां हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये सारी कमियां क्या पिछले ४ महीने के अन्दर ही आ गयीं, पहले कोई कमी नहीं थी।

माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि केरल में सरकार जिस प्रकार के लांछनों के फलस्वरूप बदली गयी है उन्हीं लांछनों पर यह सरकार भी बदलने के योग्य है, क्योंकि यह सरकार अपने ही आदमी हर जगह ज्यादातर नामिनेट करती है जैसे यूनिवर्सिटी सिनेट में, यहां और वहां। जाहिर है आप खुद ही जानते हैंकि आप १४४ हैं और हम २८८ हैं। इस प्रदेश में ज्यादातर आदमी हमारे हैं। उन आदमियों में कुछ न कुछ जरूर नामिनेट हो कर आयेंगे। जिन्होंने हमको २८८ चुनकर भेजा है जो करीब ७० परसेंट हैं इस प्रदेश में वे लोग क्या विलायत में जा कर नौकरी करेंगे या विलायत में जा कर नामिनेशन सीक करेंगे। माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि इधर के बैठे हुए सदस्य अपने दिल पर हाथ रख कर कह दें कि एक भी सदस्य उधर की सरकार में विश्वास करता है। मैं माननीय गौरीशंकर राय जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने हमको एक भी ऐसी बात नहीं बतलाई जिससे विश्वास में कमी आती। कोई ऐसे कारण उन्होंने बतलाये होते जिनसे हमें महसूस होने लगता कि विश्वास नहीं रखना चाहिये तो हम अवश्य आपके साथ वोट देते।

श्री राजनारायण---आप के १० मिनट हो चुके।

श्री ब्रजभूषणशरण---आपको तो २५ के बजाय ४५ चाहिये लेकिन हमारे जैसे छोटे आदमी के १० मिनट भी आपको मुश्किल पड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यही तो समाजवाद है, आप घबड़ाते क्यों हैं? (हंसी)

श्री ब्रजभूषण शरण---राजा यादवेन्द्रदत्त जी ने कहा कि स्कीमें पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं। जितना खर्चा हुआ उतना परिणाम नहीं निकला। तो यह उनका सुझाव है। यह अविश्वास के प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। सरकार बदलने का यह विषय नहीं है जब तक कि आपको नीति से मतभेद न हो। कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं तो आप सुझाव दीजिये बजट के अवसर पर, गवर्नर के एड्रेस के अवसर पर और उसके लिये अपना सहयोग दीजिये। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि १५० रुपये किलोवाट पर बिजली बिड़ला को दी गयी। मैं निवेदन कर दूं कि जो बल्क पर्चेजर होता है थोड़ी बहुत उसे रियायत करनी ही पड़ती है। आप चार घंटे के लिये बिजली लेते हैं और शाम को ७ बजे से ११ बजे तक जलाते हैं उसका रेट और जो १० हजार किलोवाट २४ घंटे खर्च करता है उसका रेट एक नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर बढ़ाना है तो उद्योगपतियों को सस्ती बिजली देनी होगी। फिर सारा उद्योग उद्योगपति का ही नहीं हो जाता, उसमें बहुत से आदमी काम करते हैं, मजदूर भी काम करते हैं। आपके कहने का मतलब तो यह हुआ कि हमें अलमूनियम फैक्टरी नहीं लगानी चाहिये। तो फिर शिकायत क्यों है कि प्रदेश में अनएम्प्लायमेंट बढ़ता जा रहा है? वह तो बढ़ेगा ही।

माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने कहा कि १२-१२, १५-१५ साल से ऐसे-ऐसे अफसर सेक्रेटेरिएट में विद्यमान हैं जिन्होंने जिले का मुंह नहीं देखा फिर वे किस तरह से वहां की समस्याओं को समझ सकते हैं। मेरी राय में तो सर्विसेज की दो कैटेगरीज बना दी जायं, एक तो वे अफसर जो सिर्फ सेक्रेटेरिएट में ही रहें और उनको कभी जिलों में नहीं भेजना चाहिये और दूसरे वे जो जिलों में ही रहें, कभी सेक्रेटेरिएट में न आवें। इससे आपकी यह शिकायत कि जो आप हमेशा यह कहा करते हैं कि सरकारी अफसरान सरकार की तरफदारी करते हैं और जनता की नहीं सुनते वह दूर हो जायगी। जिलों में जो अफसर रहेंगे उनको फिर यह लालच नहीं होगी कि हम किसी तरह सेक्रेटेरिएट पहुंच जायं ताकि कुछ दिन मिनिस्टर के सामने रह सकें जिससे कुछ हमारी भी सुनवाई शायद हो जाय। आज हर अफसर यह समझता है कि उसकी उन्नति सेक्रेटेरिएट से ही बढ़ती है। अगर ये दोनों अलग हो जायं तो यह बात नहीं होगी। एक आरोप यह लगाया गया कि प्रजातंत्र ठीक से नहीं चल रहा है, चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ सेक्रेटरी राज्य कर रहा है। यह खुद इस बात का सबूत है कि हमारी गवर्नमेंट डे-टु-डे प्रशासन में बहुत ज्यादा दखलअन्दाजी नहीं करती है। इसमें तो हमको शिकायत हो सकती है, आपको नहीं। चीफ सेक्रेटरी तो हमारी पार्टी के आदमी नहीं हैं। जब वे हमारे दबाव में नहीं हैं तो आपको भी उनसे उतना ही इन्साफ मिल सकता है। आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ।

श्री ब्रजभूषणशरण---इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है, वह यह कि अब इस सदन में विवाद क्यों? (हंसी) बेशरमी का इजहार न कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---यह तरीका पार्लियामेंटरी नहीं है। आप अपनी बात कहिये।

श्री राजनारायण---यहां विरोधी दल की संख्या १४४ है बल्कि कुछ और बढ़ी ही होगी और ९७ का वोट आपके सामने आ गया है। अब क्या इसमें दो बार वोटिंग होगी?

श्री उपाध्यक्ष---आप चाहते क्या हैं?

श्री राजनारायण—मैं यह चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति में यह एक नयी चीज उठी है, आज इस सदन में इसी सदन के करीब ९६–९७ सम्मानित सदस्यों ने लिख कर दे दिया है जिसका परोक्ष (लिखी) वोट से एक प्रकार से ज्यादा महत्व है।

श्री उपाध्यक्ष—आप संक्षेप में कहें।

श्री राजनारायण—अपना-अपना कहने का तरीका है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष—मुझ ही से तो आप कह रहे हैं।

श्री राजनारायण—आपसे और आपके द्वारा सदस्यों से। जरा वे लोग सुनें कि ९७ ने वोटिंग कर दी कि इस सरकार में उनका विश्वास नहीं है और १४४ विरोधी दल ने पहले ही से अविश्वास दे दिया है। इसलिये २४१ आदमियों ने यह कह दिया कि अब हमको इस सरकार में विश्वास नहीं है। फिर वोटिंग की क्या आवश्यकता?

श्री उपाध्यक्ष—आप कहते हैं कि वाद-विवाद बन्द हो जाना चाहिये और सरकार समाप्त हो जानी चाहिये।

श्री राजनारायण—एक निवेदन और है।

श्री उपाध्यक्ष—एक निवेदन की बात तो सुन लें फिर दूसरा निवेदन करियेगा।

श्री राजनारायण—इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि आप बहुत जल्दी में इसको न समझ पाये हों तो जरा किसी की राय ले लें, क्योंकि यह एक बिलकुल नया प्रश्न है। आज तक दुनिया की किसी पार्लियामेन्टरी पद्धति में एक ही दल के ९६–९७ सदस्यों ने लिखकर इस तरह से नहीं दिया है। मेरा कहना यह है कि वोटिंग की प्रथा बताई जाय। क्या दुबारा वोटिंग होगी और वाद-विवाद जारी क्यों रहे?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी ने जो आपत्ति उठाई है वैसे वह कोई वैधानिक बात नहीं है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आचार्य जुगलकिशोर जी ने ९६ नामों की लिस्ट पेश की और उन्होंने यह कहा कि प्रशासन में उलट-पलट न हो जाय इसलिये हम लोग विपक्ष में वोट नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ यह भी है कि माननीय सदस्य अभी अपनी राय कायम कर रहे हैं। एक आदमी ने लिस्ट पेश कर दी और अन्य किसी माननीय सदस्य ने कुछ भी नहीं कहा। लाबी में जाकर माननीय सदस्य अपनी राय भी बदल सकते हैं। इसलिये वाद-विवाद को खत्म करके मंत्रि मंडल के प्रति अविश्वास को समझ लिया जाय इसके लिये मैं व्यवस्था देने के लिये तैयार नहीं हूं। इसका निर्णय आखिरी मतों द्वारा होगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारे कहने पर कुछ आक्रमण हो गया है, इसलिये मैं....

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं माननीय राजनारायण जी से निवेदन करूंगा कि मैं भी गवर्नमेंट को सेंसर करने जा रहा हूं।

श्री राजनारायण—आप जरा और जोर से बोलिये और काफी समय ले लीजिये।

श्री गेंदा सिंह—आप तो क्षमा करें कम से कम।

कल से जो बहस इस सदन में हो रही थी, आचार्य जुगलकिशोर जी के बयान के बाद बहुत गम्भीर उसकी शक्ल हो गई है और मैं समझता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठन वाले हों उनको बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यह कह सकते हैं इस सदन से कि उनके ऊपर विश्वास करना चाहिये और वह सदन का विश्वास प्राप्त करके देश का भी विश्वास प्राप्त किये हुए हैं और उनको सेवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का और शासन करने का अधिकार है तो हमें सोचने का मौका है क्योंकि जो उस तरफ के बैठने वाले हैं उन्होंने भी अपनी इच्छा प्रकट की है कि हमें किसी भी हालत में शासन के कार्यों से और नीति से भी उसका संबंध है, संतोष नहीं है।

श्रीमन्, एक बड़े लार्जर इंटरेस्ट में उन्होंने ऊंचे आदर्श को लेकर सोचा है कि हम सरकार के विरुद्ध वोट नहीं करेंगे। हम भी इस विचार के हैं कि भारतवर्ष में कोई भी सरकार बने वह ऐसी होनी चाहिये कि उसका बहुमत हो, क्योंकि भारत जैसा देश है उसके लिये अगर उत्तर प्रदेश की सरकार दृढ़ न हुई, मजबूत न हुई तो एक असंतुलित हालत पैदा हो सकती है। जैसे कोई भी देशभक्त या आदमी सारे भारतवर्ष के हित में सोच सकता है। मैं समझता हूं कि जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं यही विचार उन ९६-९७ के मन में भी है। यह हमारे समझने की बात है और उन महानुभावों के भी समझने की बात है, जो शासन के सूत्र को संभाले हुए हैं। उनके लिये दूसरे तरह से सोचने की बात है। उनकी इस ऊंची भावना की हमको कदर करनी चाहिये। उन लोगों में ऐसा मौका आया करता था जब मालूम होता था कि हमारी लड़ाई हो जायगी, हमारा झगड़ा हो जायगा, लेकिन आज हम सारी बातें छोड़ करके उनकी भावना की कद्र करते हैं और मैं बिलकुल सफाई के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि अगर उनको शिकायत ही है तो उस शिकायत का समाधान होना चाहिये। अगर समाधान नहीं किया गया, उनको संतुष्ट नहीं किया गया तो मैं नैतिक जिम्मेदारी उनकी जरूर समझता हूं कि वह शासन सूत्र को छोड़ें और वह जनता के ऊपर भरोसा करें। यह बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी इतनी दृढ़ और समझदार है कि वह ऐसी ही सरकार बनायेगी जो सारे भारत को आशा दिला सके और उत्तर प्रदेश के शासन को गड़बड़ न होने दे।

अब मैं थोड़ी-सी बातों को सामने लाना चाहूंगा। मैं भी इस सदन में लाना चाहता हूं और उस चिट्ठी में भी उसका जिक्र है। सदन उस पर विचार करे। बहुत से माननीय सदस्यों ने कल से यह कहा कि कुछ नीति का चर्चा नहीं हुआ। नयी बात नहीं कही गयी, कुछ गहरा रंग नहीं आया, कुछ बड़ा-कड़ा हमला नहीं हुआ। सारी बातों को सुनने के बाद मेरी समझ में कुछ आया कि माननीय सदस्यों के मन में कुछ चोर है। वह यह समझते हैं कि हमने किया तो बड़ा कुकर्म है, यह जानते नहीं हैं, इसलिये नहीं कह रहे हैं। इनको मालूम नहीं है। वह यह समझते हैं कि हमने यह-यह काम किये हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिये। गहरा रंग रखने वाली बातें रहनी चाहिये थीं। मैं समझता हूं कि १९५२ में आप आ कर बैठे। जो काम १९५२ या १९४६ में शुरू हुआ आज उसी ढर्रे पर १९५९ में भी चले जा रहे हैं। अगर शासन अपनी आदत नहीं बदलता है तो हम गहरा रंग कहां से लाएं? हम कैसा भी रंग छोड़ें वह फीका ही रहेगा क्यों कि उधर मैल बैठ गया है। मैल कैसे बैठा हुआ है? मैं अपनी बात नहीं कहता। नेता विरोधी दल, श्री झारखंडे राय, श्री राजनारायण, श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल की बात नहीं कहता। मैं कांग्रेस के एलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कहता हूं। उसके विरोध में चलने का काम वे शुरू से करते हैं और उसमें अपनी बड़ाई समझते हैं। अगर वही काम करते चले जा रहे हैं तो हम क्या करें? अन्न की समस्या आपने हल नहीं की। बेरोजगारी आपने बढ़ायी। गरीबों को ज्यादा गरीब किया। धनियों को आपने ज्यादा धनी किया। कत्ल, डाका, रहजनी, जितनी पहले होती थी उससे घटी नहीं। जो बातें थीं सारी वही बातें हैं। भ्रष्टाचार उसी जगह पर जहां १९५२ में था। अगर सभी बातें पुरानी हैं तो नयी बात गहरा रंग लाने वाली कहां से लायी जाय? अगर इस बात को नई बात समझ लें तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ नया काम करते तो हमको नयी बात कहने की जरूरत पड़ती। बीच में राज्य संचालन के सिद्धान्त तो बदले गये, कभी जयपुर में, कभी मद्र स के किनारे, कभी कहीं बदले गये। लेकिन काम वही किया जो शुरू में करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यू० पी० की सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता की आमदनी घटी है? पिछले पांच-छः वर्षों में उसके जीवन-यापन के सामान मिलने में दिक्कत बढ़ी है बावजूद इसके कि प्रोडक्शन बढ़ा? प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी यह मंहगी क्यों आयी? किसकी जिम्मेदारी

[श्री गेंदासिंह]

है यह मंहगी आने की ? बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी। पूंजीपतियों के साथ चाहे न यारी हो लेकिन हो क्या रहा है ? कल कई सदस्यों ने चर्चा की। मैं भी कहना चाहता हूं कि जब सरकार यह समझती है कि १४ रुपये से ऊपर गेहूं की कीमत पड़ जाती है पैदावार के खर्च में फिर १४ रुपये कीमत क्यों रखी गयी। कहेंगे सेन्ट्रल गवर्नमेंट कहती है इसलिये हम ऐसा करते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या और सूबों से नहीं कहा। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने स्टेट गवर्नमेंट ने कहा क्या। मैं यह कहूं कि गेहूं पैदा करने वालों के साथ ज्यादती हुई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गेहूं पैदा करने वालों के साथ ज्यादती करने का नतीजा यह हुआ---कहा यह जाता है कि गेहूं इसलिये नहीं आता है कि गेहूं वाले लोगों ने छिपा लिया। किसानों ने छिपाया ? कौन किसान ऐसा है ? घुन खायेगा उसको, पेरिशेबिल चीज है। रखी नहीं जा सकती। छोटा-छोटा किसान, पांच एकड़ का, छः एकड़ का किसान, दस एकड़ का किसान गेहूं चुराकर के और छिपा करके साल-दो साल तक अपने घर में रखेगा यह बुद्धि की बलिहारी है। हां, मानता हूं कि खत्तियों में गेहूं छिपाया जा सकता है। लेकिन खत्ती वालों से तो दोस्ती है सरकार की। १४ रुपये मन पर वह खरीदते हैं और १४ रुपये मन खरीद करके गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। और फिर वही १४ रुपये मन बेचने वाला काश्तकार जब खत्ती वालों से खरीदने आता है तो उसको २० रुपये मन देना पड़ता है। रूरल या गांवों की दूकानें बन्द की गईं। गेहूं गांव से लेंगे लेकिन दूकानें बन्द कर देंगे गांवों की, और जब २० रुपये, २१ रु० मन पर खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कहेंगे कि तुम जाओ दुनिया के किसी बाजार से लाओ लेकिन १४ रुपये मन पर हमें जरूर देना पड़ेगा। यह अक्लमन्दी है।

मैं एक बात और निवेदन करूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे और दे दें। क्या जवाब है ? पिछले वर्ष इस विधान सभा ने गन्ने की कीमत के मुताल्लिक १ रुपये १२ आने का प्रस्ताव पास किया। उस विधान सभा में माननीय बहुगुणा जी, माननीय मुख्य मंत्री जी और मैं समझता हूं कि और भी बहुत से दूसरे जिम्मेदार लोग ऐसे थे लेकिन उनमें कोई ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने उठ करके उस प्रस्ताव का विरोध किया हो। अगर मूक समर्थन माना जा सकता है तो मैं कहता हूं कि मेजारिटी में वह लोग थे, अगर वह चाहते कि यह प्रस्ताव गिर जाय तो वह प्रस्ताव जरूर गिर जाता। लेकिन प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पास होने के बाद नैतिक जिम्मेदारी बहुमत की थी कि इस विधान सभा के प्रस्ताव को वह गवर्नमेंट आफ इंडिया तक पहुंचाते। हमारा यह प्रस्ताव था कि रिकमेंड करते हैं हम, पिछले वर्षों का भी हमको दिया जाय और १ रु० १२ आना अगले वर्षों की कीमत की जाय। मैं बहुत ही विनम्रता-पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने १ रुपया १२ आना वाले प्रस्ताव के विरुद्ध हिन्दुस्तान की सरकार के पास १ रुपया ७ आने का प्रस्ताव भेजा, सिफारिश की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से इस बात को खास तौर से कहना चाहूंगा कि जहां डेमोक्रेसी की इतनी दोहाई दी जाय, हमको प्रजातंत्र के नाम पर सब कुछ सिखाने की कोशिश की जाय वहां इस प्रदेश की सरकार को क्या हक था कि अगर इस विधान सभा ने १ रुपया १२ आना का प्रस्ताव पास किया तो १ रुपया ७ आना के प्रस्ताव को या १ रुपया ७ आने की सिफारिश यह यू० पी० की सरकार हिन्दुस्तान की सरकार से करती। क्या यह इस सदन का अवमान नहीं हुआ ? यह बात बहुत गम्भीर है, सोचने की है।

मैं एक बात और कह दूं छोटी-सी। बगैर मजदूरों की बात कहे हुए मुझे आप इजाजत न दें कि मैं बैठूं। मोदीनगर में बड़े भारी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बहुत गहरी दोस्ती है हमारे सरकार की। आज से कई वर्ष पहले एक कंसीलियेशन मशीनरी बनी जब कि एक ही यूनियन थी। माननीय बहुगुणा जी को मालूम है कि एक से दो यूनियन बनने के बाद आज यह कहा जाता है कि वह कंसीलियेशन मशीनरी उपयुक्त नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा उस कंसीलियेशन मशीनरी के खिलाफ हैं। मुझे एक मिनट दे दिया जाय। मोदी नगर के मामले में आज जितनी ज्यादती सरकार कर रही है उसका कोई हिसाब नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि मुख्य मंत्री जी इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी ने जो वायदा किया था उसको भी कुछ

इन्सेन्टिव मिलना चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने रामपुर के विषय में कहा था जब कि वहां पर गणेशदत्त जी बाजपेयी हड़ताल कर रहे थे और यह आश्वासन दिया था कि उस पर गौर किया जायगा, लेकिन उस आश्वासन के बाद वहां पर कुछ भी नहीं किया गया और उनका फैसला मजदूरों के हित में नहीं हुआ। उनका इन्टरप्रिटेशन हमेशा पूंजीपतियों के हक में होता है तो मैं यह समझता हूं कि ९६ सदस्यों ने जो यह अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में बात कही है वह उचित ही है। क्या मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि जो कुछ यहां कहा गया कि लोगों को नहीं निकाला जायगा लेकिन क्यों रामपुर में आज भी २७ आदमियों को निकाला गया है, जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को अपने उन वायदों की तरफ भी कुछ ध्यान करना चाहिये जो अभी उसी स्थान पर ठहरे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे एक सदस्य ने सूचना देने के लिये लिखा है जिसमें यह लिखा है कि "उपाध्यक्ष महोदय, आचार्य जुगलकिशोर ने जो ९६ सदस्यों के नामों की सूची पेश की है उसके साथ में एक मेरा नाम भी जोड़ दिया जाय।

---निरंजनसिंह।"

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से दो रोज यहां पर बैठकर खामोशी के साथ मैंने अपने तमाम साथियों की तथा विरोधियों की बातें सुनीं और कभी एक जगह भी उनको इन्टरेप्ट करने की चेष्टा नहीं की ऐसे ही मेरे भाई मुझे भी मौका देंगे ऐसी मुझे आशा है।

अभी हमारे मित्र आचार्य जुगुलकिशोर जी ने यहां पर एक वक्तव्य दिया और एक लिस्ट दी उन माननीय साथियों की जिनके हस्ताक्षर उनके सिपुर्द थे। उनके बयान होने के वक्त विरोधी दल से बड़े जोर के साथ तालियां बजीं और बड़े जोर के साथ मेजों को पीटा गया लेकिन जब आचार्य जी ने यह कहा कि इन सब बातों के होते हुए भी हम ९६,९७ आदमी इस नो कान्फिडेंस रेज्योलूशन के हक में वोट नहीं देंगे तब तालियां नहीं पीटीं। क्यों नहीं पीटीं उनकी आशाओं पर पानी पड़ गया। मैं यह मानता हूं कि उन लोगों ने इसकी अहमियत को सोचा और हमने भी सोचा और आचार्य जी ने भी सोचा क्योंकि वह उनके साथ वोट देने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर वह वोट दें तो यह सरकार आज ही चली जायगी। बहुमत उधर होगा। लेकिन उन्होंने इस बात को सोचा और मैं भी सोचता हूं कि अगर ऐसे गैरजिम्मेदाराना अपोजिशन के सिपुर्द इस सूबे की बागडोर को दे दिया जाय तो यह देश के लिये हितकर नहीं होगा। इस संबंध में मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई पढ़ता हूं "क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व यह रचित शरीरा" उन्होंने भी कहा। प्रकृति का नियम है कि ५ तत्व से शरीर बनता है। अभी तक यह अपोजीशन भी ५ तत्व से बना था सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, आई०पी०एल०पी०, जनसंघ, और कम्युनिस्ट ५ थे लेकिन आपस में विरोधाभास था, कल एक और तत्व पैदा हो गया और अब ६ तत्वों से यह अपोजीशन बना।

श्री उपाध्यक्ष---यह तत्व नहीं सिक्स्थ सेंस है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---सेंस ही सही। मैं खूब समझ गया, लिहाजा और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन यह प्रकृति के बिलकुल विपरीत बात हो गयी और इन ६ में आपस में कंट्रेडिक्शन है... (व्यवधान) जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले। (व्यवधान) घबराते क्यों हो। सुनते जाओ। केरल में पी०एस०पी० ने कांग्रेस का साथ दिया और कम्युनिस्टों के खिलाफ गये...

(व्यवधान)

जी हां, जो भलेमानस हैं वह सब हमारे साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अब ठाकुर साहब की बारी है। मैं अपील करता हूं कि आप सब दिल थाम कर सुनते रहें (हंसी)।

श्री हुकुम सिंह विसेन---अगर सब की आइडियालाजी की तरफ नजर कीजिये तो सब एक दूसरे के बरअक्स हैं। कहीं मेल नहीं खाती कोशिश करते हैं मेल खिलाने की, लेकिन मेल नहीं खाती। सब के अलग-अलग सिद्धांत हैं, लेकिन ६ पार्टियों को मिला कर एक अपोजीशन बना तैयार है। तो यह ६ सेंसेज या जो भी हों, उन को मिलाकर जो शकल तैयार होगी वह कैसी बनेगी। उसकी शकल तो मैं समझता हूं कि एक एबनार्मल शकल बनेगी और अगर उसका खयाल किया जाय तो बाल्मीकि रामायण में उनका कुछ जिक्र है। कहीं १० सिर के लोग हैं, कहीं ५ सिर के लोग हैं। तो यह ५ सिरों वाली शकल बनेगी, उसके ५ मुंह होंगे और वे अलग-अलग अपनी-अपनी बात कहेंगे। भला बताइये कि ऐसा अपोजीशन जिस असेम्बली में हो उसके हाथ में शासन की बागडोर दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। कल ही ६, ६ टुकड़ों में बंट जायंगे और प्रदेश का सर्वनाश हो जायगा। इसी खयाल से आचार्य जुगुलकिशोर जी ने कहा हम नो कांफीडेंस के हक में वोट देना नहीं चाहते।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---आज नहीं कल देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कल की कल देखी जायगी, घबराइये नहीं।

श्री राजनारायण---उन्होंने कहा कि आप पर विश्वास नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं, हम को उन पर विश्वास है और उनको हम पर। वह हमारे हैं और हम उनके। आप पर नहीं है।

मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सब के घर में लड़ाई होती है और जितना बड़ा परिवार होता है उतनी ही टकराने की गुंजाइश होती है। आपका छोटा परिवार था, पुजारी जी निकल गये दूसरी पार्टी में। आपका छोटा परिवार था, बंशीधर जी चले गये और इस तरह १५, १६ सदस्यों की एक नयी पार्टी बन गयी .....

श्री राजनारायण---हमारे यहां गलत आदमी नहीं रहते।

श्री हुकुमसिंह विसेन---तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह से सब पार्टियों में गड़बड़ी है। मैं जानता हूं कि पी०एस०पी० में भी गड़बड़ है और उस के बारे में मैं जानकारी रखता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---व्यवस्था का प्रश्न। हम लोगों ने खुशी से तालियां नहीं बजायीं। जो आदमी आखिरी सांस ले रहा हो, जो मौत के घर जा रहा हो, उसके लिये हम खुशी मनायेंगे या रंज मनायेंगे। एक साल के बाद मरने वाले मुरदे के लिये हम खुशी कभी नहीं मना सकते।

श्री हुकुम सिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अपोजीशन की पार्टियों के संबंध में कुछ अर्ज कर रहा था। क्या पी०एस० पी० में आपस में झगड़ा नहीं है? जरूर झगड़ा है। ये बातें छिपी नहीं रहतीं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---आपको कैसे मालूम हुआ हमारे झगड़े के बारे में?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मोतबिर जराय से। इसलिये और भी नतीजा निकलता है कि जब एलेक्शन के वक्त अच्छा कैंडीडेट नहीं मिला तो जो आया वही भर्ती? तो ऐसी पार्टी कभी चल सकती है, इसका भी अंदेशा है। त्रिलोकी सिंह जी तो वजनदारी बरतें, और लोगों को कहने दीजिये।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं बोलूंगा आपके बाद, याद रखिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं आपको इंटरफियर नहीं करता। इतनी वजैदारी होनी चाहिये। एक बात और कहना चाहता हूं कि जब माननीय त्रिलोकीसिंह ने प्रस्ताव पढ़ा तो एक लाइन का प्रस्ताव मैंने देखा।

एक सदस्य---काफी था।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह आपके लिये काफी था और हमने सोचा . . .

श्री राजनारायण---श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जितना वक्त हमारा गुजरा वह हमें फिर से मिले, श्रीमन्।

श्री राजनारायण---क्या इस सदन में बिल्ली की बोली बोलने की किसी मनुष्य को आजादी है? (हंसी)

श्री हुकुमसिंह विसेन---यहां तो न बिल्ली की बोली की आजादी है और न कुत्ते की बोली की आजादी है, किसी की आजादी नहीं है। (हंसी) तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैंने प्रस्ताव पढ़ा तो उसमें कोई वजूहात, कोई ग्राउंड्स नहीं थे। तो मैंने यह नतीजा निकाला कि यह इतना बड़ा अहम मामला और उसमें कोई ग्राउन्ड नहीं, आखिर कारण क्या है? हमारे भाई त्रिलोकीसिंह इतने योग्य और समझदार हैं उनसे मैं यह उम्मीद नहीं करता कि वह ऐसी गलती करेंगे। मेरी ऐसी भावना है कि उनकी मंशा के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया और पार्टी के दबाव से लाया गया। क्योंकि वह अपनी पार्टी पोजीशन रखना चाहते हैं, मजारिटी उस प्रस्ताव के मुआफिक थी, ये उसके खिलाफ थे, ऐसी मेरी भावना है। वह गलत हो सकती है। लेकिन एक बात और है जिससे मैं नतीजा निकालता हूं और मैं समझता हूं कि वह नतीजा ठीक है। जो तकरीर त्रिलोकीसिंह ने दी वह बड़ा पुअर परफारमेंस किया। उसके अन्दर क्या था? सिर्फ खाद्य के बारे में कि १७-२० रुपया का गेहूं, इसको जोड़ कर एक दीबाचा, वही इंट्रोडक्शन कर दिया, सारा दोष पुलिस पर डाल दिया और स्किप्चर भी कोट किया इंगलैन्ड का, उसका जवाब हमारे भाई कमलापति ने दिया। तो मैं तो यह बात सोच ही नहीं सकता था कि त्रिलोकीसिंह ऐसे काबिल आदमी ऐसी लचर तकरीर करेंगे, मैं ऐसी आशा नहीं करता था। लेकिन यह सिद्धांत है कि "अनविलिंग वर्कर इज आलवेज इनएफिश्येंट"। दिल से बात थी नहीं, कहना जरूरी था, लिहाजा ले आये, कुछ कहकर बला टालें ऐसी उनकी भावना हुई। आम तौर से यही भावना हुई।

श्री मोतीलाल अवस्थी---९६ की तरफ से क्या कहा गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह लड़के पढ़ाने का काम नहीं है, जरा सुनिये। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---घबराने की बात नहीं है। उसके बाद मैंने सुना, झारखंडेराय जी ने फरमाया कि लीजिये, २४० वोट हमारे हो गये। यह केराला में तरीका रहा होगा, यहां नहीं है। यहां तो यह है कि जब विवाद खत्म हो जायगा तो वोट दिया जायगा। जितने वोट आयेंगे उस वक्त तभी वह ठीक समझे जायेंगे। वहां की परिपाटी यहां न चलाइये बराये मेहरबानी।

हमारे मित्र ने कहा कि आज ४-५ बजे तक इस गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिये। वाकई, अगर बहुमत हमारे खिलाफ होगा तो जरूर देना होगा। अगर हम न भी चाहें तब भी नहीं रह सकते। आपके कहने की जरूरत नहीं। तो इन चीजों के याद दिलाने की जरूरत नहीं।

हमारे मित्र श्री झारखंडेराय जी ने एक बात और कही कि लीजिये सब जमीन ट्रांस्फर की जा रही है लेकिन इस सरकार ने ट्रांस्फर को रोका नहीं, अध्यादेश जारी करके नहीं रोका।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

क्या बताऊं, ऐसी बात एक पार्टी के नेता के मुंह से सुनकर बड़ा ताज्जुब और अफसोस हुआ। अफसोस यह है कि संविधान का ज्ञान मेरे मित्र को नहीं है। ओनरशिप के साथ राइट आफ ट्रांसफर होता है, कांस्टीट्यूशन उसकी प्रोटेक्शन करता है। कानून की किताबें उनको पढ़नी चाहिये जिसमें यह लिखा है कि ओनरशिप के साथ राइट आफ ट्रांसफर होता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि हर बात में टोकना मुनासिब नहीं है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं रुकने वाला नहीं हूं और न घबराने वाला हूं। तो यह बात कहना कि अध्यादेश से ट्रांसफर क्यों नहीं रोका, इस बात से यह साबित होता है कि उनको कांस्टीट्यूशन का जरा भी ज्ञान नहीं है।

मैं उग्रसेन जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वह घबरायेंगे नहीं। तो मेरे मित्र ने एक बात यह कही कि करप्शन घट-घट व्यापी है, मनुष्य मनुष्य में व्यापी है तो श्रीमान् जी में भी व्यापी हैं, झारखंडेराय जी में भी व्यापी है। जब जो चाहा कह दिया जाता है, क्या बात कही जाती है, मैं उनके जुमले को ही अर्ज कर रहा हूं। मैं उनको बड़ा ईमानदार समझता हूं और आपको भी बड़ा ईमानदार समझता हूं, सबको समझता हूं लेकिन अगर आप ही कहने लगें कि हम बेईमान हैं तो हमारा क्या कसूर है। तो अब मैं क्या बताऊं, अब बचे हुए हम और त्रिलोकीसिंह जी दो आदमी ही हो सकते हैं।

चकबन्दी के बारे में हमारे मित्र झारखंडेराय जी ने कहा कि उसमें बड़ी गड़बड़ी है और हमारे साथी चरणसिंह जी के ऊपर भी हमला किया कि उनके जमाने में जब मैं कहता था तो वह बड़े जोर से कह देते थे कि हम चकबन्दी कराकर रहेंगे, चकबन्दी बहुत उत्तम है। अगर आप समझने की कोशिश न कीजिये तो चकबन्दी बहुत खराब है और अगर समझने की कोशिश कीजिये तो चकबन्दी बहुत उत्तम है। हमारे भाई गेंदासिंह जी अक्सर कहते हैं और मैं तस्लीम भी करता हूं कि विलेज रिकर्ड बहुत गलत हैं तो चकबन्दी से विलेज रिकर्ड्स को भी ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम कर सकें या न कर सकें लेकिन यही एक तरीका जिससे यह किया जा सकता है। उसमें हमारा स्टाफ है उसके जरिये से हम करा रहे हैं। त्रिलोकीसिंह जी ने हमसे वक्तन फवक्तन कहा कि विलेज रिकर्ड गलत हैं उसको ठीक कराया जाय। दूसरी बात यह है कि चकबन्दी के जरिये से हम हर होल्डिंग का इवैलुएशन करा सकते हैं कि कितना-कितना रकबा किसके किसके पास है और उसका इवैलुएशन क्या है? अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे भाई मिलकर यह चाहें कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो अपना उत्पादन किस आधार पर बांटेंगे उसके लिये भी जरूरी है कि जमीन का एवैलुएशन हो। यह सब बातें जरूरी हैं। मैं यह भी तस्लीम करता हूं कि चकबन्दी का जो काम है उसे समुन्दर की तरह से मथना है, उसमें जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। तो उसमें हम कहें कि किसी को नुक्सान नहीं होगा, यह मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं। बहुत-सी बातों में नुक्सान न होते हुए भी कुछ पुरानी ट्रेडीशन्स हुआ करती हैं उसकी वजह से भी इंसान को तकलीफ होती है। जब किसी की जमीन निकल जाती है तो उसे तकलीफ होती है और उसे वह बुरा समझता है। इस तरह से तकलीफ हो सकती है लेकिन जहां चकबन्दी हो चुकी है, वहां के लोग आये हैं और उन्होंने हमसे बताया कि वे बड़े खुश हैं। उसी वर्ष से डेवलपमेंट का काम हमारे यहां हो रहा है। यह हमारा प्लान आइटम है, हम चकबन्दी कराना चाहते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे साथी और हमारे मित्र, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों उनको चाहिये कि इसमें जो गड़बड़ी हो वह हमारे सामने लायें, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन झारखंडेराय जी का यह कहना कि चकबन्दी खराब है, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं।

श्री राजनारायण---फिर चकबन्दी आपने रोकी क्यों थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका जवाब भी मेरे पास है। मैं कोआपरेटिव फार्मिग करने जा रहा था, सीलिंग करने जा रहा था, उसको मैंने रोका नहीं था, मैंने आगे वाले जिलों के लिये यह सोचा था कि जब तक तय न कर लूं तब तक आगे न बढ़ूं क्योंकि सोचा कि बहुत मुमकिन है ऐसे गांवों में चकबन्दी हो जाय और उसके बाद सीलिंग हो तो उसमें दिक्कत आवे और फिर अजसरे नौ उसको करना पड़े।

श्री राजनारायण---क्या अब सीलिंग और कोआपरेटिव का मसला हल हो गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिन जिलों में हम चकबन्दी करा रहे हैं उसके लिये हमने कह दिया कि मौके पर देख लिया जाय और इस तरह से चक बनाये जायं कि उसको दोबारा न करना पड़े।

हमारे मित्र गौरीशंकर राय जी ने कहा कि पार्शियेलिटी, जानिबदारी बरती जाती है, यहां तक कि एप्वाइन्टमेंट्स में भी बरती जाती है। मैं उनको चैलेंज करता हूं वे एक भी केस ऐसा न पायेंगे। जो भी एप्वाइन्टमेंट्स किये गये हैं वे सब गैरजानिबदारी से किये गये हैं और मैरिट पर किये गये हैं। जो भी मेरे पास सिफारिश लायेगा वह डिसक्वालीफाई होगा। जो भी एप्वाइन्टमेंट मैं करूंगा वह मैरिट पर करूंगा, बिना सिफारिश करूंगा। लेकिन ऐसा इल्जाम गैर जिम्मेदारी के साथ लगाना कुछ शोभा नहीं देता। इसी वजह से आचार्य जी ने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के साथ क्यों जाया जाय, निकम्मा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इस सदन में बैठ कर ऐसे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझता। मैं यह कहना चाहता हूं कि इधर कोई काम जानिबदारी के साथ नहीं होता है।

एक साहब ने कहा कि मिनिस्टर लोग विजिलेंट नहीं रहते हैं। बहुत बाद में उनके खयाल में यह बात आई। मैं कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग विजिलेंट हैं। हमारे मित्र मुझ से कुछ पूछ लें मैं तुरन्त उनको बता दूंगा कि कहां क्या हो रहा है। ऐसे जाग्रत हम रहते हैं और आप लोग गैरजिम्मेदारी के साथ इल्जाम लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सेक्रेटरीज के हाथ में बबुआ हैं। (राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे के खड़े होने पर) बैठ जाइये, मैं बैठ नहीं रहा हूं। मैं जानता हूं आप अभी मुस्तकिल जगह पर नहीं हैं। एक बड़ी पार्टी बनने वाली है। आप वहां जायेंगे जरूर। (Birds of the same feather flock together) बर्ड्स आफ दि सेम फेदर्स फ्लाक टुगेदर"। वहां आपके रंग की चिड़िया मौजूद हैं। लेकिन चाहे आप इधर बैठिये या उधर बैठिये, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह से जो आप इल्जाम लगाते हैं, वे गलत हैं। कांग्रेस सरकार ऐसी है जो गरीबों की रक्षा कर सकती है, वह रक्षा करती आयी है, कर रही है और करेगी। यह अपोजीशन न सरकार बना सकती है, यहां केवल कयास पैदा करना चाहता है लेकिन वह न होना है, न होना है, नहीं होना है। इन शब्दों के साथ मैं, श्रीमन्, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और इस नोकान्फीडेंस मोशन की मुखालिफत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अब आचार्य दीपंकर जी बोलेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मुझे तो बोलने का समय ही नहीं मिला, जब से मुझे खजाना मिला है। खजाना के मुंह पर ताला पड़ता है या खजांची के मुंह पर ताला पड़ता है। जब से मैं खजांची हो गया हूं तब से तो मेरे मुंह पर ताला पड़ गया है। श्रीमन्, मैंने कल ही कहा था कि मैं बोलूंगा। आप देखें कि ८४ फीसदी जनता की बात चाहे इधर के बैठने वाले सदस्य या उधर के बैठने वाले सदस्य हों, कहना चाहते हैं तो उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। नेता लोग तो यहां भी शोषण करते हैं और बाहर भी शोषण करते हैं। पहले तो मैं किसी तरह से झपट-झपटा कर बोल भी लेता था लेकिन अब तो मौका ही नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें, आपके नेता बोलने जा रहे हैं।

श्री राजनारायण---उनको तो वे अपना नेता मानते ही नहीं हैं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव इस सरकार के ऊपर जब रखा गया था तो इस विचार के साथ यह बात सामने नहीं आयी थी और न विरोधी पक्ष के किसी सदस्य का यह विश्वास था कि हम लोग इस प्रस्ताव को जो सदस्य संख्या है विरोधीपक्ष की, उसके आधार पर पास करवा सकेंगे। सवाल केवल यह था कि इस सरकार की कुछ गलत नीतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से इस प्रदेश की जनता बहुत परेशान है, दुखी है और इस प्रदेश की जनता का आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास रुका पड़ा है। सोचा यह भी गया कि सही बात के लिये कोई भी सीमा बीच में निर्धारित नहीं हो सकती। सही बात है कि सभी विकास रुके पड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर जिन बातों को विरोधी पक्ष के सदस्य माननीय सदन के सामने रखेंगे, दूसरे पक्ष के सदस्यों के विचारों में भी परिवर्तन हो जाय और डेढ़ दिन की बहस के बाद हमने यह देखा कि सचमुच ही वह जो इच्छा थी, कामना थी विरोधी पक्ष के सदस्यों की, वह कामयाब हुई और ९७ व्यक्ति उनके जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर इस सदन में आये हैं, उन्होंने कहा कि हमको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। तो जहां तक नैतिक विजय का प्रश्न है, वह तो हो गयी कि यह सरकार जिस प्रकार के कार्य कर रही है उन कार्यों के आधार पर इस माननीय सदन का विश्वास उसे प्राप्त नहीं है, यह बात तो पूर्णतया प्रकट हो चुकी है। अब यह बात निर्भर करती है उन व्यक्तियों के ऊपर जो कि केवल टेक्निकलिटी को लेकर शासन व्यवस्था को नहीं चलाते हैं। राजनीतिक विरोध करने में नैतिकता का भी मापदंड है जिसके ऊपर अपने की तौलना होता है। मैं समझता हूं कि नैतिकता की दृष्टि से जो इस सरकार में अविश्वास प्रकट हो चुका है उस आधार पर कल से उनको आकर इस शासन कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिये। लेकिन अगर वे टेक्निकलिटी के आधार पर शासन व्यवस्था को चलाना चाहते हैं तो उनको जनता का विश्वास नहीं प्राप्त हो सकता और न उन राज कर्मचारियों का विश्वास ही प्राप्त हो सकता है, जिनको उनके आदेशों पर इस राज्य का संचालन करना पड़ता है।

श्रीमन्, एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने यह बात कभी नहीं कही, इस बात का दावा कभी नहीं किया कि हम लोग अविश्वास का प्रस्ताव इस उद्देश्य से लाये हैं कि हम इस राज्य का संचालन करेंगे। इस का संचालन करने का उत्तरदायित्व हमें किसी पार्टी से, किन्हीं मंत्रियों से नहीं लेना है, उसका उत्तरदायित्व हमें जनता जनार्दन की तरफ से जब सौंपा जायगा तब हम उस को एक उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से, सौन्दर्य और योग्यता से चलायेंगे। मैं अर्ज करूंगा कि यह जो शासन है वह कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं है और यह सौ प्रतिशत सही बात है। उन लोगों ने जिन के आधार पर यह हुकूमत कायम है उन में से ९७ का यह कहना है कि हम इस राज्य को कांग्रेस पार्टी का राज्य नहीं मानते, यह तो एक गुट है, एक क्लीक है जिस का कि यह राज्य है। इस बात का फतवा विरोधी पक्ष के लोगों ने नहीं दिया बल्कि जिन के सहारे यह राज्य टिका है उनका कहना है कि यह एक सेक्शन या एक गुट का राज्य है।

श्रीमन्, इस गुट ने इस प्रदेश में क्या किया है? इस ने हमारे आर्थिक विकास को रोका है, भ्रष्टाचार फैलाया है और इस से भी भयंकर करतूत उसने यह की है कि देश की जनता में जो एक आत्मविश्वास की भावना थी उसी को खो दिया है। कांग्रेस का और उसके सम्मानित नेताओं का एक ऊंचा दर्जा और सम्मान यहां था, सारे देश की जनता उनका सम्मान करती थी और उस के सुन्दर पुराने इतिहास और सुन्दर कार्यों के कारण जनता ने उस पर एक भारी और महान उत्तरदायित्व को सौंपा था, परन्तु हमें खेद है कि उस उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया गया जिस की आशा उनसे यह देश और प्रदेश करता था। अनेक प्रकार के प्रगतिशील नारे, एलान और घोषणायें यहां से होती हैं परन्तु उस की जो रीढ़

होती है जन भावना, जनता के हित, उन की तरफ न देख कर सरकार ने वह कार्य किये हैं जो प्रदेश को पीछे ढकेलने वाले हैं। प्रगतिशील योजनाओं के नाम पर नये-नये करों का भार जनता पर लदता जाता है और पब्लिक सेक्टर के उद्योगों के नाम पर रिश्तेदारों को नौकरियां दी जाती हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार ने पूरी जनता का विश्वास, पार्टियों की ओर से विमुख किया है। कांग्रेस पार्टी का चारों तरफ से पतन हुआ है। जनता का विश्वास डिगा है और उस के कारण हैं। आप ने देश की जनता के विश्वास को खत्म कर दिया, जो सम्मान देश की जनता ने आप को प्रदान किया था वह आपने स्वयं खो दिया। मैं भ्रष्टाचार की एक-एक मिसाल दूं तो सदन का काफी समय लग जायगा।

अब किसी राज्य को चलाने के ३ मूल आधार होते हैं--पहला यह विधान सभा, असेम्बली है और जो कानून यह पास करती है उसकी अपनी सीमा है, दूसरा वह राज्य कर्मचारी हैं जो विधान सभा के पास किये हुए कानूनों पर अमल करते हैं और तीसरा वह न्यायालय हैं जो उनकी कार्य-वाहियों के संचालन की देखभाल करते हैं। यह तीनों संस्थायें आज कांग्रेस पार्टी के राज्य में अपने अपने स्थान से गिर रही हैं। आज असेम्बली के सदस्यों को क्या बना रखा है, आज असेम्बली के सदस्यों की किसी बात को नौकरशाही नहीं सुनती, जिस जिले के मंत्री जी अभी बोल रहे थे वहां के जिलाधीश अपने को सर्वसत्ताधारी समझते हैं और वह किसी असेम्बली के सदस्य के पत्र का उत्तर देना भी उचित नहीं समझते। जो कानून यहां बनते हैं उनका व्यवहार ठीक हो रहा है या नहीं इसके विषय में कोई राय प्रकट नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो यहां के प्रत्येक मिनिस्टर अपने विभाग की आलोचना को अपनी व्यक्तिगत आलोचना और मानप्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं और हमारे लोगों के बारे में तो कहा जाता है कि उनका तो बकवास करना काम ही है और बकवास करते ही रहते हैं।

(इस समय ३ बज कर ३८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और अगर कांग्रेस पार्टी के कोई सम्मानित सदस्य उस के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उस को गुटबन्दी कह कर खत्म किया जाता है कि यह चन्द्रभानु गुप्त की पार्टी के होंगे या चरण सिंह ग्रुप के होंगे। इस तरह से आपने विरोधी पक्ष को भी डिमारेलाइज किया है और वह लोग जो करप्शन के खिलाफ़ आवाज उठाते हैं और जो कांग्रेस की सही आवाज उठाते हैं उन को गुट और क्लीक के लोग बता कर आप ने उनको भी डिमारेलाइज करने की कोशिश की है।

मान्यवर, इस पार्टी ने, इस हुकूमत ने कदम-कदम पर प्रदेश के सामने एक संकट खड़ा कर दिया है। अगर यह व्यवस्था चलती रही, यह हुकूमत चलती रही, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाएगा और उस संकटपूर्ण घड़ी में यह बात हो सकती है कि जैसा राजनीतिक एडवेन्चर हमारे पड़ोस के देश में हुआ है उसी प्रकार का राजनीतिक एडवेन्चर हमारे प्रदेश और देश के अन्दर भी यदि होता है तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो जनता के अन्दर विमुखता सी हो रही है उससे हमारा राज्य और देश खतरे में पड़ जाय। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस सरकार से कि मान लीजिए आज, किसी भी आधार पर सही, आप अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिये तैयार नहीं हैं, विरोधी पक्ष की बातों को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं, आपके जो साथी हैं उनकी सलाह को ठुकराना चाहते हैं, तो इससे सम्पूर्ण प्रदेश, तमाम राज्य कर्मचारी और तमाम जनता एक अनिश्चितपूर्ण स्थिति में है। हर मिनिस्टर समझता है कि उसकी स्थिति कैसी डांवाडोल है, एक हवा के झोंके में स्थिति किधर से किधर चली जाएगी। हर आदमी अपनी-अपनी जगह पर एक अनिश्चयपूर्ण स्थिति में है। इस संकट के पैदा करने वाले आप हैं। इस भ्रष्टाचार के जन्मदाता आप है। इस वजह से मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो अनैतिकता का वातावरण इसने पैदा कर दिया है उसकी वजह से इसे इस प्रदेश में राज्य करने का अधिकार नहीं है और इसको त्याग-पत्र दे देना चाहिए और इस सदन का बहुमत यह प्रकट कर चुका है। उधर के ६७

[आचार्य दीपंकर]

साथी हमारे अविश्वास के प्रस्ताव के साथ नहीं, तो वह सरकार के साथ भी नहीं हैं। प्रश्न केवल यह है कि सरकार के ऊपर विश्वास है या नहीं। इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है और अगर नैतिकता जरा-सी भी अवशिष्ट हो तो उन्हें हट जाना चाहिए।'

श्री राजनारायण---मेरा एक वैधानिक प्रश्न है, श्रीमन्। प्रश्न यह है कि इस सदन के ९८ सदस्यों ने एक लिखित पत्र आप के पास भेजा है...

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कोई नहीं आया।

श्री राजनारायण---आप नहीं थे। उस समय उपाध्यक्ष जी थे, और उसी पत्र को इस सदन में पढ़ा गया। पूरे सब के नाम भी पढ़े गये। उसमें उन्होंने इतनी बात स्पष्ट लिखा है कि सरकार में हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है। अब यह दूसरा प्रश्न हो जाता है कि....

श्री अध्यक्ष---मैंने सुना कि इस पर फैसला हो चुका है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप की रूलिंग क्या है?

श्री अध्यक्ष---एक दफा रूलिंग हो चुकी। अब आप प्रश्न नहीं उठा सकते। अगर ऐसा ही प्रश्न फिर कभी उठे तो आप उठाएं। आप कृपा कर के बैठिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मेरा एक वैधानिक प्रश्न है, श्रीमन्। आपने ही इस सदन के अन्दर यह व्यवस्था दी थी कि यदि इस पीठ पर कोई उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता मण्डल का कोई सदस्य आसीन हो और यदि वह कोई व्यवस्था के प्रश्न पर फैसला दे तो उस को भी आप फिर रिवाइज कर सकते हैं। यह अभी जो प्रश्न माननीय राजनारायण जी ने उठाया वह बहुत गम्भीर प्रश्न है। उससे हमारी राजनीतिक स्थिति में आमूल परिवर्तन हो जाता है। जब हम सब लोग चुनकर इस सदन में आये तो माननीय राज्यपाल ने नेता सदन को इसलिये...

श्री अध्यक्ष---आप का प्वाइंट क्या है? यही कि मैं रिवाइज कर सकता हूं या नहीं। मैं जवाब देता हूं, आप बैठिए।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, एक बात और है वह भी कह दूं तो दोनों पर व्यवस्था हो जाएगी। उस समय हालत यह थी कि २७३ आदमी का विश्वास उन पर था...

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं है, अभी आपका यह व्यवस्था का प्रश्न है कि मैं पहली कोई रूलिंग रिवाइज कर सकता हूं या नहीं। मैं उस चीज को रिवाइज कर सकता हूं जब कि कोई सदस्य मेरे कमरे में आकर मुझे समझा दे कि क्या गलती हुई है और कैसे हुई है। दूसरी अवस्था वह है जब कि कहीं पर फिर से मौका ऐसा पैदा हो जिसके बारे में फैसला किसी ने भी यहां अध्यक्ष के स्थान पर बैठ कर दे दिया हो तो कोई अगर उस वक्त वैसा ही प्रश्न फिर से आये तो उस वक्त रूलिंग अगर मुझसे मांगे कि मेरी अनुपस्थिति में पहले यह रूलिंग दी गई थी अब आप की क्या रूलिंग है तो जो रूलिंग होगी उस को देखने के बाद जो मैं रूलिंग दूंगा वह रिवाइज्ड होगी। लेकिन यह नहीं है कि जिस वक्त उपाध्यक्ष ने कोई फैसला दे दिया हो उसको क्वेश्चन करते हुए आप मुझसे पूछें कि उनकी रूलिंग तो हो चुकी आपकी क्या रूलिंग है, इस तरह की बहस मैंने कभी नहीं उठने दी। अगर यह प्रश्न उठाना चाहते हैं तो वोटिंग जब हो जायगी उस वक्त आप पूछ सकते हैं कि वोटिंग का क्या नतीजा है? तो मैं अपना जवाब दूंगा। उस समय आकेजन हो सकता है अभी नहीं। आप कोई काल्पनिक बात सोच रह हैं उस की वजह से आप कोई अन्दाज भी लगा रहे हैं। यों तो आप

घर बैठे ही सब कुछ सोच सकते हैं। हम यहां पर वस्तुस्थिति का मुकाबला करने के लिये बैठे हैं, यहां कांस्टीट्यूशनल पोजीशन यही है। यहां जो राय देंगे उस के बाद आपको कोई कांस्टीट्यूशनल पोजीशन पूछनी हो तो पूछिये। पहले से कोई राय मैं देने को तैयार नहीं हूं।

(श्री अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री का नाम पुकारा)

श्री चन्द्रजीत यादव—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री को मैं बुला चुका हूं। उनके बोलने के बाद आप कोई प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आज वोटिंग टाली जा सकती है?

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास के प्रस्ताव का कई रोज से खासा चर्चा था और माननीय त्रिलोकीसिंह जी के भाषण को सुनने के पहले मेरे मन में कुछ आशंका भी थी और कुछ आशा भी थी। आशंका, खतरा इस बात का कि शायद इस गवर्नमेंट की कोई नये छुपे हुए पापों पर प्रकाश डाला जाय, हमारे किन्हीं ऐसे ऐबों का रहस्य खोला जाय जो कि आज तक किसी के सामने न आये हों और जिनका हमारे पास कोई जवाब न हो। आशा इस बात की थी शासन कैसे चलाया जाय, इस सम्बन्ध में हमको अच्छी, उपयोगी सलाह दी जायगी। जहां एक तरफ़ मुझे इस बात की खुशी है कि वह खतरा ग़लत निकला वहां इस बात का दुख है कि हमको कोई ऐसी सलाह न मिली जिससे कि हमारे काम में सहायता मिलती। मैं सोचता रहा हूं कि आखिर इस किस्म के प्रस्ताव को पेश करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। एक बात तो समझ में आती है, बहुत-सी बातें हैं जो जनरल डिस्कशन आन दी बजट के मौके पर कही जा सकती हैं। उसी किस्म की बातें अभी राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में कही जा सकती थीं, और कही गईं। लेकिन शायद इतना काफ़ी नहीं था। कई लोगों को इससे संतोष नहीं होता था तो एक तीसरा तरीका यह भी है कि हर ३, ४, ५ वें महीने अविश्वास का प्रस्ताव आ जाय ताकि कुछ तबियत अपनी हल्की हो जाय इस किस्म की बातें कह कर। खैर, अपनी जगह पर इसका भी कोई स्थान है। लेकिन शायद इससे भी कुछ आगे उद्देश्य था और उसको कुछ माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा भी। उन्होंने अपने भाषण के आरम्भ में ही जहां तक मुझे याद पड़ता है हमको यह सलाह दी कि तुम्हारे कारनामे इतने काले हैं कि तुमको इस्तीफा दे देना चाहिये। शब्द ये न रहे हों लेकिन मैं समझता हूं कि उन का मतलब यह जरूर था कि हमको शासन से अलग हो जाना चाहिये। अब हमारे कारनामे काले हों, गोरे हों, अच्छे हों या बुरे हों लेकिन उनका भाषण सुनने के बाद मैं यह सोचने लगा कि अगर हमने इस्तीफा दिया, तो होगा क्या—वोट की बात छोड़ दीजिये। आजकल हमारे यहां पंचम वेद निकला है— पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस—उसका उद्धरण देते हुये राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे ने कहा कि लीडर आफ दी अपोजीशन को किन हालतों में इस किस्म के प्रस्ताव को पेश करना चाहिये—उस वेद के उद्धरणों को भी छोड़ दीजिये। मेरे विचार आज कुछ इस पोथी में से उद्धृत करने के नहीं हैं। इसी तरह से यह भी संकल्प कर रखा है कि किसी प्रकार के आंकड़े पेश नहीं करूंगा। इस की वजह है और वह यह कि अगर कोई आंकड़े सरकारी कागजों में ऐसे निकल आते हैं जो कि हमारे सामने बैठे हुए मित्रों को ठीक जंचते हैं, उनकी बात की पुष्टि में आते हैं तो उनको तो वे मान लेते हैं और उनको पेश किया जाता है कि आप की सरकारी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इत्तिफाक से ऐसे आंकड़े हों जो उनके मत का समर्थन न करते हों तो सीधे कह दिया जाता है कि तुम्हारी सरकारी रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। सच हों या झूठ, आज मैं किसी प्रकार के आंकड़े पेश नहीं करूंगा और न मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से किसी प्रकार का उद्धरण दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी की सलाह मान कर सरकार से इस्तीफा दे दूं—मजाक की बात नहीं कह रहा हूं सीरियसली कहता हूं—तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर जो लोग इस सदन में बैठे हैं, उधर बैठे हों या इधर बैठे हों, कहीं बैठे हों, वे गम्भीरतापूर्वक विचार करें और प्रदेश के लोग जो सदन की कार्यवाही को पढ़ेंगे वे भी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि हमारे हट जाने के बाद किसी प्रकार की कोई सरकार प्रदेश में बनेगी या नहीं बनेगी ? अगर बनेगी तो कौन-सी गवर्नमेंट बनेगी ? जो लोग कि इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं अगर मान लें कि सब पार्टियां मिल कर गवर्नमेंट बनायेंगी तो ठीक है लेकिन सोचने की बात है उनके लिये भी और दूसरों के लिये भी। उनके यहां योग्य आदमियों की कमी हो इसे मैं नहीं कहता लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है—एक कहावत है 'बहुत जोगी मठ उजाड़'—जरूरत से ज्यादा आदमी से भी काम बेकार हो जाया करते हैं। उदाहरण के लिये मेरे कुछ दोस्त जनसंघ के हैं—जितनी पार्टी वाले बैठे हैं एक पालीवाल जी को छोड़ कर जिन की तरफ से कुछ सुना नहीं—चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे पी० एस० पी० हों सब का एक स्वर से कहना है कि यह तो बड़ी कम्युनलिस्ट पार्टी है। तो वे जो आज तक उनको कम्युनलिस्ट कहते रहे हैं उनके साथ मिल कर गवर्नमेंट कैसे चलायेंगे ? यह बात समझ में नहीं आती। जिस समय दुर्भाग्य से हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा हो जाता है तो असेम्बली में सवाल होते हैं, उनके ऊपर सप्लीमेंटरी सवाल होते हैं तो उनमें दो रुख होते हैं। हमारे जनसंघ के दोस्तों का तो यह रुख रहता है—उनका ऐसा विश्वास है आम तौर से धार्मिक मामलों में हिन्दू एग्रेसिव नहीं होते और ऐसे अवसर पर वे केवल अपने धर्म की रक्षा तो करते हैं लेकिन दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते और उनकी एक सहज धारणा यह होती है कि संभवतः किसी और की तरफ से गलती हुई होगी। दूसरी तरफ के लोग यह कहते हैं कि उनकी अक्ल में यह बात आती है कि हिन्दुस्तान में मुसलमान मायनारिटी में हैं और हिन्दू मेजारिटी में, कुछ गड़बड़ होती है तो मेजारिटी की तरफ से मायनारिटी की तरफ ज्यादती होती है। जब ऐसी गवर्नमेंट बैठेगी तो क्या करेगी ? हिन्दू धर्म की रक्षा होगी या नहीं होगी—जो होगा वह होगा—उस की बात जाने दीजिये।

अभी कल एक स्पीच राघवेन्द्रप्रतापसिंह की हुई और आज राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे की स्पीच हुई। उनकी बातों से आधे तौर से, चौथाई तौर से या बिल्कुल मैं सहमत हूं या नहीं लेकिन जब वे स्पीचेज मैं अपने सामने रखता हूं तो उन दोनों स्पीचों ने एक बड़े महत्व के प्रश्न पर प्रकाश डाला। राघवेन्द्रप्रताप जी ने यह कहा कि कांग्रेस का जो नागपुर का रेज़ोल्यूशन भूमि सुधार की बाबत है वह देश को तबाह कर देगा। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरफ बैठे हुये या उस तरफ बैठे हुये हैं और ज़ाहिर बात यह है कि जो सामने बैठे हुये हैं वे भी जब देहातों में जाते हैं तो साफ-साफ देहात वालों के सामने कभी कहते नहीं हैं, अगर वे कहें तो किसी हालत में अगले चुनाव में चुन कर नहीं आ सकते। माननीय यावेन्द्रदत्त जी ने कहा कि जो लैन्ड रिफार्म्स की और इस तरह की बातें सोची जाती हैं सीलिंग की, जमीन के बटवारे की वगैरह वगैरह वे बातें बिल्कुल गलत हैं और देश को तबाह करने वाली हैं। इस अविश्वास के प्रस्ताव में दोनों आदमी शरीक हैं। जब गवर्नमेंट बनेगी तो जिस किसी ग्रुप के राघवेन्द्रप्रताप जी होंगे उस ग्रुप के प्रतिनिधि उसमें होंगे और जिस किसी ग्रुप के यादवेन्द्रदत्त जी होंगे उस ग्रुप के प्रतिनिधि उसमें होंगे और दूसरे लोग भी होंगे। और जो दूसरे लोग हैं, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो उनका तो यह खयाल है कि कांग्रेस की तरफ से जो भूमि सुधार की बात कही जाती है वह बड़ी हल्की है उससे और ज्यादा होना चाहिये। मान लीजिये हम कहें कि ४० एकड़ की सीलिंग होनी चाहिये तो वे कहेंगे कि वाह ! यह तो बहुत ज्यादा है, साढ़े १२ एकड़ की होनी चाहिये। श्री झारखंडेराय जी ने कहा कि बहुत-सी जमीन का ट्रांसफर हो गया, उसको आपने रोका नहीं। तो इस प्रदेश की गरीबों जमीन का क्या होगा ? जब इस किस्म की गवर्नमेंट बनेगी और उस की कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी तो शायद पुलिस की तैनाती करनी पड़ेगी कि

कहीं आपस में लड़ न जायं। कैसे चलेगी गवर्नमेंट ? हालत फ्रान्स से भी खराब हो जायगी। फ्रान्स में चौथे पांचवें, महीने सरकार बदल जाती है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—उड़ीसा में कांग्रेस वाले सीधे हो गये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने सुना नहीं, कहीं हो गये होंगे तो हो गये होंगे। तो मैं कह रहा था कि फ्रांस में चौथे, पांचवें महीने गवर्नमेंट बदलती है। लेकिन दो बातें हैं जो फ्रान्स में हैं लेकिन हमारे यहां नहीं हो सकतीं। एक तो यह है कि फ्रान्स की गवर्नमेंट चलने का कारण यह है कि वहां की सिविल सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं। हमारे यहां की जो सिविल सर्विसेज हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसका हम लोगों ने नौकरशाही अनुवाद बना लिया है, हालांकि जो बिल्कुल गलत है, लेकिन सब लोगों की यह राय है कि हमारे यहां की नौकरशाही बेईमान है, करप्ट है, निकम्मी है। तो जो फ्रान्स की नौकरशाही काम कर सकती है हमारे यहां की तो कर नहीं सकेगी। दूसरी बात एक और है कि फ्रान्स में किसी एक पार्टी का बहुमत तो शायद ही कभी हुआ हो। वहां होता यह है कि दो-दो, तीन-तीन पार्टीज मिल लिया करती हैं और उनके डेपुटीज बहुमत बना लिया करते हैं। मगर कोई सिद्धान्त तो मिलता नहीं है। नतीजा यह होता है कि लड़ाई हो जाती है, गवर्नमेंट टूट जाती है। यहां सूरत यह होगी कि दो, तीन पार्टियों का सवाल ही क्या, सब की सब पार्टियां मिल कर भी गवर्नमेंट नहीं बना सकतीं। मैं इस सवाल को मजाक की दृष्टि से नहीं कहता। गवर्नमेंट्स आती रहती हैं और गवर्नमेंट्स जाती रहती हैं। आज कांग्रेस गवर्नमेंट है, कल को न रहे। जब ऐसा प्रस्ताव पेश किया जाता है तो मजाक के लिये नहीं बल्कि जैसा त्रिलोकीसिंह जी ने कहा सीरियसली और हमको शुरू में ही राय दी कि आप हट जाइये, इस्तीफा दे दीजिये, तो उनको यह भी सोचना चाहिये कि वैकुअम नहीं रह सकता सिवाय इसके कि जो मौजूदा सूरत हो वह अराजकता की हो, अनार्की की हो और कुछ नहीं हो सकता है। जहां तक अनार्की की बात है, मैं नहीं कह सकता हूं कि यह किसी को पसन्द आयेगी। सम्भव है जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, उनके दिलों में केरल का घाव अभी हरा है, उनको शायद यह चीज पसन्द आ जाय। एक चीज जरूर है कि हमारे जो डाक्टर लोहिया साहब हैं उनकी राय जरूर है कि १९६१ में वह बड़ी क्रांति करने वाले हैं और उसके लिये कभी कहीं और कभी कहीं रिहर्सल भी होते रहते हैं। उनके मन की बात हो जायगी।

श्री राजनारायण—१९६१ में नहीं १९६० में।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, आने वाला है। आज मुरादाबाद में उनकी स्पीच हुई थी—वह छपी है—कि जिनको वह गालियां दिया करते थे वह सब उनके पीछे चले आ रहे हैं। मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं और मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूं ? अगर इस तरह की कोई चीज करनी है या अनार्की पैदा करनी है तो और बात है। मैं समझता हूं कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी तथा अन्य लोगों को सोचना चाहिये कि जब हम ऐसी चीज पेश करते हैं तो उस को खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिये। सोच समझ कर कोई चीज पेश करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि हम एक तरफ तो वैकुअम बना दें और यह न सोचें कि कैसे वह भरेगा। ऐसा तो प्रबन्ध करें कि वह कुछ दिन चल सके यह तो कोई नहीं कह सकता कि एक पार्टी आ जायगी तो वह हमेशा चलेगी लेकिन ऐसा तो हो कि वह कुछ चले। हमारे प्रदेश की जनता भी समझ सके कि यह चीज कम से कम साल छै महीने चलने वाली है। लेकिन ऐसी चीज यदि नहीं बना सकते तो ऐसा प्रस्ताव लाना ही निर्थक हो जाता है।

श्री राजनारायण—९६ तो निकल आये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा कि हमारा इतना बड़ा कुटुम्ब है उसमें कुछ न कुछ तो होता ही रहता है।

इसके बाद मैं एक बात सोच रहा हूं कि जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसके सिलसिले में जो छोटी-छोटी बातें कही गईं, मैं, समझता हूं कि वह अनुचित है क्योंकि यह तो पुलिस के बजट

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

के समय कही जानी चाहिये थीं। उसके कहने का वह मौका है कि उस जिले में ऐसा हुआ, फलां जगह वह मारा गया, फलां जगह वह गिरफ्तार हुआ, इन सब बातों का उस समय जिक्र हो सकता है और मेरे जैसे आदमी को जिसको बहुत थोड़े से समय में ही सब बातों का जवाब देना होता है, उसक लिय इन छोटी-छोटी बातों का जवाब देना असम्भव है और बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमने यह कभी इंकार नहीं किया कि पुलिस में ऐब है। इसलिये मैं पुलिस के बारे में कहता हूं कि इसका जिक्र माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने किया और चाहे कोई जिक्र करता लेकिन उनसे यह आशा नहीं की जाती थी, वह तो लीडर आफ अपोजीशन हैं उनसे तो यह आशा की जाती थी कि वह कोई ब्राडर प्वाइंट आफ व्यू रखेंगे। पहले मेरा ऐसा खयाल था कि शायद पार्टियों में आपस में बटवारा हो गया है कि एक-एक पार्टी एक एक विषय ले लें। यह अच्छा भी होता जैसे राजनारायण जी जो स्पीच देते हैं, त्रिलोकीसिंह जी लाख कोशिश करें तो वह उस तरह से नहीं कह सकते हैं, पालीवाल जी, झारखंडे राय जी और यादवेन्द्रदत्त जी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा, दीक्षा, उनकी संस्कृति और शराफत उनका मुंह बंद कर देगी। यह बात समझ में आ सकती थी कि पार्टियों में विषयों का बटवारा हो गया होगा लेकिन स्पीचेज सुनने के बाद मुझे ऐसा पता लगा कि...

श्री राजनारायण---आप मुकाबला कर सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कहां आप और कहां मैं। मैं क्या आप का मुकाबला कर सकता हूं।

उन्होंने पुलिस का जिक्र किया। इसलिये मैं कहता हूं कि हमने भी इससे इंकार नहीं किया कि पुलिस में दोष हैं। मैंने भी महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में कहा था कि अगर उनको पुलिस की दो गलतियों का पता होगा तो हमको १० का पता है। लेकिन हमें काम करना पड़ता है। हमें किस तरह से काम निकालना पड़ता है। लेकिन खाली गलतियां निकालने से तो कोई लाभ नहीं होता है, उनको दूर करना होगा और उसको हम कोशिश करते हैं और कामयाब होते हैं और इसके साथ ही जैसा कि हमें बताया जायगा उस को हम अमल में लायंगे। हम सर्वज्ञ होने का दावा नहीं करते हैं। अगर सर्वज्ञ होते तो पुलिस कमीशन न बिठाते क्योंकि हम गलतियां करते ही नहीं हमने पुलिस कमीशन बनाया है। इधर हमने कुछ काम किया है हम जानना चाहते हैं कि अब तक हमारा कहां तक काम सफल हुआ है, जेलों की इवैलुएशन कमेटी, सोशल वर्क की इवैलुएशन कमेटी, पुलिस की इवैलुएशन कमेटी बैठाने जा रहे हैं। एक इवैलुएशन कमेटी माननीय गोविन्दसहाय की चैयरमैनशिप में बैठी थी ताकि हमें मालूम हो सके कि जितना रुपया हम खर्च करते हैं, कितने रिजल्ट्स हमें मिले हैं। कितना रुपया ठीक से खर्च हुआ है। कितनी सफलता हो सकती थी और कितनी हुई है। इन कमेटियों में हर पार्टी के लोग, आफिशल, नानआफिशल सब होते हैं। हमारा यह दावा नहीं है कि हमारा काम परफेक्ट है। जो भी हमें सलाह दी जायगी हम लेने के लिये तैयार हैं लेकिन अगर सिर्फ काली तस्वीर खींची जाय कि सिवाय बुराई के और कुछ नहीं है तो मैं यही कह सकता हूं कि जिसको कांवर का रोग हो जाता है उसको पीला ही पीला दिखायी देता है।

एक बात पर और हम विचार करें। पुलिस हो या कोई और हो वह शून्य मेंकाम नहीं करता। जिन परिस्थितियों के बीच में काम करना पड़ता है जिस खान से वह निकला है उसका भी असर होता है। मैं बार-बार कह चुका हूं। करप्शन का चर्चा बार-बार होता है। मुझ को उससे तकलीफ होती है। मुझको ऐसा लगता है कि यह विज्ञापन दुनिया भर के सामने करना कि हम बेईमान हैं, निकम्मे हैं, शोभा की बात नहीं है। जरा हम सोचें। आज हमें १०–११ वर्ष देश की स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए। हम इतने दिन तक गुलाम रहे। गुलामी में और बुराइयों के साथ सब से बुरी चीज यह होती है कि चरित्र का हनन हो जाता है। केभी उनका कैरेक्टर ऊंचा रह नहीं सकता। जो ऊंचे चरित्र वाला आदमी होगा व ह क्श

कर दिया जायगा। हमने उस चीज को इनहेरिट किया। चरित्र की कमियां हमारी किन-किन दिशाओं में दिखाई पड़ती हैं? अभी एक सज्जन ने पेश किया, कानपुर के एक कालेज का नाम आया। सुनने में आता है कि फलां स्कूल के मैनेजर साहब स्कूल का रुपया खा गये। फलां व्यक्ति ने लाइसेंस लिया उस को बेच खाया। फलां जगह पंचायत में यह गलती हुई। चोर बाजार भी होते हैं और चोर बाजारी से अच्छे-अच्छे लोग खरीदते भी हैं। इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। जहां पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं। पंचायतों और शिक्षा संस्थाओं में पुलिस के आदमी नहीं हैं। चोर बाजारी की दूकान करने वाले पुलिस के आदमी नहीं हैं। चोर बाजारी से खरीदने वाले भी सब पुलिस वाले नहीं हैं। दुर्भाग्य से हमारे नेशनल कैरेक्टर में यह चीज आ गयी हैं। एक भाई पुलिस में होता है, एक भाई दूकान करता है, एक भाई हम यहां बैठे हैं। तो जब हम अपने उस भाई की शिकायत करते हैं, तो हमें उन भाइयों को भी नहीं भूल जाना चाहिए। जब हम पुलिस के करप्शन की चर्चा करें तो हमें यह न भूलना चाहिये कि उन्हीं घरों से वह निकले हैं, उन्हीं परिवारों की वह भी संतान हैं, उसी वातावरण में वह भी पले हैं। वातावरण को भी देखना चाहिये। उसी वातावरण में पुलिस को काम करना पड़ता है। चरित्र का पतन जो दुर्भाग्य से हमारे यहां आ गया है वह पुलिस के ऊपर भी आया है सब पर आया है। इन बातों से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि अगर पुलिस कोई अपराध करे तो हम क्षमा कर देंगे (टू रांग्ज़ डू नाट मेक ए राइट)। अगर पुलिस कोई गलत काम करती है तो उस को जरूर दंड देना चाहिये। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो काली तस्वीर का ही हिस्सा सामने न रखें। जिस कागज पर तस्वीर खींची गयी है यह भी देख लें कि वह कागज कैसा है। जिन सर्कम्सटैंसेज़ में उनको काम करना पड़ता है उसका भी खयाल करें। पुलिस की जो गलतियां हैं वह तो हैं। वह निन्दा के योग्य हैं। पुलिस को अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए शिकायत सुननी पड़ती है। कभी-कभी शिकायत पुलिस को सुननी पड़ती है ऐसे कामों के लिये जो कि किसी हालत में भी उसके कर्त्तव्य के अन्दर नहीं आते। मिसाल के लिए, माननीय राजनारायण जी ने जिक्र किया सोशलिस्ट पार्टी की उन्नाव की मीटिंग का। उस वक्त इम्तहान जारी थे लड़कों के। जहां जलसा होने वाला था उसके थोड़ी-थोड़ी दूर पर दो स्कूल थे। उस जमाने में लाउड स्पीकर मना कर दिए गये थे इस वास्ते कि लड़कों के इम्तहान में हर्जा न हो। फिर भी पार्टी को रियायत कुछ दी गई। तीसरे दिन सुबह और शाम दोनों वक्त इतहान था। उस दिन के लिए लाउड स्पीकर बिल्कुल मना कर दिये गए। लेकिन किसी वजह से पार्टी ने उस आज्ञा को मानना ठीक नहीं समझा। लाउड स्पीकर को काम में लाना उचित समझा। पुलिस को मजबूर हो कर दखल देना पड़ा। अब वह जरूरी था....

श्री राजनारायण—आप चाहें तो मैं बता दूं कि वस्तुस्थिति क्या है। हमने दस बजे के बाद कहा था....

श्री अध्यक्ष—जब तक वह बोल रहे हैं तब तक आप न बोलें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तो वह पुलिस की ड्यूटी थी। उसके ऊपर उसकी शिकायत हो गई कि क्यों उसने अपनी ड्यूटी का पालन किया? एक तरफ तो अगर लड़के फेल हों तो यह आन्दोलन चलाया जाय कि उनको फेल नहीं करना चाहिये और दूसरी तरफ ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि वह इम्तहान में न बैठ सकें, इम्तहान ठीक से न दे सकें और फेल हो जायं। बड़ी मुश्किल है। कभी-कभी पुलिस की शिकायत ऐसी बातों के लिए हो जाती है जो कि उनके कर्त्तव्य में नहीं आती हैं। मसलन, कल माननीय मदन पांडेय ने गोरखपुर के रफी अहमद स्कूल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुंसिफ की अदालत से एक इंजंक्शन ईश्यू हुआ और चूंकि उस स्कूल का सम्बन्ध था रूलिंग पार्टी से—कांग्रेस से इसलिये पुलिस ने उस इंजंक्शन को कैरी आउट नहीं कराया। अगर पुलिस ने कैरी आउट नहीं कराया तो मुझे बड़ी खुशी है। अगर कहीं पुलिस जाती उस को कैरी आउट कराने तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत होती। कायदा है इंजंक्शन का, मालूम नहीं मदन पांडेय जी कानून जानते हैं या नहीं, बहरहाल, जो

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कानून बनाने वाला है वह जरूर जानता होगा, मुंसिफ ने इंजंक्शन ईश्यू किया, पुलिस से कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि जिसके लिए इंजंक्शन ईश्यू किया गया वह पुलिस से मदद मांगे या कोर्ट ने पुलिस को ऐसा हुक्म दिया हो .....

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—पुलिस से मदद मांगी थी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। वहां से रिपोर्ट आई है। मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। शिब्बन लाल जी वहां मौजूद थे। सेक्रेटरी के खिलाफ आर्डर था। उन्होंने वह आर्डर कैरी आउट कर दिया। उन्हीं के खिलाफ वह ऐक्शन था। वह कैरी आउट हो गया। तो अब पुलिस से उससे कोई मतलब नहीं था और मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मैं समझता हूं कि माननीय मदन पांडेय जी एक कानून बनाने वाले की हैसियत से पुलिस को बधाई देंगे कि उसने गैरकानूनी काम नहीं किया।

एक और दिक्कत होती है। मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी को इस वक्त कोट करना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक मीटिंग की बात है। मैं भी था और वह भी थे। जाब्ते की कार्यवाही जब खत्म हो गई तो यों ही जिक्र चला शराबबन्दी का। उस पर माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि जिस गांव से मेरा ताल्लुक है उसमें तीस या पच्चीस जगहें ऐसी हैं जहां शराब बनती है और एक मानी में मैं उसे बनवाता हूं। सुनकर आश्चर्य होता है। शराब पीने की बात तो हो सकती है लेकिन माननीय त्रिलोकीसिंह जी शराब बनवायेंगे, यह बात तो किसी की समझ में आ नहीं सकती। उन्होंने बताया कि बात यह है कि वहां पुलिस उनके डर के मारे जाती नहीं। गांव वाले कहते हैं कि आपका इकबाल है, क्या मजाल है कि पुलिस वाले हमारे यहां आ जायं। उन्होंने कहा कि जब कभी मैं उस सड़क से निकलता हूं तो एकाध घड़ा जो दिखाई देता है उसे तोड़ देता हूं। गांव वाले चुप रह जाते हैं। सोचते हैं कि अगर एक घड़ा तोड़ दिया तो दस घड़ा बना लेंगे। तो माननीय त्रिलोकीसिंह जी की तो बहुत बड़ी हस्ती है। वह बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन और छोटे बड़े बहुत से लीडर हैं। तो इसके मानी यह हैं कि न जाने कितनी ऐसी जगहें होंगी जहां पर कि उनके डर के मारे पुलिस बेचारी दखल न दे पाती होगी। अब इस में यह है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ कर कोई क्राइम कराता है या उनको प्रेरणा देता है कि क्राइम करो। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि ऐसा होता है। हां, यह जरूर है कि अब वह सारे काम छोड़ कर गांवों में लोगों के पीछे पड़े और उसकी पुलिस में जाकर रिपोर्ट करें कि फलां आदमी शराब बनाता है तो उसको जाकर पकड़ो तो बात दूसरी है। लेकिन इस तरह से भी काम नहीं हो सकता और इस तरह के कामों में कोई लग भी नहीं सकता है कि उनके पीछे रहे। यही वजह है जिनके कारण जितना क्राइम्स का डिटेक्शन होना चाहिये उस हद तक वह नहीं होता। एक मिसाल को आप ले लें कि जितने भी लोग यहां पर हैं या जितनी पार्टी यहां पर है उनकी वजह से यानी राजनारायण जी की वजह से बनारस की पुलिस भयभीत हो जाय, त्रिलोकीसिंह जी की वजह से लखनऊ की पुलिस ठीक हो जाय और साथ ही पालीवाल जी की वजह से आगरा की पुलिस ठीक हो जाय, यादवेन्द्रदत्त दुबे जी की वजह से जौनपुर की पुलिस ठीक हो जाय, झारखंडेराय जी की वजह से आजमगढ़ की पुलिस ठीक हो जाय, दीयंकर जी की वजह से मेरठ की पुलिस ठीक हो जाय तो फिर बहुत आसान हो जाय क्योंकि १०,५ जिले तो ऐसे निकल जाते हैं और इसका जो असर पड़ेगा उससे कुछ लाभ भी होगा लेकिन यह सब कठिन है। हम पुलिस की गलतियों को निकालने में कोई कोताही नहीं करते हैं। अगर पुलिस खराब है तो चाहे कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो उसके लिये अच्छी बात नहीं है। प्रदेश में शान्ति रहनी चाहिये और शान्ति नहीं रहती है तो फिर कोई काम चल नहीं सकता है, लेकिन हमको यह भी स्मरण रखना चाहिये कि पुलिस को जहां पर काम करना होता है वह किस प्रकार के पर्यावरण में उसको काम करना पड़ता है। उसमें अच्छाई और बुराई दोनों को देखना चाहिये। उस अच्छाई बुराई को नापने का तरीका यह है कि चाहे बुराई हो य

अच्छाई हो दोनों को देखें । अगर अच्छाई है तो उसको भी समझे और एप्रिशियेट करें और अगर किसी तरह से कठिनाई है तो उसको भी एप्रिशियेट करें क्योंकि बहुत सी कठिनाइयों के अधीन उनको काम करना पड़ता है ।

एक चीज का जिक्र माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने किया कि जनता का विश्वास पुलिस पर नहीं है और इसको लोकल बाडीज के मातहत कर देना चाहिये और सरकार की तरफ से जो यह जिला परिषद् कानून आ रहा है उसमें पुलिस को उनके हाथ में नहीं दिया है लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि अगर कभी हमने इस्तीफा दिया और माननीय त्रिलोकीसिंह जी इसमें बैठेंगे तो वह भी जल्दी से ऐसा नहीं करेंगे और अगर प्रदेश की पब्लिक पर छोड़ दिया जाय तो पब्लिक भी इस बात के लिये तैयार नहीं होगी, जो बात इस समय कही जा रही है कि यह पुलिस का शासन जिला परिषद् को दे दिया जाय । एक चीज और है, यहां पर इंग्लैंड का बड़ा जिक्र किया जाता है ? ऐसा समझा जाता है कि इंग्लैंड में पुलिस का सारा इन्तजाम वहां पर लोकल बाडीज के हाथ में है और वहां पर गवर्नमेंट का दखल नहीं है । यह बिलकुल गलत है । इंग्लैंड में एक तरफ जरूर डिसेन्ट्रलाइजेशन दिखाई पड़ता है लेकिन साथ ही इतने दिनों में जो वहां पर विकास हुआ है लोकतन्त्र का, उसके अनुभव के आधार पर पद-पद पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल है और अगर उसका आधा भी कंट्रोल यहां पर करने लग जायं तो यह कहा जायगा कि यह धोखेबाजी की बात है और एक तरफ दिखलाने के लिये कहते हैं और दूसरी तरफ कंट्रोल करते हैं । यह गवर्नमेंट आफ इंग्लैंड की एक किताब है जिसका नाम" ब्रिटेन एन आफिशियल हैंडबुक" है। ५८ का एडीशन है :--

"Co-ordination and a certain measure of central control are exercised through detailed police regulations which are issued for their respective countries by the Home Secretary and the Secretary of State for Scotland, who are required by the Police Act, 1919, 'to act in consultation one with another, in this connection. The police regulations cover such matters as discipline, mutual aid, pay, allowances, pensions, clothing, expenses and conditions of services of the members of all police forces to which the Act applies."

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इंग्लैंड में दो सेक्रेटरी आफ स्टेट हैं एक स्काटलैंड के लिये और एक इंग्लैंड के लिये । जो इंग्लैंड के लिये हैं उनको इस बात का अधिकार है कि पुलिस के सम्बन्ध में योजना किस तरह से बनावे । उनके लिये कानून बनाने का उसको अधिकार है कि उनकी डिसिप्लिन कैसे हो । उनकी पे क्या हो, उनको एलाउन्स क्या दिये जांय, उनको पेंशन कैसे दी जाय, वर्दी कैसे दी जाय और खर्च क्या हो सर्विसेज का, इन सब के लिय सेकेटरी आफ स्टेट रेगुलेशन बनाते हैं और अगर कोई अपनी मनमानी करना चाहे तो उसके लिये आप देखिये :--

"Central control also derives from the fact that all police authorities receive a Government grant equal to half their net expenditure reckoned in accordance with the provisions of Orders made under the Miscellaneous Financial Provisions Act, 1950 (as regards England and Wales), and the Police (Scotland) Act, 1956 (as regards Scotland). These orders empower the Home Secretary and the Secretary of State for Scotland to withhold the grant in whole or in part, permanently or for such time as they may determine, if they are not satisfied that a police area is efficiently policed, that a force is properly maintained and administered, or that the rates of pay of allowances are as prescribed or approved by them."

यानी सेक्रेटरी आफ स्टेट को इस बात का अधिकार है कि अगर वह समझे कि किसी एरिया में या यहां के किसी जिले में पुलिस का प्रबन्ध जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है, पुलिस को जो तनख्वाह दी जानी चाहिये वह नहीं दी जाती, या उसकी डिसिप्लिन ठीक नहीं है वगैरह, तो

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उनको अधिकार है कि उसको जो ग्रान्ट दी जाती है पुलिस का खर्च चलाने के लिये, जितना उनका खर्च होता है उसका आधा वहां की सरकार देती है, उसे वह परमानेन्टली या उसके कुछ अंश को रोक दे सकते हैं। तो इस से ही मालूम होता है कि एक प्रकार से पूरा का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। जब खर्च का आधा सरकार देती है तो असंभव बात है कि आधे में वह अपना काम चला सकें। तो इस तरह का वहां पर सेंट्रल का कंट्रोल है। सैकड़ों वर्ष से वहां पर विकास का एक क्रम चला आता है लेकिन उसमें भी जमाने को देखते हुए उन्हें इस प्रकार का कंट्रोल करना पड़ रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--कंट्रोलिंग नहीं सुपरवाइजरी पावर बताइये।

(श्री राजनारायण द्वारा कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री राजनारायण--अगर वह बैठ जांय तो मैं समझा दूं....

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं ऐसी गलती नहीं करता। अंग्रेजी मेरी जबान नहीं है, जिनकी भाषा है उन्होंने कंट्रोल शब्द का प्रयोग किया है। बहरहाल, हमारे यहां की दशा आप देखें। नयी-नयी बात है। जो लोकल बाडीज थीं उन के हाथ में एजूकेशन, सड़क बनाने का काम और मेडिसिन का काम था। जो नया कानून हम बना रहे हैं उसके मुताबिक उन के हाथ में कई काम आते हैं जिनका प्लानिंग से सम्बन्ध है। माइनर इरिगेशन का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, माइनर इंडस्ट्रीज का काम है। कई ऐसे काम हैं कि जो उन्होंने कभी नहीं किये, नये तरह के काम, नया बोझ, नयी जिम्मेदारी और दायित्व हम उनके कंधों पर डाल रहे हैं। ऐसी हालत में पुलिस का काम भी उनके कंधों पर डाल दें यह अन्याय की बात होगी। वह निभा नहीं सकते और इस के अलावा खर्चे की बात है। पूरा खर्च या तो सरकार दे और कंट्रोल वह करें ऐसा नहीं हो सकता। और वह पूरा खर्च चलाने के लिये पैसा कहां से लायेंगे। आगे चल कर अगर उनके पास साधन हो जायं और वह पुलिस का खर्च चला सकें उस समय तक के लिये पुलिस का प्रबन्ध उनके हाथ में देना एक तमाशे की बात होगी और वह अव्यवहारिक होगी।

एक चीज का जिक्र किया माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने। हाईकोर्ट के जजमेंट का जिक्र था। उसमें माननीय पालीवाल जी ने भी कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। मैंने कहा कि जो आम विचार होगा किया जायगा। माननीय त्रिलोकीसिंह जी को इस पर बड़ा एतराज है। उन्होंने कहा कि इससे गवर्नमेंट की जेहनियत का पता लगता है कि हाईकोर्ट को इतनी गंभीर बात पर उन्होंने कह दिया कि हम आम विचार करेंगे। हाईकोर्ट का एक जज या सारे के सारे जज मिल कर भी कोई बात कहें, तो उनकी हर चीज केस-ला नहीं होती। कानून जहां स्पष्ट नहीं होता, उसकी मीमांसा करने की जरूरत होती है वहां वह जो कहते हैं वह केस-ला बनता है।

लेकिन एक अंग्रेजी का शब्द "आबिटर डिक्टम" होता है, जनरल तरीके पर कोई राय दे देना। तो उसका कोई महत्व नहीं है। आज कोई गलत हो या सही हो, अगर यह खयाल हो जाय कि हाईकोर्ट के कोई जज हैं जिनकी बाबत ऐसा खयाल हो जाय कि उनके यहां जब फलां किस्म के मुकदमे जाते हैं तो फलां तरह के फैसले करते हैं और उसके ऊपर यह कहा जाय कि जितने जज हैं हाईकोर्ट के वह अमूमन फलां तरीके के फैसले करते हैं, तो यह बिलकुल झूठी बात होगी, गलत होगा और उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो वहां पर उन्होंने जहां किसी मैजिस्ट्रेट की कोई गलती निकाली तो वह गलती हमारे सर आंखों पर, कसूरवार होने पर उसकी सजा करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि आम तौर से मैजिस्ट्रेटों के यहां फलां किस्म के मामले आते हैं उनका फैसला वह जुडीशियल तरीके से नहीं करते तो यह "आबिटर डिक्टम है"। साल में २-४

मैजिस्ट्रेटों के मामले गये होंगे, दो चार की गलती होती होगी। अगर कोई कह दे कि आम तौर से मैजिस्ट्रेट ऐसा करते हैं तो वह हमारे लिए मान्य नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह हम नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा कि जैसा स्टेटमेंट आम तरीके से हुआ हम भी आम तरीके से उसको कर सकते हैं। किसी खास का दोष बतलाया जाय तो हम देख सकते हैं वरना आम तौर से कही बात ऐसी ही होगी जितना कि किसी जज के कोई काम करने पर सबके लिये कह दिया जाय कि सारे जज ऐसा ही करते हैं।

मैंने शुरू में ही कहा था कि थोड़े से समय में एक-एक, अलग-अलग बातों का जिक्र करने का वक्त नहीं हो सकता, फिर भी एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज श्री यादवेन्द्र-दत्त जी ने जो एल्युमिनियम फैक्टरी को जो बिजली दी गयी उसके रेट की बाबत कुछ जिक्र किया और यह दिखलाया कि हमारी जो गंगा ग्रिड की या दूसरी जगह की बिजली है उसके रेट कितने हैं और फिर मुझसे पूछा कि एल्युमिनियम फैक्टरी ज्यादा जरूरी है कि खेती? बाजे सवाल ऐसे होते हैं जिनका कि जवाब देना मुश्किल होता है। राजा साहब तो अपने यहां के दर्शन और संस्कृत के विद्वान हैं। संस्कृत में आता है "विभाज्य वचन", तो हरएक बात का "यस" और "नो" में जवाब नहीं हो सकता। अगर यह पूछा जाय कि रोटी ज्यादा जरूरी है या बन्दूक, तो आम तौर से तो रोटी ही ज्यादा जरूरी होती है लेकिन अगर सामने शेर खड़ा है तो रोटी की जरूरत नहीं होगी, उस वक्त बन्दूक की जरूरत होती है। तो यह तो मौके की बात होती है और देखने की बात होती है। खेती बहुत जरूरी चीज है, लेकिन हमारी जो कास्ट आफ प्रोडक्शन बिजली की पड़ती होगी उसका सारा हिसाब लगाना होगा। बिजली के डिपार्टमेंट को तो हम प्राफिट कंसर्न की तरह से रन नहीं करते हैं। गंगा ग्रिड में कुछ रेट हो, कहीं कुछ हो, लेकिन उसके साथ जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था अल्युमिनियम का महत्व क्या है देश के लिये और प्रदेश के लिये, यह भी देखने की जरूरत है। उससे जो दूसरी इंडस्ट्री खड़ी होंगी, उनका महत्व क्या है। उससे जो लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा, फारेन एक्सचेंज मिलेगा उसका महत्व क्या है। यह सब चीजें विचार करने की हैं। मैंने यह भी बतलाया था कि दूसरी जगह, हीराकुंड में बिजली का क्या आफर हो रहा था और केरल में क्या आफर हो रहा था। तो खेती-बाड़ी के लिये जो दाम लिये जाते हों अगर वह ज्यादा मालूम हों तो वह तो अपने अख्तियार की बात है, किसी वक्त भी कम कर सकते हैं। किसान भी यहीं रहेंगे, नहरें और पावर हाउस भी यहीं रहेंगे, हम न सही कोई भी गवर्नमेंट यहां रहेगी। लेकिन अगर अल्युमिनियम का कांट्रेक्ट नहीं होता तो उत्तर प्रदेश से तो वह हमेशा के लिये चला जाता। तो अगर इस चीज पर इस दृष्टि से देखा जाय तो पता चल सकता है।

बार-बार सवाल हुआ कि हमारी ऐग्रेरियन पालिसी क्या होगी, इसके सम्बन्ध में। खास तौर से कोआपरेटिव फार्मिंग के सिलसिले में कई दोस्तों ने शिकायत की कि जब यह नो-कानफिडेंस का प्रस्ताव पेश किया गया तो उसमें कोई पालिसी की बात तो होनी चाहिये थी। नहीं हुई पालिसी की बात, लेकिन विरोधी पक्ष की तरफ से बोलते हुए दो सज्जनों ने प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से पालिसी का जिक्र किया।

किसी ने पंडित जवाहरलाल जी का जिक्र किया किसी ने किसी का। माननीय राघवेन्द्र-प्रतापसिंह ने पदयात्रा का जिक्र किया। मैंने भी थोड़ी सी पदयात्रा की है और मुझे भी २–३ मीटिंगों में बोलने का मौका मिला, मैं भी बात करता रहता हूं और जो हमारी पालिसी है उसको छिपाया नहीं। कोआपरेशन, सहकारिता अच्छी चीज है, इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकती। एक तरह से ठीक है, यह बुरी भी हो सकती है कि अगर १० आदमी मिल कर डाका डालने जांय तो वह भी कोआपरेशन है। इसलिये ऐसी ऐन्टी-सोशल बातों को छोड़कर कोआपरेशन अच्छी चीज है और सब क्षेत्रों में कोआपरेशन को सफलता मिली है। कई तरह की कम्पनियां होती हैं, एक तरह से वह भी कोआपरेशन की चीज है। अभी हमारे यहां दो-तीन कोआपरेटिव की बेसिस पर शुगर फैक्टरीज खुली हैं और और भी खुलने वाली हैं, वह सफल हुई हैं। कई क्षेत्रों में सहकारिता को सफलता मिली है। इस लिये अगर प्योरली थ्योरेटिकल

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

ग्राउन्ड्स पर न देखा जाय तो कोई वजह नहीं है कि खेती के क्षेत्र में भी कोग्रापरेशन क्यों न सफल हो, इसकी कोई वजह हो नहीं सकती। यह कहा जाता है कि काश्तकार साइकोलाजिकली इसको पसन्द नहीं करेंगे। रूस की मिसाल दी जाती है। मिसाल सही भी हो सकती है। काश्तकार को चीज पसन्द नहीं आती। मैं मानने को तैयार हूं कि काश्तकारों में एतराज हो सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीति इस सम्बध में स्पष्ट रखी है। इस बात को मानते हुये कि सहकारिता अच्छी चीज है, इस बात को मानते हुये कि सहकारिता को मौका देना चाहिये, इस बात को मानते हुये कि सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहिये, इस बात को मानते हुये कि उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो इस आधार पर अपनी खेती करना चाहें लेकिन साथ ही इसके किसी भी हालत में सहकारिता खेती के लिये हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करने वाले हैं, न कानून के जरिये और न दबाव के जरिए।

कल राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी ने कहा कि अपनी खेती कोग्रापरेशन में कर देंगे, मैं नहीं जानता कि कितनी पार्टियों के लोगों ने अपनी खेती कोग्रापरेशन को दी है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो हम हर तरह से प्रोत्साहन देने के लिये तैयार हैं लेकिन हम कम्पल्शन नहीं कर सकते। एक तरफ अगर सहकारिता की बात कही जाय और दूसरी तरफ जबरदस्ती की बात हो तो यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। जो लोग करना चाहेंगे तो उनको हम मौका देंगे लेकिन हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते और न दबाव डालना चाहते हैं। किसी ने भले ही की हो लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। इसलिये मैंने उचित समझा कि इस बात को स्पष्ट कर दूं कि इस सम्बन्ध में हमारी पालिसी क्या होने वाली है। जब हमारा कानून सामने आवेगा तो लोग देखेंगे कि इस मामले में हमारी जो नीति है वह बिल्कुल स्पष्ट है।

अब और ज्यादा न कहकर एक आध बातों का और जिक्र करना चाहता हूं। इस बार यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, फिर ऐसे प्रस्ताव लाये जा सकते हैं। यह तो वोट की बात है और प्रस्ताव सामने रखा जायगा, चाहे जो कुछ भी हो लेकिन इससे भी ज्यादा जो एक बात है उसकी तरफ जब-जब ऐसे मौके आये हैं मैं बराबर ध्यान दिलाता रहा हूं और आज भी दिलाना चाहता हूं कि जहां तक गलितयों की बात है हम मानते हैं कि गलतियां हैं,कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं और करते जायेंगे जब तक कि हमारे हाथ में मौका है लेकिन इस किस्म की चीज बराबर जो लोग लाते हैं उनसे कहूंगा कि आप जिम्मेदारी को सोचें। कल एक सज्जन ने हिटलर के एक बड़े मशहूर कथन की चर्चा की थी जिसमें उसने कहा था कि कोई झूठी बात भी अगर जोर से कही जाय और बार-बार कही जाय तो वह सत्य मान ली जाती है। इसी तरह से हमारे यहां संस्कृत में एक कहावत है कि एक ब्राह्मण एक गाय का बछड़ा लिये चला जा रहा था तो चार आदमियों ने सोचा कि उसे उससे छीनना चाहिये। तो एक ने आगे बढ़कर कहा कि ब्राह्मण देवता यह कुत्ता क्यों लिये जा रहे हो तो उसने कहा कि कुत्ता कहां है यह तो गाय का बच्चा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ कर दूसरे ने भी यही बात कही, फिर तीसरे ने वही बात कही और फिर चौथे ने वही बात कही तो उसने सोचा जरूर कोई धोखा है क्योंकि सभी लोग यही कह रहे हैं। इसलिये उसने उसको छोड़ दिया। एक ही झूठ को अगर बारबार कहा जाय तो उसका बहुत बुरा असर होता है। प्रदेश में कोई ऐसी जगह हो सकती है कि जहां के लोगों को जरा ज्यादा तकलीफ हो। थोड़ी बहुत तकलीफ तो सब जगह है, यह बात दूसरी है। श्री मंदन पांडेय जी ने एक डाकू मूरत का जिक्र किया था। उनको यह सुनकर खुशी होगी कि वह रिगरस इम्प्रिजनमेंट में ७ वर्ष के लिये बन्द है, अब वह ७ वर्ष के लिये आराम की नींद सो सकते हैं। यह कहना कि सारे प्रदेश में इनसीक्योरिटी है, गलत है, गलत है, बारबार गलत है। लेकिन जब इस सदन के जिम्मेदार लोग ही एक बार नहीं, दूसरे, तीसरे महीने कहते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि प्रदेश की जनता में यह बात फैल जाय कि हमारे यहां भले ही न हो मगर दूसरी सब जगह इनसीक्योरिटी होगी

अगर यह भावना रहती है तो विकास का कोई काम हो ही नहीं सकता। सेल्फ-कानफिडेंस लोगों के अन्दर से जाता रहेगा। जिस राष्ट्र के लोगों में सेल्फ कानफिडेंस नहीं है उनका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को याद करें कि हमारे कन्धों पर कितनी भारी जिम्मेदारी है। आज के इतिहास को हमारे बाद आने वाले लोग पढ़ेंगे। क्या किसी भी देश में ऐसा हुआ है कि आजादी आने के १०, १२ वर्ष बाद ही सारी की सारी दिक्कतें दूर हो गई हों ?

यह भी कहा गया कि लोगों को खाने पीने की तकलीफ है। मैं मानता हूं कि हैं और रहेगी कुछ दिन और। यह दुर्भाग्य की बात है। रूस की बात को याद करिये। १९१७ के बाद रूस में गवर्नमेंट कायम हुई। हर चीज की उनके पास कमी थी। सच पूछा जाय तो हमारे देश से भी ज्यादा मुसीबतें उनके सामने थीं। अगर उन्होंने लोगों के सामने ये बातें रखी होतीं कि तुमको आराम से खाना नहीं मिलता है तो रूस तबाह हो जाता। उनके पास एक ही तो चीज थी, अन्न जिसे वे बाहर भेज सकते थे। उसे बाहर भेजकर उन्होंने अपने लोगों को आधा पेट खिलाया। हमको बेरोजगारी और अन्न की कमी यानी दुर्भिक्ष का सामना करना है। इसलिये लोगों के सामने ईजी-गोइंग की बात कहना गलत काम होगा। हमारे देश के लोगों को तकलीफ से रहने के लिये तैयार रहना चाहिये। आधे पेट खावें, भूखे रहें। इतिहास देखेगा कि एक तरफ तो वे लोग थे जो ईजी-गोइंग की बात कहते थे और दूसरी तरफ वे लोग थे जो सेवा करने की कोशिश कर रहे थे, देश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जो काम करे वही उसकी कठिनाइयों को समझ सकता है।

एक बात और, जो लोग गम्भीरता के साथ विचार करेंगे वे देखेंगे कि यह प्रस्ताव असामयिक है, निराधार है और भयानक है। इसके पास होने की सम्भावना तो नहीं है लकिन यदि इत्तिफाक से यह पास हो जाय तो अवश्यम्भावी देश में अराजकता फैल जायगी। इसलिये जरूरी है कि सदन इसे अस्वीकार कर देगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहूं मेरे मुताल्लिक माननीय नेता सदन ने जो कहा है, उसके बारे में कुछ अर्ज कर दूं। उन्होंने यह कहा कि मैंने ऐसी बात कही जिससे मालूम होता है कि मेरी वजह से जुर्म में वृद्धि हो रही है। यहां तक बात बिलकुल सही है। लेकिन जो दूसरी बात कही, उस हिस्सों को भी यदि उसमें जोड़ दें तो बात साफ हो जाती है। मैंने कहा था कि एक स्थान से जिससे मेरा वास्ता है, उसकी स्थिति से मैं कभी-कभी परेशान हो जाता हूं। जब मैं जाकर वहां की हालत को देखता हूं तो पाता हूं कि वहां शराब ज्यादा बन रही है। यह बात मैंने उनसे ही नहीं कही, रामस्वरूप जी यादव जिस कमेटी के सदर हैं, उनको मैंने लिख कर भी यह दिया है। लेकिन ऐसा क्यों है ? क्योंकि मेरा असर तो वहां चल नहीं पाता है, अगर कोई घड़ा मुझको दिख गया वह मैंने फोड़ दिया। पुलिस की दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है ? मेरी वजह से पुलिस मार नहीं पाती और रिश्वत नहीं ले पाती। बस बात पूरी हो गयी। मैंने यह इसलिये अर्ज किया कि माननीय नेता सदन ने ६ जिलों को और इसके साथ समेट लिया। अगर यह पाप मेरे ही ऊपर होता तो मुझे कोई एतराज न होता।

मैं मशकूर हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया और मैं उन माननीय सदस्यों का भी मशकूर हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज इस प्रस्ताव को केवल इसी ओर से समर्थन प्राप्त नहीं है बल्कि उस तरफ के बैठने वाले भी अब उसका समर्थन कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने इसी सदन में जो भाषण दिया है, उन्होंने इस सरकार के ऊपर ६ इल्जाम लगाये हैं। उनको दोहराना तो मैं नहीं चाहता लेकिन मुख्तसिर में बता देना चाहता हूं। वे हैं:--

१--भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, २--आर्थिक स्थित सुधारने के बारे में मंत्रि-गण चिन्तित नहीं हैं, ३--मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच नहीं होती, ४--प्रशासन ढीला है, ५--आम जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, ६--ग्रामीण जनता की उपेक्षा की जा रही है।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

यह इधर के बैठने वालों की राय नहीं है। उधर से शिकायत की गयी कि यह प्रस्ताव बड़ा वेग है, इसमें कोई कारण अविश्वास का नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इन ९८ सदस्यों ने ये कारण इस प्रस्ताव के समर्थन में दे दिये। रही बात यह कि वह इसके लिये वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर देना चाहता हूं और पुराना इतिहास भी इस बात का साक्षी है, वह दिन दूर नहीं है, इस बात को यकीनी तौर पर कहा जा सकता है और लोग देखेंगे कि जो आज हिचकिचा रहे हैं, सही रास्ते की ओर किसी कारणवश नहीं जाना चाहते हैं, एक दिन आयेंगे। वे इस बात को समझेंगे, ईश्वर उनको हिम्मत देगा, यह महात्मा उनको हिम्मत देगा जनता जिसकी वह सेवा करना चाहते हैं, वह हिम्मत देगी, जिससे वे दूसरी तरफ आयेंगे और फिर उनको संकोच नहीं होगा इसके साथ वोट देने में।

मान्यवर कुछ आदरणीय सदस्यों से यह सुनकर मुझे अफसोस हुआ और उन्होंने यह शिकायत की कि मैंने कोई उसूल की बात नहीं कही। बिजनौर जिला के एक माननीय सदस्य से मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जब सरकार को धक्का लगाया जा रहा था, उसके निकाले जाने की बात हो रही थी, उस समय वह चाहते थे कि इस प्रस्ताव से रस लेते। जब इधर से सरकार के ऊपर चोटों पर चोट पड़ रही थी, उन्होंने कहा कि उनको मजा नहीं आया। माननीय उपनेता सदन ने अपने भाषण के शुरू में यह बात कही थी कि सब्र कीजिये अभी चोट पर चोट पड़ती है, मैं उनकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज कर देना चाहता हूं:--

"तकमीले जिन्दगी है चोटों पे चोट खाना,
अब इम्तहां का वक्त है, ऐ भाग तू न जाना।"

मैं मान्यवर यह जानना चाहता हूं कि इन ९८ सदस्यों ने चोट किस पर दी है? अगर वे इसी बात पर दृढ़ता के साथ डटे रहे तो देखेंगे कि जो चोट वे हमारे ऊपर करना चाहते थे, वह हथियार उलट कर उन्हीं के ऊपर लगा है और उन्हीं पर आघात पहुंचा।

मान्यवर, मैं उन माननीय मंत्री का बहुत मशकूर हूं जो हैं तो समाज सुरक्षा के मंत्री लेकिन उन्होंने मेरी इस बात का यह अर्थ निकाला कि नाज का भाव गिर नहीं रहा है इसलिये मैं चाहता हूं, मेरी यह नीयत है कि जो मुनाफाखोर हैं उनको खुली छूट दी जाय। मुझे इस तरह की बातों के लिये उनका शुक्रिया नहीं अदा करना है सिवा इसके कि खुदा महफूज रखे इस बला से, मैं कहूं कुछ और उसके माने कुछ निकालें जायं। मैं फिर भी उनकी मेहरबानी का मशकूर हूं।

मान्यवर, मुझे यह मालूम था कि माननीय नेता सदन को नजूम में कुछ दखल है यानी वे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि उपनेता सदन उनसे इस मामले में बड़े हैं। उन्होंने मेरे मुताल्लिक यह कहा कि इस प्रस्ताव को बहुमत चाहता था। मैं नहीं चाहता था इस बात को उन्होंने ऐसी आवाज में कहा कि समाजवादी दल के नेता को वह बिल्ली की आवाज जान पड़ी। लेकिन मैं जानता हूं कि वह बिल्ली की आवाज नहीं थी बल्कि उपनेता सदन की चीं बोल गई थी। आवाज उन्होंने इस प्रकार निकाली .....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप स्वयं विरोधी दल के नेता हैं, उपनेता तो नहीं हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह---श्रीमन्, मैं माफी चाहता हूं और मैं मान्यवर का मशकूर हूं। मैंने यह जो नकल की अथवा ऐसा करने की कोशिश की वह आवाज प्रोसीडिंग्स के रिकार्ड में नहीं आ सकती क्योंकि मैं समझता हूं कि शार्टहैंड राइटर्स के पास उस तरह की आवाज को अंकित करने का कोई चिन्ह नहीं होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह खुशी की बात है कि मैंने पुलिस के बढ़ते हुए जुर्मों का जिक्र किया। मैंने किसी थानेदार की रिश्वत की बात नहीं की, मैंने किसी थानेदार द्वारा पिटाई की बात नहीं की। मैंने यही कहा कि किन कारणों से जुर्म बढ़ रहे हैं। मेरी राय से उसका

कारण यह है कि यह पुलिस सरकार की है, यह पुलिस सरकार की रक्षा के लिये है। जनता की पुलिस होनी चाहिये, जनता की रक्षा के लिये उसे अपना सारा जोर लगाना चाहिये। माननीय गृह मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि पुलिस कमीशन इस बात पर भी विचार करेगी कि पुलिस का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाय, यह उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में होगा, अगर उनकी बात मुझे ठीक तरह से याद है, लेकिन आज उनकी बात माननीय नेता सदन ने काट दी।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने डिसेंट्रलाइजेशन का विरोध किया था।

श्री त्रिलोकीस—शुक्रिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। जो बात मैंने सिद्धान्त की उठायी थी कि पुलिस का यदि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है तो क्राइम्स नहीं रुक सकते हैं। मेरी बात ठीक निकली। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कल कही थी उसे ही आज नेता माननीय सदन ने भी कहा। मान्यवर, पुलिस स्टेट कहने पर बड़ा एतराज किया गया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस स्टेट के माने क्या हैं, जरा यह सरकार और इस सरकार के समर्थक समझने का प्रयत्न करें:—

"If the powers of local authorities were slowly whittled away, if, for apparently excellent administrative reasons, a large number of police forces were merged together under single control, if the police were gradually to become servants of the Government rather than protectors of their fellow-citizens, if , in fact, any of the principles which were set out in the first chapter were allowed to lapse and the police became a 'national' rather than a 'local' institution, then it would indeed be possible for Britain to be turned into a Police State."

यह पुलिस स्टेट की परिभाषा है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए भी मंत्री जी पुलिस शब्द के माने न जानें, जब कि उनका बाहर के देशों से गाढ़ा वास्ता है, वहां से किताबों की आमदरफ्त है, ७०, ८० हजार किताबें लाइब्रेरी में हैं, यदि वे उसको पढ़ने की कोशिश न करें। जब वह पुलिस विभाग के इन्चार्ज हुए तब भी उन्होंने पुलिस की कार्यवाहियों पर ध्यान नहीं दिया तो क्या मेरे लिये यह चारा था कि करम को ठोकूं और सिर दीवार से टकराऊं अथवा इस सदन में अविश्वास का प्रस्ताव लाऊं कि यह सरकार निकम्मी है और इस पर जनता का विश्वास नहीं है। यह सरकार अगर हयादार लोगों की सरकार है, अगर इसको तनिक भी नैतिकता का खयाल है तो उसके सामने अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह स्तीफा दे और यह नौबत न आने दे कि उसे जबरदस्ती निकाला जाय।

आज नेता सदन ने हमें एक नया उसूल बताया। केरल की तमाम मिसाल देखने के बाद वह कहते हैं कि अगर प्रस्ताव पास भी हो जायगा तो अराजकता फैलेगी, हालत बिगड़ जायगी। मैं कहता हूं कि अराजकता नहीं होगी, दूसरी जमातें यहां हैं, पार्लियामेंट है, इधर के बैठने वाले हैं, सब मिलकर ४ दल या २ दल काम चला सकते हैं, राज्यपाल को शासन नहीं देंगे, उधर से ६८ का लश्कर आने वाला है, वह राज्य की सरकार को अगर नहीं चला सकेंगे तो यकीनन यह असेम्बली भंग होगी और राष्ट्रपति का राज्य होगा और बजाय यू० पी० असम्बली के पार्लियामेंट या लोकसभा का राज्य होगा। उसके सदस्य भी बालिग मताधिकार से चुने हुए हैं। जिन्होंने हमें वोट दिया है उनकी हैसियत से उनकी हैसियत कम नहीं है और ४-६ महीने बाद जब चुनाव होगा यह देखा जायगा कि जनता किस के साथ है और उस वक्त हमें कहने का मौका मिलेगा कि ऐ कांग्रेसियो देख लो जनता किस के साथ है।

अगर वह नजूम की बात करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं आश्वासन के साथ कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का राज्य जिस दिन इस प्रदेश में होगा, इस पार्टी के मेम्बरान को जिस दिन जनता इस काबिल

[श्री त्रिलोकीसिंह]

समझेगी कि राज्य संचालन की जिम्मेदारी उन्हें दे उस दिन एग्जिक्यूटिव का जूडिशियरी से प्रथक्कीकरण और पुलिस का डिसेन्ट्रलाइज़ेशन हमारा प्रथम कर्तव्य होगा पहला कदम और पहला काम होगा।

माननीय गृह मंत्री जी ने मालूम होता है किसी का दिया हुआ एक कोटेशन कल पेश किया, मुझे खुशी हुई होती अगर वह पूरी इबारत पर गौर कर लेते, और देखते कि इंगलैंड में किस तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं, वहां पर हीनस क्राइम्स नहीं बढ़ रहे हैं, वहां कत्ल, डकैती, और इस तरह के घृणित जुर्म नहीं बढ़ रहे हैं। इंगलैंड के बारे में प्रोफेसर गुडहार्ट ने इंगलिश ला और मारल ला में लिखा है कि :—

"If you want to discover how the British people feel about and behave towards the law you can gain a much more typical insight in terms of motoring and rationing offences, which all of us are on the point of committing, than in terms of murder and robbery with violence which tempt very few of us."

यह प्रोफेसर गुडहार्ट की राय है कि किसी ने अगर मोटर तेज चला दी या चीनी ले ली, राशन ज्यादा ले लिया इस तरह के जुर्म वहां होते हैं लेकिन उनके यहां कत्ल, डकैती, चोरी जिना जब्र की ओर कम लोग जाते हैं। इन और उन जरायम में बड़ा अन्तर है।

माननीय नेता सदन के मुख से एक दूसरी बात को सुनकर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ और अफसोस भी हुआ लेकिन पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में इसकी इजाजत है इसलिये मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर इंगलिस्तान में सरकार का पूरा कंट्रोल है। इसलिये कि ५० प्रतिशत खर्च सरकार देती है। मैं कहता हूं कि तमाम विभाग हैं, शिक्षा संस्थायों को सरकार ५० प्रतिशत ग्रान्ट देती है अस्पतालों को भी ५० प्रतिशत देती है, टीचर्स की कन्डीशन्स आफ सर्विस सरकार ने नियत की हैं, क्या उस पर यह कहा जा सकता है कि उन पर सरकार का कंट्रोल है? एनीमल हस्बेंड्री डिपार्टमेन्ट—मवेशीखाने के अस्पतालों को ५० प्रतिशत देते हैं। कन्डीशन्स आफ सर्विस सरकार ने प्रेस्क्राइब की है। लेकिन क्या इनका कंट्रोल है? क्या यह कहने को तैयार हैं यह इंस्टीट्यूशन सरकारी हैं?

जो मैं कह रहा हूं उसमें सच्चाई है। वह आज भी सच है और हजारों वर्ष बाद भी सच रहेगा। जिस बनारस नगर के रहने वालों का यह तौफीक है कि वह उत्तर प्रदेश को चीफ मिनिस्टर दे सकता है, जिस इलाहाबाद के रहने वालों को यह तौफीक है कि हिन्दुस्तान को वजीरे आजम दे सके, लखनऊ नगर वालों को यह तौफीक है कि एक मिनिस्टर दे सकें, तो इनको यह भी तौफीक होनी चाहिये कि पुलिस का इंतजाम कर सकें। मगर माननीय गृह मंत्री जी एसा नहीं मानत और यह कह कर मेरी बात काट दी कि वह डिसेन्ट्रलाइज़ेशन के खिलाफ हैं। अन्त में ग्लेडस्टोन के शब्दों में कहना चाहता हूं कि :—

"Think well, think wisely, think for the moment, but for the days to come."

इन शब्दों के साथ मैं इस आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसका समर्थन करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान सभा की यह बैठक उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास प्रकट करती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—विभाजन।

श्री राजनारायण—वोटिंग तो लाबी में होगी, श्रीमन्।

(विभाजन की घंटी बजायी गयी।)

श्री अध्यक्ष---अब मैं सदन का समय १५ मिनट तक बढ़ा देता हूं। मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन चाहेगा कि जब तक गिन कर प्रस्ताव पर मतों का फैसला न हो जाय तब तक हम लोग बैठेंगे, यह सबकी राय है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि हाउस के बाहर के जो स्ट्रेंजर्स लोग हैं उनको तो हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---स्ट्रेंजर्स कोई वोट नहीं देंगे। जब लाबी में सदस्य ही जाएंगे तो कोई डर नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, क्या कौंसिल के मेम्बर भी जोड़े जाएंगे ? श्री महाबीर-सिंह जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष---मिनिस्टर हैं तो बैठे रहेंगे लेकिन लाबी में नहीं जाएंगे।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विधान सभा की यह बैठक उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास प्रकट करती है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था चाहता हूं। कब्ल इसके कि आप इसका नतीजा घोषित करें। आपकी आज्ञा से हम बायें से उठ कर दाहिनी तरफ वोट करन गये। तो मेरी समझ में यह आता है कि जब तक आप इसका परिणाम घोषित न कर दें तब तक हम लोगों को आपके दाहिने ही बैठना चाहिये। इसमें आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष---किसी को और कुछ कहना है ?

एक सदस्य---बच्चा सक्का की सरकार हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वोटिंग फैसला कर देगा कि किसको कहां रहना चाहिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक निवेदन यह था कि इस श्री जुगलकिशोर जी द्वारा दी गयी सूची का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष---आप पहले वोट तो दीजिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि वोटिंग में इसका रिकार्ड हो जाना चाहिय। ९८ आदमियों न लिखा है।

श्री अध्यक्ष---विभाजन का फल इस प्रकार है---

पक्ष में---११२

अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
उग्रसेन, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
कल्यागचन्द मोहिले, श्री
कोतवालसिंह भवौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपाली, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दराम, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
प्रतापसिंह, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद हुसैन खां, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुबीर राम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजेंद्रकुमारी, श्रीमती
राजेंद्रसिंह, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामदीन, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामायणराय, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष मीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेंद्रशाह, राजा
शम्भुदयाल, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सजीवनलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार

हरदयालसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

विपक्ष में—२८५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री

डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री

राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुलइस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी दवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
हेवमतीनन्दन बहुगुणा, श्री

विभाजन फल से प्रतीत यह होता है कि सांकेतिक ६८ सदस्यों ने २८५ में शामिल होकर ोट दिया ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर सोमवार, १० अगस्त, १६५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
७ अगस्त, १६५६ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१९ पर)

तालिका

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि (चैरिटी फन्ड) से वित्तीय वर्ष १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में क्षयरोगियों को दिये गये अनुदानों की जिलेवार संख्याएं

जिला	वर्ष १९५७–५८	वर्ष १९५८–५९
देहरादून	१४	७
सहारनपुर	४	१
मुजफ्फरनगर	०	२
मेरठ	१४	७
बुलन्दशहर	१४	११
अलीगढ़	१८	१६
मथुरा	३२	२८
आगरा	२३	५
मैनपुरी	८	६
एटा	५	३
बरेली	१४	९
बिजनौर	२	३
बदायूं	३	२
मुरादाबाद	१०	३
रामपुर	०	१
शाहजहांपुर	१	२
पीलीभीत	३	१
फर्रुखाबाद	२	५
इटावा	२	२
कानपुर	४९	३०
फतेहपुर	१	३
इलाहाबाद	२४	९
झांसी	२	१
जालौन	४	०
हमीरपुर	२	१
बांदा	२	१
वाराणसी	२०	९
मिर्जापुर	३	३
जौनपुर	१८	३
गाजीपुर	२	०
बलिया	३	३
गोरखपुर	१३	७
बस्ती	१३	८

जिला	वर्ष १९५७–५८	वर्ष १९५८–५९
आजमगढ़	१५	७
देवरिया	१२	४
नैनीताल	९२	५३
अल्मोड़ा	४९	२४
गढ़वाल	२१	२०
टेहरी-गढ़वाल	१	०
लखनऊ	४५३	४५२
उन्नाव	१४	९
रायबरेली	१०	३
सीतापुर	६	४
हरदोई	७	३
खीरी	३	२
फैजाबाद	९	७
गोंडा	४	४
बहराइच	३	६
सुल्तानपुर	५	१
प्रतापगढ़	५	३
बाराबंकी	६	१३
अन्य प्रदेशों में उपचार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी	१३	७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२० पर)

नाम थाना	सन् १९५७		सन्१९५८		सन्१९५९ (२२ मई तक)	
	संख्या प्रार्थना-पत्र		संख्या प्रार्थना-पत्र		संख्या प्रार्थना-पत्र	
	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत
१—फर्रुखाबाद ..	८६	१३	४८	२३	२७	५
२—फतेहगढ़ ..	३७	५	१८	८	६	३
३—राजेपुर ..	२९	९	३०	९	१४	१
४—कमालगंज ..	५५	१४	५८	१८	२४	७
५—मोहम्मदाबाद ..	६६	१८	८५	१७	१५	१
६—नवाबगंज ..	३९	१०	३०	१०	२५	१
७—शमशाबाद ..	२२	५	१९	७	११	३
८—कायमगंज ..	१२२	२८	६८	२०	२७	५
९—कम्पिल ..	३८	५	३५	५	१०	३
१०—छिबरामऊ ..	६०	६	५४	११	२७	७
११—गुरसहायगंज ..	५६	१२	७१	२९	३६	५
१२—सौरिख ..	४३	१३	१०१	३०	२९	१९
१३—इंदरगढ़ ..	३१	१२	३४	१४	१३	३
१४—ठठिया ..	४३	३	१८	७	११	६
१५—कन्नौज ..	५३	९	४९	२०	१८	४

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२९ पर)

सूची

नाम उन व्यक्तियों के जिनके पास ५ से अधिक लायसन्स हैं :—

१—श्री रमेशपाल सिंह, निवासी जिरौली, हीरासिंह।

२—श्री खान बहादुर अब्दुल मगीत खां, निवासी बुढ़ागांव।

३—श्री चेतन्य राज सिंह रईस, गभाना।

संसद भवन

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११४ एल० ए०—१९५९—८४५।